Con. 3. IX.34.49
320

अंक 9
संख्या 34

बुधवार,
14 सितम्बर
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रिवी परिषद् क्षेत्राधिकार समाप्ति विधेयक 2219

संविधान का मसौदा—*(जारी)*
[नये भाग 14-क (भाषा) पर विचार] 2219–2332

भारतीय संविधान सभा

बुधवार, 14 सितम्बर सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे, अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

प्रिवी परिषद् क्षेत्राधिकार समाप्ति विधेयक

***अध्यक्षः** कार्यावली पर पहली मद डॉ. अम्बेडकर के एक प्रस्ताव की सूचना है कि वे सपरिषद् बादशाह महोदय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का विधेयक पेश करना चाहते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, मैं भारतीय अपीलों तथा याचिकाओं के संबंध में सपरिषद् बादशाह महोदय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का एक विधेयक पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"That leave be granted to introduce a Bill to abolish the jurisdiction of His Majesty in Council in respect of Indian appeals and petitions."

[कि भारतीय अपीलों तथा याचिकाओं के संबंध में सपरिषद् बादशाह महोदय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।]

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं विधेयक को पेश करता हूं।

संविधान का मसौदा—जारी

नया भाग 14-क (भाषा)—*जारी*

(अनेक सदस्य बोलने खड़े हुए)

***अध्यक्षः** श्रीमती जी. दुर्गाबाई।

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाब : सिख): क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या हमें प्रत्येक बार आपकी दृष्टि पड़ने की प्रतीक्षा में खड़ा होना चाहिये या कोई ऐसा अन्य उपाय है जिससे उन्हें अवसर मिल सके जिन्हें संशोधन पेश करने हैं?

***अध्यक्षः** मैं यथासम्भव अधिकाधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयत्न करूंगा

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

पर मेरे लिये यह वचन देना कठिन है कि प्रत्येक सदस्य को अवसर मिल जायेगा। मैं अभी सारी स्थिति को स्पष्ट कर देता हूं। कल, मैंने गणित फैलाया था कि कितनी वक्तृतायें हुईं और उन पर कितना समय लगा, और औसत 22 मिनट प्रतिवक्तृता आया। आज मैं नहीं जानता कि सदन कितनी देर बैठना चाहेगा। पहले हमने दो दिन, बल्कि 14 घंटे रखे थे, जिसमें से हम 10 घंटे अब तक व्यय कर चुके हैं। हमारे पास 4 घंटे शेष हैं, अब से 1 बजे तक। यदि सदन एक बजे तक समाप्त करना चाहता है तो यह आवश्यक है....

***श्री जयनारायण व्यास** (संयुक्तराज्य राजस्थान): मैं एक बात जानना चाहता हूं, उन संशोधनों की क्या स्थिति है जो सदन के समक्ष नहीं आये?

***अध्यक्ष:** प्रत्येक संशोधन सदन के समक्ष है।

***श्री जयनारायण व्यास:** किन्तु उन पर विचार नहीं हुआ।

***अध्यक्ष:** अब, बहस समाप्त होने के पश्चात् 300 संशोधनों पर मत लेने के काम में ही एक घंटा लग जायेगा। यदि हम 1 बजे तक समाप्त करना चाहें तो वह समय भी इन 4 घंटों में से ही निकालना है और शायद इसका उत्तर भी दिया जायेगा।

***सेठ गोविन्द दास** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मेरी प्रस्थापना है कि हमें वक्तृताओं के लिये समय बढ़ा देना चाहिये और मतदान सायंकाल 6 और 7 के बीच होना चाहिये।

***अध्यक्ष:** यदि सदन की यह इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोई अड़ंगा नहीं लगाऊंगा। मैं इस मामले में सदन की इच्छा जानना चाहता हूं।

***सरदार हुकम सिंह:** अनेक संशोधन ऐसे हैं जो बिल्कुल पेश ही नहीं हुए हैं। क्या उन्हें कोई समय मिलेगा?

***अध्यक्ष:** जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं यहां प्रत्येक विचार के प्रतिनिधि को अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं, किन्तु यदि कोई ऐसे हों जो छूट जायें तो वे मुझे याद दिला सकते हैं और मैं उन्हें अवसर दे दूंगा।

***सेठ गोविन्द दास:** यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप समय को सायंकाल तक बढ़ा दीजिये।

***अध्यक्ष:** यदि सदन की ऐसी इच्छा हो तो मुझे कोई वैयक्तिक आपत्ति नहीं होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सदन समय को सायंकाल तक बढ़वाना चाहता है?

***कई माननीय सदस्य:** हां।

***अध्यक्षः** मेरे विचार में 'हां' वाले जीत गये। श्रीमती दुर्गाबाई, क्या मैं आप से निवेदन कर सकता हूं कि आपको जो दृष्टिकोण पेश करना है उसे अन्य वक्ता पेश कर चुके हैं और शायद और भी हों। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सबसे महत्वपूर्ण बातें ही कहें।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, भारत की राष्ट्रभाषा का प्रश्न, जो कुछ समय पहले तक लगभग सहमत प्रस्थापना था, अब अकस्मात् एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न बन गया है। ठीक कहिये या गलत, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी गई है कि हिन्दी भाषा क्षेत्रों की ओर से यह संघर्ष या दृष्टिकोण इस राष्ट्र की मिश्रित संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को पड़ने से रोकने का संघर्ष है। मैंने कुछ माननीय सदस्यों को, जो हिन्दी और हिन्दी अंकों के समर्थक हैं, यह कहते सुना है, "आपने लगभग 90 प्रतिशत हमारी बात मान ली है; अतः शेष 10 प्रतिशत को मानने में क्यों हिचकिचाते हो।" क्या मैं उनसे पूछ सकती हूं कि हमने यह बात स्वीकार करने में कितना त्याग किया है? कुछ मित्रों ने कहा, "आपने कुछ भी त्याग नहीं किया है। आपको स्वीकार करना है। आपको करना होगा।" अहिन्दी भाषी लोगों से अपनी बात पूर्णतः मनवाने के लिये उनसे ऐसे बात की जाती है।

श्रीमान्, भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी के अतिरिक्त, जो हिन्दी तथा उर्दू का योग है, कुछ और नहीं होनी चाहिये और कुछ और हो भी नहीं सकती है। हमारे लिये यह कम त्याग की बात नहीं है कि, हमारे उन मित्रों की भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए जिन्होंने देवनागरी लिपि में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है, हमें उस सिद्धान्त का त्याग करना पड़ रहा है जिसके लिये हम अब तक लड़े हैं और जिये हैं। यह त्याग हमारे लिये बहुत बड़ी असुविधा है और हमें बहुत दुःख है कि हम गांधी जी के इस सहिष्णुतापूर्ण सिद्धान्त को, गांधी जी के इस दर्शन को और गांधी जी की इस बात को छोड़ने के लिये तैयार हो गये हैं कि भारत की राजभाषा वह होनी चाहिये जिसे सब समझते हैं और आसानी से बोल और सीख सकते हैं। श्रीमान्, हमने यह त्याग किया है।

कदाचित् टण्डन जी, सेठ गोविन्द दास जी आदि नहीं जानते और उन्हें पता नहीं है कि दक्षिण में हिन्दी भाषा का कितना प्रबल विरोध हुआ है। विरोधी यह समझते हैं, शायद ठीक ही समझते हैं, कि यह हिन्दी के पक्ष का आन्दोलन प्रान्तीय भाषाओं की जड़ खोदना है और यह प्रान्तीय भाषाओं और प्रान्तीय संस्कृति के विकास के लिये गम्भीर बाधा है। श्रीमान्, दक्षिण में हिन्दी विरोधी आन्दोलन बहुत प्रबल है। मेरे मित्र डाक्टर सुब्बरायन ने इस विषय में कल विस्तृत बातें बताई थीं। किन्तु, हमने हिन्दी के समर्थकों ने क्या किया? हमने विकट आन्दोलन का सामना किया और दक्षिण में हिन्दी का प्रचार किया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पण्डितों ने भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता समझी, उससे बहुत पहले, हमने दाक्षिणात्यों ने महात्मा गांधी के आदेश का पालन किया और दक्षिण में हिन्दी प्रसार आरम्भ किया था। हमने पाठशालायें चालू कीं और हिन्दी कक्षायें आरम्भ कीं। इस प्रकार बहुत असुविधा से हम हिन्दी के प्रचार और शिक्षा में बहुत पहले ही लग गये थे।

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

श्रीमान्, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक सभा के प्रयत्नों के अतिरिक्त, मुझे इस संबंध में दक्षिण की स्त्रियों और बच्चों को भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिये कि वे हिन्दी सीखने में बहुत लगन से और सच्चे दिल से लगे रहे। श्रीमान्, गांधी जी के प्रयत्नों और प्रभाव से महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में ऐसा जोश था कि दिन भर महाविद्यालयों में कठोर श्रम करने के पश्चात् वे इस भाषा को सीखने के लिये सायंकाल हिन्दी कक्षाओं में आते थे। केवल विद्यार्थी ही नहीं, वकील न्यायालय के समय के पश्चात् पदाधिकारी अपना कार्यालय का कार्य समाप्त करने के पश्चात्, सायंकाल, मनोरंजन स्थानों पर न जाकर, हिन्दी कक्षाओं में आकर हिन्दी सीखते थे। मैं आपको यह बात इसलिये कह रही हूं कि मैं यह सिद्ध करना चाहती हूं कि हमने महात्मा जी के आदेश और अनुरोध पर हिन्दी प्रचार का कार्य कितने सच्चे दिल से और ईमानदारी से आरम्भ किया था।

मेरे मित्रों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह सब कुछ हमने राष्ट्रीय भावनाओं को पूरी करने के लिये स्वेच्छा से किया था। इस संबंध में मैं सेठ जमना लाल बजाज द्वारा 1923 में वहां जाने का निर्देश करना चाहती हूं। उस वर्ष, जब सेठ जी कांग्रेस सत्र के लिये कोकानाडा गये थे तब वे कुछ महिला संस्थाओं को देखने गये थे और उन्होंने वहां सैकड़ों महिलाओं को हिन्दी पढ़ते देखा था। याद रखिये, श्रीमान्, यह बात 1923 की है, इसे कोई ढाई दशाब्दियां बीत गई हैं। सेठ जी महिलाओं को हिन्दी सीखती देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस संस्था को एक महान् राशि दान देना चाहा। पर संस्था ने उस दान को यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि "हम भी यह अनुभव करते हैं कि हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। अतः हम अपने ही प्रयत्नों से इस पाठशाला को चला रहे हैं।" हमने इसी भावना से कार्य किया था।

अब इसका परिणाम क्या है? अब मुझे आश्चर्य है कि हमने इस शताब्दी के आरम्भ में जिस जोश के साथ हिन्दी अपनाई थी उसके विरुद्ध इतना आन्दोलन हो रहा है। श्रीमान्, अहिन्दी भाषी लोगों की भावनाओं में कटुता लाने का कारण आपका यह दृष्टिकोण है कि आप शुद्धतः एक प्रान्तीय भाषा को राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं। मुझे भय है कि इससे निश्चय ही उनके भावों और भावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने पहले ही देवनागरी लिपि में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है। संक्षेप में, श्रीमान्, उनके इस अत्यधिक और कुप्रयुक्त प्रचार के कारण मेरे समान लोगों का समर्थन भी अब प्राप्त नहीं रहा है जो हिन्दी जानते हैं और हिन्दी के समर्थक हैं और नहीं रहेगा।

मैं पहले ही कह चुकी हूं कि राष्ट्रीय एकता के हितार्थ हिन्दुस्तानी ही भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे सावधानी और उदारता से काम लें क्योंकि यहां जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें मुस्लिमों के समान, अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिये समय चाहिये। श्रीमान्, वे बहुव्यापी भावना को अपनाने के लिये उदारता से एकदम राजी हो गये हैं। साहित्य की उच्चता और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की दृष्टि से तो बंगला ही राष्ट्र भाषा बनने के योग्य है। माधुर्य की दृष्टि से तथा इस आधार पर कि वह भारत में बोली

जाने वाली भाषाओं में संख्या के हिसाब से दूसरी श्रेणी की भाषा है, तेलुगु भारत की राष्ट्र भाषा बनने के योग्य हो सकती थी। श्रीमान् हमने अपना तेलुगु का दावा छोड़ दिया हैं हमने उसके पक्ष में एक शब्द नहीं कहा है। हमने उसका समर्थन नहीं किया है। हमने यह सुझाव नहीं दिया है कि इनमें से किसी प्रान्तीय भाषा को हमारे देश को राष्ट्र भाषा बनाया जाये।

अब, श्रीमान्, जब हमने यह त्याग कर दिया है तब आप आकर कहते हैं कि एक और त्याग कीजिये और 100 प्रतिशत में से शेष 5 प्रतिशत को भी मानिये और हिन्दी अंकों को स्वीकार करिये। मुझे कहना होगा—मुझे ऐसा कहने में हिचक है पर कहना ही होगा कि यह तो भाषा-अत्याचार और असहिष्णुता की हद है। हम हिन्दी को देवनागरी लिपि में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गये हैं, पर मैं सदन को स्मरण कराना चाहती हूं कि हम कुछ खास शर्तों पर ही देवनागरी में हिन्दी को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं। पहली शर्त यह है, भाषा का नाम चाहे कुछ भी हो—मैं हिन्दी और हिन्दुस्तानी विवाद पर कुछ नहीं कहना चाहती—आप उसका नाम कुछ भी रखें पर वह सर्वसमाविष्ट होनी चाहिये और इसलिये श्री गोपालस्वामी आयंगर के मसौदे का सम्बद्ध खण्ड सदन को स्वीकार्य होना चाहिये और सदन को निःसंकोच और एकमत होकर उस खण्ड को स्वीकार कर लेना चाहिये। वह भाषा उन शब्दों को ग्रहण करने में सक्षम होनी चाहिये जो इस समय प्रयोग में हैं चाहे वे उर्दू के हों या किसी अन्य भाषा के हों। तभी हमें यह विश्वास होगा कि आप हमें उसे राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिये कह रहे हैं और मध्य प्रदेशीय या उत्तर प्रदेशीय हिन्दी के विशेष रूप के लिये नहीं कह रहे हैं।

दूसरी शर्त यह है, जो इतनी ही महत्वपूर्ण है, कि कम से कम पन्द्रह वर्ष के लिये विद्यमान स्थिति को बनाये रखना होगा, जिससे कि हम उसे सीख सकें और बोल सकें और नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। हिन्दी क्षेत्रों के लोग इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं "आप में से कुछ लोग हिन्दी जानते हैं अतः उस पर कल से या यथा सम्भव अल्पतम काल में अमल करने लगिये।" मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है: "हमारी जिन्दगी में हिन्दी कभी नहीं राष्ट्रभाषा बनेगी।" मैं आपसे पूछती हूं। श्रीमान्, क्या हम इस संविधान को अपने ही लिये और अपने जीवन के ही लिये बना रहे हैं? हमारी संतान और आने वाले वंशजों का क्या होगा? क्या वे इस पर आचरण नहीं करेंगे? मैं अपने वैयक्तिक अनुभव से बात कर रही हूं। मैंने हिन्दी सीखी, मैंने दक्षिण में कम से कम सैकड़ों महिलाओं को हिन्दी सिखाई। मेरा अनुभव यह है: जिन्होंने हिन्दी में उच्चतम परीक्षायें पार की हैं वे लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, पर उनके लिये बोलना असम्भव है, क्योंकि बोलने के लिये खास प्रकार का वातावरण चाहिये, वैसा आवेष्टन चाहिये। दक्षिण में हमें ऐसा वातावरण कहां मिलता है? हमने जो कुछ सीखा है उसे बोलने के लिये हमें दक्षिण में कहीं भी अवसर प्राप्त नहीं होते। आप इस कठिनाई को तब समझेंगे जब आप दक्षिण में आयें और वहां कोई प्रान्तीय भाषा बोलें। अतः धैर्य धरिये और सहिष्णुता तथा सहनशीलता पैदा करिये। हम आपसे इन्हीं चीजों की मांग करते हैं।

तीसरी शर्त जो श्री गोपालस्वामी आयंगर के मसौदे में स्पष्ट नहीं है वह यह है कि अहिन्दी भाषी लोगों के लिये हिन्दी बोलने की बाध्यता की जा रही है।

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

आपके लिये भी एक प्रान्तीय भाषा सीखने की इतनी ही बाध्यता होनी चाहिये। कोई बात नहीं है चाहे वह बंगला हो, तामिल, तेलुगु या कन्नड़ या कोई अन्य भाषा हो। कल इस विषय पर बोलते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काफी कुछ कहा है और उन्होंने उस प्रस्ताव का निर्देश किया है जो साहित्य सम्मेलन ने अभी दिल्ली में अपने अधिवेशन में पारित किया था। हम ध्यान से देखेंगे कि प्रान्तों के मुख्य मन्त्री, जिन्होंने उसे पारित करवाया था, उस प्रस्ताव को कैसे क्रियान्वित करते हैं।

अंकों के प्रश्न पर, मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि पर्याप्त कहा जा चुका है। आप स्थिति की गम्भीरता को समझ चुके होंगे। इतना ही कहना पर्याप्त है कि इसमें भावना का प्रश्न नहीं होना चाहिये और किसी के लिये यह धर्म का प्रश्न नहीं होना चाहिये। यदि आपके लिये वह धर्म है तो हमारे लिये भी यह धार्मिक मन्त्र बन जायेगा कि हम ऐसी भाषा को स्वीकार न करें जो हमारी नहीं है, जो केवल एक प्रान्तीय भाषा है जो काफी विकसित नहीं है। अतः किसी को यह बात नहीं करनी चाहिये कि यह उसके लिये धर्म है।

श्रीमान्, दूसरा प्रश्न जिसके विषय में मैं बोलना चाहती थी वह यह है कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में हमें हिन्दी सीखनी पड़ेगी जिसे हमने राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। हमारी थैली बहुत छोटी है और हम अपने प्रान्तों में निरक्षरता को दूर करने के लिये पहले ही बहुत खर्च कर रहे हैं। अतः केन्द्र का यह कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है कि वह अहिन्दी भाषी क्षेत्रों वाले प्रान्तों को इस हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये काफी अनुदान दे।

श्रीमान्, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है और मुझे सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहिये। कृपया याद रखिये कि हम हिन्दी को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार कर रहे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। आपका यह कर्तव्य है कि आपको श्री गोपालस्वामी आयंगर का मसौदा स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। हम भी उसके कुछ उपबन्धों से सहमत नहीं हैं, किन्तु हमने उसे स्वीकार कर लिया है, और इसलिये आपको उसे स्वीकार करने में और उसका समर्थन करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। धन्यवाद, श्रीमान्।

***श्री शंकरराव देव** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र, श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं, यह बात नहीं है कि मैं उस संशोधन के प्रत्येक खण्ड से और प्रत्येक बात से सहमत हूं—यह तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि वस्तुस्थिति ही ऐसी है कि वह निबटारे का सूत्र है, और जब हम निबटारे पर आते हैं तो हम जो चाहते हैं वह बात सौ प्रतिशत पूरी नहीं हो सकती।

***माननीय पं. रवि शंकर शुक्ल** (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): यह निबटारे का सूत्र नहीं है। इसे किसी ने नहीं माना है।

***श्री शंकरराव देव:** हो सकता है कुछ ने न माना हो, तो मुझे पता लगा है कि कइयों ने मान लिया है। मेरा कहना यह है कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो मुझे पसन्द नहीं है या जिन्हें मैं अच्छी नहीं समझता। फिर भी, मैं समझता

हूं कि यह विद्यमान वस्तुस्थिति में इस समस्या का सर्वोत्तम हल है। अतएव, जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने स्वयं कुछ संशोधन पेश किये हैं और सदन से उन्हें स्वीकार करने की प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि उनसे इस संशोधन का मूल तत्व तो बदलेगा नहीं और इसमें सुधार हो जायेगा जिससे हममें से कुछ लोग इसे अधिक स्वेच्छा से स्वीकार कर सकेंगे।

श्रीमान्, जैसाकि आपने स्वयं कहा है, भाषा के इस प्रश्न से हमारे दिमागों में बहुत उत्तेजना है, जो मेरे विचार में, आजादी के ही प्रश्न से अगले दर्जे पर हैं, क्योंकि यह प्रश्न इस राष्ट्र के भावी विकास और उन्नति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता व्यक्ति या राष्ट्र के निर्माण और विकास में भाषा के महत्व पर बहुत कुछ कह चुके हैं। मेरे लिये, मेरी माता के बाद, भाषा ही सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि मेरी माता ने नि:संदेह मुझे जन्म दिया है, पर मैं आज जो कुछ हूं, वह भाषा के कारण ही हूं। इसी कारण हममें से बहुत से इस बात को पसन्द नहीं करते, फिर भी इस विवाद से हमारे अन्त:स्थल तक हलचल मच गई है और भावनायें उत्तेजित हो गई हैं और कई बार हमारा विवेक आवरित हो गया है। मैं अपने दाक्षिणात्य भाइयों से तथा उत्तर देशीय भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न पर आवेश या भावुकता के दृष्टिकोण से विचार न करें। हमें यथासम्भव उपादेयता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये; हमें इस प्रश्न पर बुद्धि से काम लेना चाहिये।

हमारा क्या उद्देश्य है? हमें बताया गया है कि हमें अपने देश के लिये एक भाषा चुननी है। अगला प्रश्न यह है, इस भाषा से हमें क्या मिलेगा और उसके क्या कृत्य होंगे? हमें बताया जाता है कि हमारे पास अंग्रेजी का स्थान लेने के लिये एक भाषा होनी चाहिये। सब सहमत हैं कि अंग्रेजी की वही स्थिति नहीं रह सकती जो कि गत एक शताब्दी या उससे अधिक समय से रही है जबकि इस देश पर अंग्रेजों का शासन था। मुझे इस प्रश्न पर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि उस भाषा का क्या महत्व है, अथवा, क्या भविष्य में उस भाषा को इस देश के प्रशासन, विज्ञान की विविध शाखाओं, उन्नति आदि में अच्छा और उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये। किन्तु सब सहमत हैं कि अंग्रेजी के स्थान पर कोई अन्य भाषा रखनी है, मतभेद इसी बात पर है कि अंग्रेजी के स्थान पर कौन सी भाषा आये और उसके क्या क्या कृत्य हों।

वे हमसे एकता के नाम में, संस्कृति के नाम में अपील करते हैं कि इस देश की एक भाषा होनी चाहिये। वे कहते हैं कि जब तक इस देश की एक भाषा नहीं होगी तब तक एकता और एक संस्कृति नहीं हो सकती और यदि इस देश में एकता और एक संस्कृति नहीं होगी तब तक इस देश का भविष्य अंधकारमय रहेगा। एक ही सांस में हमें बताया जाता है कि प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति होनी चाहिये। कार्यसमिति के प्रस्ताव में कहा गया है कि यद्यपि अंग्रेजी के स्थान पर कोई अन्य भाषा रख दी जायेगी पर जहां तक प्रादेशिक भाषाओं का संबंध है केवल उनकी रक्षा ही नहीं की जायेगी, उनके अस्तित्व को ही नहीं रखा जायेगा, वरन् उनकी उन्नति भी की जायेगी। कार्यसमिति के प्रस्ताव में जो हाल ही में पारित हुआ था लिखा है:–

"प्रान्तों या राज्यों में, जहां अनेक भाषायें बोली जाती हैं, इनमें से कई भाषायें उन्नत हैं और उनका मूल्यवान साहित्य है। उनकी केवल रक्षा ही नहीं होनी

[श्री शंकरराव देव]

चाहिये, वरन् उनका और भी विकास तथा उन्नति होनी चाहिये और उनकी वृद्धि को रोकने वाली कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।"

मेरी समझ में नहीं आता कि ये दोनों बातें साथ-साथ कैसे हो सकती हैं। मेरे विचार में हम दो मन से बात कर रहे हैं। हम यह आशा नहीं कर सकते कि समूचे देश के लिये एक भाषा भी बना लें और साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति के लिये कार्य भी करें और यह भी कहें कि उनका अस्तित्व बना रहना चाहिये और राष्ट्रीय ढांचे अथवा जीवन में उनका स्थायी स्थान होना चाहिये। मैंने यह समझने का यथासम्भव प्रयत्न किया है कि ये दोनों बातें साथ कैसे हो सकती हैं पर मैं समझ नहीं सका। यदि आप सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं कि इस देश के लिये एक भाषा की आवश्यकता है तो सब प्रान्तीय भाषायें समाप्त हो जानी चाहियें चाहे उनका भूत कुछ हो, वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। इससे प्रादेशिक भाषाओं वालों को कम से कम पता लग जायेगा कि उनकी विद्यमान स्थिति क्या है और उन्हें स्वतन्त्रता-प्राप्ति से क्या लाभ हुआ है। यदि आप सचमुच यह चाहते हैं और ईमानदारी से यह कहते हैं कि ये प्रादेशिक भाषायें उन्नत होनी चाहियें और उन्हें हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिये तो आप एकता या संस्कृति के नाम पर एक भाषा के लिये नहीं कह सकते। यदि भविष्य में स्वभावतः इस देश में एक भाषा हो जानी है और अन्य प्रादेशिक भाषायें समाप्त हो जानी हैं, यदि यही भविष्य है, तो उसे रोकने वाला में कौन हूं, आप कौन हैं? किन्तु मैं किसी वर्ग को, किसी प्रदेश या किसी सरकार को, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, कोई ऐसा कार्य जानबूझ कर नहीं करने दूंगा, जिसके परिणामस्वरूप ये भाषायें भारत से लुप्त हो जायें। यदि उन्हें मरना है तो उन्हें अपनी मौत मरने दीजिये और कोई अश्रु नहीं बहाया जायेगा।

***अध्यक्षः** ऐसा सुझाव तो किसी ने नहीं रखा है।

***श्री शंकरराव देवः** मैं यह जानता हूं, श्रीमान्; यद्यपि यह सुझाव नहीं रखा गया है, पर कार्य ऐसे हैं कि इस प्रकार का संदेह है या भावनायें हैं। आप मुझे क्षमा करें यदि मेरी भी ऐसी भावना हो, क्योंकि आखिर इस सदन की अपील देश में, लोगों में और विश्व में पहुंचती है कि एकता के लिये, संस्कृति के लिये हमारी भाषा एक होनी चाहिये। यदि ऐसी बात नहीं है तो हमें सुनिश्चित बात कहनी चाहिये। अंग्रेजी का स्थान लेने वाली इस भाषा के क्या कृत्य होंगे? इस मामले में भी कार्य समिति का प्रस्ताव सुस्पष्ट है।

***अध्यक्षः** मेरे विचार में वे ही कृत्य होंगे जो अंग्रेजी के थे।

***श्री शंकरराव देवः** नहीं, यह भी नहीं।

***अध्यक्षः** जहां तक मैं समझ सकता हूं प्रस्ताव में तो यही बात है।

***श्री शंकरराव देवः** अंग्रेजी में बहुत से कृत्य होते थे जो अब मैं उसमें रखना नहीं चाहता। यदि आप कुछ देर तक सुनेंगे तो श्रीमान्, मैं समझा दूंगा।

जो भाषा अंग्रेजी का स्थान लेगी उनके कुछ सुनिश्चित कृत्य होंगे। जैसाकि मैंने कहा है वे कार्यसमिति के प्रस्ताव में उल्लिखित हैं:–

> "अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिये एक राज्य भाषा होगी जिसमें संघ का काम होगा। वही प्रान्तीय और राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार की भाषा होगी। केन्द्र के समस्त अभिलेख उसी भाषा में रखे जायेंगे और वहीं अन्तर्प्रान्तीय, अन्तर्राज्यिक वाणिज्य और पत्र-व्यवहार की भाषा रहेगी।"

अंग्रेजी का स्थान लेने वाली भाषा के ठीक ये ही कृत्य बताये गये हैं। संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है, एकता का कोई उल्लेख नहीं है; यह बात नहीं है कि मैं इस देश में एक संस्कृति के विकास के विरुद्ध हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि 'एक संस्कृति' इस नारे में भयानक आशय सन्निहित है। 'संस्कृति' शब्द का ही भयानक आशय है। किसी को उसका अर्थ ठीक-ठीक पता नहीं है। रा. स्व. संघ के प्रधान संस्कृति के नाम से अपील करते हैं। कुछ कांग्रेसी भी संस्कृति के नाम से अपील करते हैं। कोई हमें नहीं बताता कि इस 'संस्कृति' शब्द का ठीक-ठीक अर्थ क्या है। आज जैसा कि इसका निर्वचन किया जाता है और उसे समझा जाता है, उसका अर्थ केवल कुछ लोगों का अनेकों पर आधिपत्य होता है। अत: कार्यसमिति के प्रस्ताव में, संस्कृति का उल्लेख नहीं है, एकता का उल्लेख नहीं है। यह बात नहीं है कि हम देश के लिये एक संस्कृति नहीं चाहते। पर हमें इसे मिश्रित संस्कृति कहना चाहिये, फिर भारतीय संस्कृति के विविध अंगों को इस मिश्रित संस्कृति के विकास में अंशदान देने का समान अवसर प्राप्त होगा। यदि आप एक संस्कृति के लिये इस देश से अपील करते हैं तथा उस पर हठ करते हैं तो मेरे लिये इसका अर्थ भारत की आत्मा का हनन है।

यदि मैंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म और भारतीय आध्यात्मिक परम्पराओं को समझने का प्रयत्न किया है, तो वह एकरूपता नहीं है, वरन् विविधता में एकता हैं भारत विविधता का पोषक है। यही हमारी उच्चता है, यही अंशदान भारत विश्व-संस्कृति और विश्व-प्रगति में कर सकता है। मैं देश की एकता में बाधा डाले बिना या उसका हनन किये बिना, संस्कृतियों की विविधता, विभिन्न भाषाओं को बनाये रखना चाहता हूं। अत: जब लोग 'राष्ट्र-भाषा' शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेरा हृदय प्रसन्न नहीं होता। मैं स्वीकार करता हूं कि भारत एक राष्ट्र है और मैं भारतीय हूं, पर यदि आप मुझे पूछें, "आप की भाषा क्या है", श्रीमान्, मुझे आप क्षमा करें मैं कहूंगा "मेरी भाषा मराठी है।" मैं तो उनमें से हूं जो यह बल देते रहे हैं कि अंग्रेजी का स्थान लेने वाली भाषा को 'राष्ट्रभाषा' नहीं कहना चाहिये। यदि राष्ट्रभाषा से आपका आशय समस्त देश के लिये एक भाषा से है तो मैं इसके विरुद्ध हूं। मैं यह सर्वथा स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत एक राष्ट्र है और मैं भारतीय हूं पर मेरी भाषा मराठी है।

***एक माननीय सदस्य:** मेरे मित्र एक काल्पनिक प्रयोजन के विरुद्ध प्रलाप कर रहे हैं।

***श्री शंकरराव देव:** कुछ लोगों में तो कल्पना का भी अभाव है।

***अध्यक्ष:** मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सदन को काल्पनिक वाद-विवाद में नहीं घसीटेंगे।

***श्री शंकरराव देव:** अतएव इस भाषा के कृत्यों को स्पष्ट कर देना चाहिये। यह भाषा या तो राज्य-भाषा होगी या संघ-भाषा होगी या संघानीय भाषा होगी क्योंकि हमने अपने देश के लिए संघान व्यवस्था स्वीकार की है। हमारे यहां स्वायत्तशासी राज्य हैं और इसलिये राज्यों में अपनी-अपनी भाषायें होंगी, और जैसाकि मैं कह चुका हूं कार्यसमिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य भाषा के क्या कृत्य होंगे।

अब मैं अगली बात पर आता हूं। यहां मेरे कई मित्रों को पता है कि जब इस प्रश्न पर कहीं अन्यत्र प्रथम वार वाद-विवाद हुआ था तो मैं उनमें से था जिन्होंने यह तर्क किया था कि यह राज्य भाषा हिन्दी की बजाय हिन्दुस्तानी कहलानी चाहिये। यह बात नहीं है कि हम हिन्दी के विशेष विरुद्ध हैं, पर कांग्रेसी होने के नाते हमें यह विश्वास हो गया और हमें महात्मा गांधी ने यही सिखाया था कि यदि जनसाधारण को स्वतन्त्रता का उपभोग करना है, तो देश की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसे वे समझ सकें। तभी आजादी का उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है और वे राष्ट्र निर्माण में अंशदान दे सकते हैं। अत: कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी को, अपनी भाषा स्वीकार किया और वह चाहती थी कि राज्य भी उसी नाम को, नाम को ही नहीं उसके अर्थ को स्वीकार करे। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि किसी सभा में या समाज में किसी की सारी बात नहीं चल सकती, अत: मैं हिन्दी के लिये सहमत हो गया हूं जब कि उसके अर्थ को अब परिभाषित कर दिया गया हैं मैं हिन्दुस्तानी चाहता था, क्योंकि मैं अनुभव करता था कि उस हालत में नई भाषा के निर्माण में कोई निर्बन्धन नहीं होंगे और कोई विशेष अधिकारी वर्ग नहीं होंगे।

जिन्होंने गत दो दिनों के वाद-विवाद को ध्यान से सुना है उन्होंने समझ लिया होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने में कठिनाई कैसे उपस्थित हो गई। वे उन पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? उनकी एक आपत्ति यह है कि वे हिन्दी के नहीं हैं। वे कहते हैं "क्योंकि आप हिन्दी स्वीकार कर रहे हैं, अत: आपको हिन्दी अंक भी स्वीकार करने होंगे।" उन्होंने केवल यही नहीं मान लिया है कि हमने हिन्दी स्वीकार कर ली है, प्रत्युत यह भी मान लिया है कि हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में चलने वाली हिन्दी को स्वीकार कर लिया है, इसलिये वे अपनी इच्छानुसार हमें यह बतायेंगे कि हिन्दी क्या है।

मैं अपने आपको इन निर्बन्धनों से स्वतन्त्र करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यह बताये कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी क्या है। यह सभा निश्चित करेगी कि हम किसे पसन्द करेंगे। कोई आकर यह नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस सभा को कोई आदेश नहीं दे सकता। हम अपनी भाषा पसन्द करेंगे और उसका नाम भी पसन्द करेंगे। आप यह नहीं कह सकते "यदि हिन्दी नहीं है।" उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य भारत आदि हिन्दी और हिन्दी अंकों को रख सकते हैं। वे अपनी भाषा को अपनी आत्मीयता के अनुसार ढाल सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार इन अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि केन्द्रीय सरकार उनका प्रयोग नहीं करेगी।

मैं अपने मित्रों को स्मरण कराना चाहता हूं कि वे धोखे में हैं यदि वे समझते हैं कि हमने उनकी भाषा को स्वीकार कर लिया है और हम उसे उनके नमूने पर बनाने जा रहे हैं। इसलिये एक विशेष निदेश है कि राज्य द्वारा स्वीकृत हिन्दी भाषा कैसी होगी। मैं जानता हूं कि मेरे उत्तर भारतीय मित्र इस पर बहुत प्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने कहा है "यदि आप ऐसा चाहते हैं तो रख लीजिये।" उन्होंने कहा "यदि आप चाहते हैं तो हम आपको सन्तुष्ट करने के लिये तैयार हैं" किन्तु फिर उन्होंने उसे भाषा के अध्याय में नहीं रखा, वरन् निदेशों के अध्याय में रख दिया।

***पं. बालकृष्ण शर्मा** (युक्तप्रान्त : जनरल): क्या आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को, जो बोल रहे हैं, यह बता दूं कि निदेश हमने नहीं दिया है मसौदा समिति ने दिया है?

***श्री शंकरराव देव:** मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि मुझे पण्डित नेहरू का कृतज्ञ होना चाहिये कि उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यह निदेश या यह परिभाषा भाषा संबंधी अध्याय में रखी जानी चाहिये।

***पं. बालकृष्ण शर्मा:** कदापि नहीं।

श्री शंकरराव देव: वे नहीं कहते तो यह काम इतनी सुगमता से नहीं हो सकता था। मेरी यह राय है। हो सकता है मैं गलत होऊं। किन्तु मैं सदन का ध्यान विशेषत: इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता था। उस निदेश में लिखा है:

> "It shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi and to develop the language so as to serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India."
>
> [हिन्दी की प्रसार-वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके संघ का कर्तव्य होगा।]

भारत की "सामाजिक संस्कृति" बहुत उम्दा शब्द है। किन्तु मुझे भय है—और भय युक्तिसंगत नहीं होते, साधारणत: वे अयुक्तियुक्त होते हैं किन्तु मनुष्य के जीवन में उनका महत्वपूर्ण भाग होता है—कि इन शब्दों का आशय है कि हमें ऐसी भाषा बनानी चाहिये जिसमें भारत की ये सब विविध संस्कृतियां अभिव्यक्त हों। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि अन्ततोगत्वा आप हमसे ऐसी भाषा का विकास करने के लिये कहते हैं जिसमें समस्त संस्कृति, धर्म और हमारा जीवन कार्य अभिव्यक्त होगा। यदि यह होना है तो इतना स्वभावत: होना चाहिये कि हमें कोई कष्ट या दर्द अनुभव न हो।

[श्री शंकरराव देव]

मेरे उत्तर प्रदेशीय तथा बिहारी मित्रों को समझ लेना चाहिये कि हमें क्या करने के लिये कहा गया है। मैं आपसे घुटने टेक कर अनुरोध नहीं करना चाहता—मुझे ऐसी आदत नहीं है। पर मैं आपकी बुद्धि से अनुरोध करना चाहता हूं। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमसे राष्ट्र कुछ मांग रहा है। और हम उसे देने के लिए तैयार हैं। आखिर जब समय आयेगा तब हमें एक भाषा स्वीकार करनी पड़ेगी और अन्य भाषायें शायद पृष्ठभूमि में ही चली जायें। यदि और जब यह होगा, मैं तैयार हूंगा। किन्तु यदि आप मेरी आशंकाओं को मिटाना चाहते हैं, यदि आप मेरा हार्दिक सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिससे मेरे सन्देह जाग जायें और मेरी आशंकायें दृढ़ हो जायें।

श्रीमान्, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता था कि हमें विवेक से काम लेना चाहिये। हमें सन्देह या आशंका का कारण उत्पन्न नहीं करना चाहिये। क्योंकि, यद्यपि सन्देह और आशंकायें अयुक्तियुक्त होती हैं, पर फिर भी हमारे कार्यों का निश्चय उन्हीं से होता है। अतः मैं अपने मित्रों से, जो हिन्दी के समर्थक हैं, अपील करना चाहता हूं कि वे स्थिति को स्पष्ट समझें। हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि हम किसी संस्कृति या भाषा विशेष को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम भाषा का स्वतन्त्र चुनाव कर रहे हैं।

आखिर इस समय क्या दावा किया जा रहा है? दावा यह है कि यह भाषा बहुमत द्वारा बोली जाती है—मुझे उस पर भी विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं कि जब मैं राजेन्द्र बाबू पर जाता हूं और जब बिहार के लोग उनके पास आते हैं तब वे हिन्दी नहीं बोलते। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो टण्डन जी भी घर पर हिन्दी नहीं बोलते। अतः जब आप कहते हैं कि हिन्दी को देश में अधिकांश लोग बोलते हैं तो मुझे सन्देह होता है। मैं तो यही मान सकता हूं कि इसे शायद अधिकांश लोग समझते हैं, और वे भी वर्तमान उच्च संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को नहीं समझते जिसे केवल पण्डित ही समझते हैं। जैसा गांधी जी ने कहा था वह सरल भाषा होनी चाहिये जिसे उत्तर के गांवों में लोग समझ सकें। जैसे हम मराठी बोलते हैं, दूसरे तमिल या तेलुगु बोलते हैं। हिन्दी को 14 करोड़ व्यक्ति नहीं बोलते।

यदि कल ऐसा हो जाये कि राजधानी यहां से मदुरा या त्रिवेन्द्रम ले जाई जाये, मैं कह नहीं सकता कि 50 वर्ष के पश्चात् इस देश के बहुमत की भाषा तमिल या तेलुगु नहीं बन जायेगी। आखिर दक्षिण से लोग उत्तर को आते हैं, भाषा के लिये नहीं, हिन्दी से प्राप्त होने वाली संस्कृति के लिए नहीं, वरन् अपनी आजीविका के लिये आते हैं। मैं हिन्दी की संस्कृति या उच्चता को कम नहीं करना चाहता, किन्तु जहां तक संस्कृति का संबंध है, मैं उसे अपनी भाषा मराठी से, और सब भाषाओं की दादी संस्कृत से भी सीख सकता हूं। वे इसके लिये पूरी तरह सम्पन्न हैं।

हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी को इसलिये स्वीकार नहीं किया था कि वह शासकों की भाषा है, अपितु उन्हें विश्वास था जैसा जवाहरलाल जी ने कहा था कि इससे उनके लिये नये जगह का मार्ग खुल जायेगा। उन्होंने सोचा कि इससे उनका बाह्य

जगत से और उसकी कार्यवाहियों से निकट सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। आज भी कोई भारतीय भाषा यह दावा नहीं कर सकती। कदाचित् कल हमारी कुछ भाषायें ऐसा दावा कर सकेंगी। अतः ठीक या गलत, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी को उसकी उच्चता के कारण स्वीकार किया था।

लोग दक्षिण से आते हैं और हिन्दी बोलते हैं क्योंकि वे यहां रोटी के लिये आते हैं। आखिर लोग रोटी के लिये ही लड़ते हैं। पन्द्रह या दस वर्षों के लिये अंग्रेजी रखने पर इतना विवाद क्यों है? किसी भाषा को सीखने की कठिनाई के अतिरिक्त, लोगों को भय है कि सचिवालय में तथा कार्यालयों में उन्हें पीछे धकेल दिया जायेगा, अधिक अच्छे लोगों द्वारा नहीं, वरन् इस कारण कि वे एक भाषा विशेष में पिछड़े हुये हैं। मेरे मित्र पण्डित शुक्ल ने दाक्षिणात्य भाइयों की बहुत प्रशंसा की है अतएव मुझे उनकी ओर से कोई दावा करने की आवश्यकता नहीं है।

***एक माननीय सदस्यः** कृपया ध्वनियंत्र में बोलिये। हम आपकी आवाज सुन नहीं सकते।

***श्री शंकरराव देवः** मुझे खेद है; मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे ध्वनियंत्र की आदत नहीं है।

श्रीमान्, मैं कह रहा था कि आज यह संस्कृति का या धर्म या परम्परा का प्रश्न नहीं है वरन् रोटी और नौकरियों का प्रश्न है। और यदि आज हिन्दी का इतना मूल्य है और लोग इसे अन्य भाषाओं से अधिक चाहते हैं तो यह बात नहीं है कि यह अन्य भाषाओं से उच्चतर है, वरन् यह नौकरी पाने का एक साधन है। जब मैं यहां आता हूं तो मराठी नहीं बोल सकता, केवल महाराष्ट्र क्लब में बोल सकता हूं किन्तु इससे मुझे नौकरी नहीं मिल सकती।

लोग हमसे आकर कहते हैं "आप ऐसी छोटी सी बात पर क्यों लड़ रहे हैं? आखिर, आप 95 प्रतिशत दे चुके हैं। पांच प्रतिशत और क्यों नहीं दे देते?" मैं सब स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है। लोगों की गलत धारणा प्रतीत होती है कि हम 95 प्रतिशत मान गये हैं अतः हमें 5 प्रतिशत और मान जाना चाहिये। मैंने इस भाषा को स्वीकार कर लिया है क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि मुझे इस भाषा को ढालने की पूरी स्वतन्त्रता और पूरा अवसर मिले क्योंकि इस भाषा का मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। मैं तो उनमें से हूं जो इस सुझाव का समर्थन करना चाहते हैं कि अंग्रेजी भी उन भाषाओं में होनी चाहिये जिनका उल्लेख अनुसूची में किया जायेगा।

श्रीमान्, प्रादेशिक भाषाओं की सूची में, यदि आप देखेंगे तो, आपको हिन्दी का उल्लेख मिलेगा। अतः आज हिन्दी को प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया जाता है। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु कृपया हमारी कठिनाई को समझिये। आप हिन्दी को प्रादेशिक भाषा रखना चाहते हैं और साथ ही उसे संघ की अथवा राज्यभाषा बनाना चाहते हैं। उससे आपकी स्थिति उच्चतर हो जाती है। आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप यह नहीं चाहते; पर फिर भी ऐसा होता है और आप इसे रोक नहीं सकते। आपको स्वीकार करना होगा कि चाहे कोई व्यक्ति हिन्दी या हिन्दुस्तानी या किसी अन्य भाषा को कितना ही सीख ले,

[श्री शंकरराव देव]

जब तक वह उसकी मातृभाषा नहीं है, जब तक वह उसका 24 घंटे प्रयोग नहीं करता है, वह उसमें पारंगत नहीं हो सकता। और जब तक वह उसमें पारंगत न हो जाये, उसे सचिवालय या किसी अन्य क्षेत्र में अच्छा या उच्च पद प्राप्त नहीं हो सकता। मैं अपने दाक्षिणात्य भाइयों की कठिनाई को जानता हूं। जब से हमारी राष्ट्रीय संस्था में अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा मिट गई है, तब से वे कार्यवाही को लगभग देखते ही रहते हैं और उन्हें हाथ उठाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। मैंने अंग्रेजी सीखी हैं पर मैं जानता हूं कि उस सीखने का क्या अर्थ है। उससे तो मैं उस भाषा के कुछ शब्द केवल बोल लेता हूं। परन्तु यदि मुझे देश का प्रशासन करना हो, तथा पद बनाये रखना हो, तो सीखने का अर्थ उस भाषा में पारंगतता होनी चाहिये; उसके लिये बहुत वर्ष अपेक्षित हैं।

***माननीय सदस्यगण:** माननीय सदस्य दाहिनी ओर भी सम्बोधित करें। हम उनकी आवाज सुन नहीं सकते।

***अध्यक्ष:** अब वे समाप्त कर चुके हैं।

***श्री शंकरराव देव:** मुझे खेद है। मैं यहां पहली बार बोल रहा हूं, मैं इस पाठ को सीख लूंगा और यहां बहुधा आने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का तथा कालावधि का प्रश्न है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस सदन के किसी सदस्य को यह भावना नहीं रखनी चाहिये कि वह कुछ दे रहा है और हम कुछ ले रहे हैं। यह दान नहीं है। हम इस सदन में भिखारी नहीं हैं। प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार और सबकी समान स्थिति होनी चाहिये। हम सब मिलकर ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो हम सबके लिये अत्यन्त आवश्यक है। अत: जब हम कहते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को रहने दीजिये, तो हमारी बात का गलत अर्थ मत समझिये। क्या आपको पता है कुछ मित्र नागरी लिपि के साथ कैसा क्या कर रहे हैं और कैसी गड़बड़ कर रहे हैं, जो जानते हैं और कहते हैं कि मुद्रण-सुलभता, यंत्रलेखन आदि के लिये उसमें परिवर्तन होना चाहिये। क्या आपको पता है कि विनोबा भावे देवनागरी को कैसे लिखते हैं? यदि मेरे कुछ हिन्दी मित्र उसे देखेंगे तो वे रोयेंगे; वे उसे अपनी मातृभाषा स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे स्वयं उस पर दु:ख होता है। जब मैं बिनोबा भावे के लेख को पढ़ता हूं, तो मैं पूछता हूं: क्या यह देवनागरी है?

इस परिवर्तन के समर्थक कहते हैं कि देवनागरी हट जायेगी और रोमन लिपि आ जायेगी। मुझे पता नहीं है कौन-सी अधिक अच्छी है या उच्चतर है। किन्तु आज आप अंकों के लिये लड़ रहे हैं। कल आप लिपि के लिये लड़ेंगे, और आप कहेंगे यह हमारी लिपि है और कोई इसे बदल नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे? क्या हम आपसे अनुरोध करेंगे और भिक्षा मांग कर कहेंगे "क्या आप हमें यह परिवर्तन करने देंगे?" नहीं, श्रीमान्। यदि आप इस गलत धारणा पर चलते हैं कि आप हमें कुछ वस्तु दे रहे हैं और हमारा कर्तव्य है कि उसे उसी रूप में बनाये रखें जैसे आपने हमें दी है, और उसके ठीक या गलत होने के विषय में आपका मत निर्णायक होगा, तो कृपया उस ख्याल को छोड़ दीजिये।

***पं. बालकृष्ण शर्मा** (बलपूर्वक): यह सब किसने कहा है?

***अध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आवेश में न आयें। ऐसे मामले पर आवेश में आने से कोई लाभ नहीं है।

***पं. बालकृष्ण शर्मा** (अधिक बलपूर्वक): मैं उनके कथन का विरोध करना चाहता हूं जो सर्वथा काल्पनिक हैं। श्री शंकर राव देव काल्पनिक प्रेतों की रचना करके उनका हनन कर रहे हैं। मैं उनकी रणवीरता की प्रशंसा कर सकता हूं पर इस प्रकार उनकी युक्तियों के प्रति आदर उत्पन्न नहीं हो सकता।

***अध्यक्ष:** यह भी कोई कारण नहीं है।

***श्री शंकरराव देव:** मेरे माननीय मित्र किसी मूर्ख को अपनी कल्पना-क्रीड़ा करने दें। इससे कोई हानि नहीं है। यदि यह इतनी काल्पनिक बात है, और यदि उससे उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन्हें इतना क्रोध क्यों है? उन्हें इतना क्रोध है और उन्हें आवेश आ गया है, उसी से पता लगता है कि मैंने जो कुछ कहा है उससे उनका मर्म स्पर्श हुआ है।

***पं. बालकृष्ण शर्मा** (बहुत बलपूर्वक): मैं इस बात का विरोध करता हूं कि....

***अध्यक्ष:** मुझे भय है कि यह बात ठीक नहीं है और माननीय सदस्य को आवेश में नहीं आना चाहिये, यदि वे इस सदन में बैठना चाहते हैं।

***पं. बालकृष्ण शर्मा:** आप चाहें तो मैं चला जा सकता हूं।

***अध्यक्ष:** किसी को आवेश में आने का अधिकार नहीं है।

***श्री शंकरराव देव:** मुझे खेद है कि मैंने जो कुछ कहा है उस पर एक मित्र को आवेश आ गया है। हमें अपनी कल्पना से भी काम लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये जब तक कि वह असंसदीय न हो। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मेरे विचार में ये काल्पनिक बातें नहीं हैं। मैं इस विवाद को ध्यानपूर्वक देखता रहा हूं और मैं उनमें से हूं जो चाहते हैं कि यह सदन किसी एकमत विनिश्चय पर पहुंच जाये और मैं अनुभव करता हूं कि जब तक सब बात स्पष्ट न कर दी जाये और लोगों का सब भ्रम न मिटा दिया जाये, तब तक एकता नहीं हो सकती, जो इतनी अपेक्षित है और जिसे सब चाहते हैं। यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि यह संविधान सभा एक भाषा निश्चित कर रही है जो राज्य के लिये होगी, संघ के लिये होगी, जो किसी वर्ग या किसी धर्म के लिये नहीं होगी।

***अध्यक्ष:** आपने यह बात अनेक बार स्पष्ट कर दी है।

***श्री शंकरराव देव:** अब मैं अपने संशोधनों का निर्देश दूंगा। मुझे आशा है मेरे मित्र समझ जायेंगे कि पन्द्रह वर्ष पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर स्वत: हिन्दी या वह भाषा हो जानी चाहिये जिसे हम राज्य-भाषा चुनेंगे। किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

[श्री शंकरराव देव]

कुछ दाक्षिणात्य मित्र मेरे से सहमत नहीं हैं। मैं यह भी समझ सकता हूं। पर यह मेरी भावना है और यहां मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि वे उस आवाज को सुनें जिसे 30 वर्ष से सुनने का हमें अभ्यास है। वह आवाज कहती है: "यदि सरकारें और उनके सचिव सावधानी नहीं बरतेंगे, तो सम्भव है अंग्रेजी भाषा हिन्दुस्तानी का स्थान हड़प ले" (गांधी जी तो हिन्दुस्तानी ही चाहते थे।) "इससे करोड़ों भारतीयों को, जो कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकेंगे बहुत अधिक हानि होगी। निश्चय ही प्रान्तीय सरकारों के लिये यह बिल्कुल आसान बात होनी चाहिये कि वे एक प्रान्तीय भाषा और एक अन्तर्प्रान्तीय भाषा को स्वीकार करें, जो मेरे विचार में नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी ही होनी चाहिये।"

मैं चाहता हूं सदन इस स्थिति को स्वीकार कर ले।

***श्री सतीशचन्द्र** (युक्तप्रान्त : जनरल): कृपया पूरा वाक्य पढ़िये।

***श्री शंकरराव देव:** मैं कण्डिका के अंत तक पढ़ चुका हूं। यदि मैंने कोई गलती की है तो आप अपनी बारी आने पर मुझे ठीक कर सकते हैं। मेरी बात के लिये जो कुछ संगत था वह मैंने पढ़ दिया है.....।

***श्री सतीशचन्द्र:** आप इसी लेख की अन्य कण्डिका को पढ़ सकते हैं जिसमें गांधी जी ने इस सम्भावना का सुझाव दिया है कि केवल नागरी लिपि में हिन्दी को ही भारत की राज्यभाषा स्वीकार किया जाये।

***श्री शंकरराव देव:** मैंने पहली कण्डिका को पूरी तरह पढ़ दिया है क्योंकि पत्र मेरे पास है। मैं इसी के आधार पर बोल रहा हूं। 15 वर्ष पश्चात् अंग्रेजी राज्य की भाषा स्वत: नहीं रहेगी। उसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अंग्रेजी को आगे प्रयोग करने की या किसी सुनिश्चित विशिष्ट प्रयोजन के लिये काम में लेने की मनाही है।

मैं समाप्त कर चुका हूं, पर एक वाक्य है जिसे मैं यथाशक्य पूर्ण गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं। मैं प्रवीण वक्ता नहीं हूं। मैं यहां पहली बार बोलने आया हूं। यदि मेरे द्वारा कहे गये शब्द या भाव किसी को पसन्द नहीं आये हैं तो मुझे खेद है और मेरे मित्र मेरी इस क्षमाप्रार्थना को स्वीकार करें। मैं समूचे सदन से भी अपील करता हूं कि जहां तक सम्भव हो हमें विभाजन नहीं होने देना चाहिये। हमें इस प्रश्न पर इस सदन को विभाजित नहीं करना चाहिये क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि यहां विभाजन हो और हम रोते हुये अथवा दु:खी हृदयों से इस सदन से जायें, तो मुझे भय है कि इस संविधान का क्रियान्वित होना और जनसाधारण की आवश्यकताओं का पूरा तथा स्वतन्त्रता का सफल होना बहुत कठिन कार्य हो जायेगा। अत: मैं अपने सब मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे वे दक्षिण के हों या उत्तर के या पूर्व या पश्चिम या केन्द्र के हों। मेरा अनुरोध सबसे है। मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगर का संशोधन आदर्श संशोधन नहीं है; फिर भी यही एक सूत्र है जिस पर मतक्य सम्भव है।

***सरदार हुकम सिंहः** श्रीमान्, वातावरण बहुत खिंचावपूर्ण है और तेजी की बातें हो चुकी हैं और मुझे आशा है कि मैं अपनी हल्की आवाज से वातावरण को शान्त बना दूंगा, यद्यपि मुझे भय है कि श्री शंकर राव देव की बात को धैर्यपूर्वक नहीं सुना गया है अतः मेरी वक्तृता में भी बाधा डाली जा सकती है। किन्तु मुझे आशा है कि मुझ पर अधिक अनुग्रह किया जायेगा, क्योंकि यदि मैं किसी विवादास्पद बातों में भी पड़ूंगा तो मेरी हल्की आवाज और भी धीमी हो जायेगी। बहुत से संशोधन हैं पर मैं 323 और 330 पर ही बोलूंगा।

मेरा संशोधन सं. 323 यह है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी के स्थान पर रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी होनी चाहिये। इसी को पहले एक सुविख्यात विद्वान तथा प्रसिद्ध सदस्य श्री सुब्बारायन भी पेश कर चुके हैं। जो बातें पहले ही कही जा चुकी हैं उन्हें मैं फिर नहीं दोहराऊंगा पर मुझे उसके विषय में कुछ कहना अवश्य है।

मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त की थी और मुझे फारसी तथा संस्कृत दोनों में एक विषय चुनना था तब मैंने संस्कृत चुनी थी और मुझे उसका बहुत शौक हो गया था। मैंने मैट्रिक तक उसे पढ़ा था। इस सदन का सदस्य चुने जाने के पश्चात् भी और जब यह प्रश्न सर्वप्रथम यहां उठा था तब कई सदस्यों ने मुझसे परामर्श लिया था और मैंने देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण समर्थन किया था। यहां इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मैं यही समझता था कि इस देश की राष्ट्रभाषा था लिंगुआ फ्रैंका, बनने योग्य कोई अन्य भाषा है ही नहीं।

समय के साथ मैंने अपना मत बदल लिया है। इस हिन्दी के कट्टर समर्थकों के कारण मेरी सहानुभूति उनके साथ नहीं रही है और मुझे कहना होगा कि मैं श्री एन्थनी से सहमत हूं। मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का समर्थन करना इसलिये बन्द कर दिया है कि उसके समर्थक बहुत कट्टर हैं और असहिष्णु हैं। जैसा मैं हिन्दी का समर्थन करता था तो मैं समझता था कि वह जनसाधारण की भाषा है जिसे वे बोल सकते हैं और समझ सकते हैं और उनके कानों को मीठी लगती है। निःसंदेह मैं अब भी उस भाषा का समर्थक हूं।

किन्तु जब मैंने हिन्दी के कट्टर समर्थकों को लोक मंचों पर तथा इस सदन में भाषण देते सुना है, तो मुझे भय है कि वे भाषा को अन्य भाषा से शब्द ग्रहण करके उन्नति नहीं करने देना चाहते और उसे सामान्य भाषा के समान विकसित नहीं होने देना चाहते, वरन् वे उसे संस्कृतनिष्ट भाषा बना कर अपना एकाधिपत्य रखना चाहते हैं। मैं इसे फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं संस्कृत के विरुद्ध नहीं हूं और यदि उसे ही सीधे अपना लिया जाये तो मैं उसका समर्थन करने के लिये तैयार हूं। किन्तु मैं देखता हूं कि सदन उसे नहीं रखना चाहता, अतः मैं कहता हूं कि हमें ईमानदारी से कह देना चाहिये कि क्या हम एक साहित्यिक भाषा को अपना कर उसका नाम हिन्दी रखना चाहते हैं या हम उस भाषा को रखना चाहते हैं जिसे अधिकांश जनता सामान्यतः समझती है और बोलती है।

[सरदार हुकम सिंह]

विभाजन से पूर्व उर्दू और हिन्दी में राष्ट्रभाषा बनने के लिये बहुत द्वन्द्व था। यदि मैं यह कह दूं तो ये दो कट्टरतायें थीं। उर्दू में फारसी और अरबी में से शब्द लिये जाते थे और हिन्दी में संस्कृत से। अतः दोनों में विरोध था। मेरा तो यह विश्वास है कि इसी कारण एक सामान्य भाषा बनाने का प्रयत्न किया गया था और उसका नाम हिन्दुस्तानी रखा गया था। फिर हमारे कुछ सदस्यों तथा बाहर के लोगों के मन में आशंका थी कि हिन्दुस्तानी शायद उर्दू का ही दूसरा नाम होगा। मेरी तुच्छ सम्मति में यह आशंका अब नहीं रही। विभाजन के पश्चात् ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम जो भाषा स्वीकार करेंगे वह इतनी अबाध रूप से फारसी और अरबी से शब्द लेगी। हां, उनसे शब्द लेने का वर्जन नहीं होगा, किन्तु अब ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वे मुख्य स्रोत रहेंगे। किन्तु वह आशंका हट जाये तो दूसरी आशंका है। उस भाषा के फारसीनिष्ट या अरबीनिष्ट बनने का भय नहीं है तो दूसरा भय है कि उस भाषा का नाम हिन्दी रख दिया जाये पर वह संस्कृतनिष्ट हो। अतः हम उस भय को भी दूर करना चाहते हैं और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी भाषा को हिन्दुस्तानी कहें, जिसे हमारे अधिकांश लोग समझ सकें, और हिन्दी न कहें जिसमें उपर्युक्त भय है। इसी कारण मैंने प्रस्ताव किया है कि वह हिन्दुस्तानी हो।

फिर मैं लिपि पर आता हूं। मैं उन युक्तियों को नहीं दोहराऊंगा जो पेश हो चुकी हैं, अपितु मैं रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी के पक्ष में केवल चार पांच युक्तियां दूंगा:

(1) रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी सब सशस्त्र बलों में अनिवार्य है और सब लोगों के लिये उसे सीखना सुविधाजनक है चाहे वे उत्तरीय हों चाहे दाक्षिणात्य।

(2) जनता का एक बड़ा अंश है जो रोमन लिपि में अधिक दक्ष है।

(3) जब तक आमूल चूल परिवर्तन न किया जाये, तब तक देवनागरी लिपि मुद्रण के लिये अनुपयुक्त माध्यम होगी।

(4) रोमन लिपि में कुछ बिन्दु आदि जोड़कर हमारे प्रयोजन के उपयुक्त बनाया जा सकता है। स्थानों के नामों, रेलवे टाइम टेबल, तार लिपि आदि में गड़बड़ नहीं होगी।

(5) सब से महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे हमारा बाह्य जगत से संबंध बना रहेगा और इस संबंध में श्री सुभाष चन्द्र बोस का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया था।

(6) मेरी अन्तिम युक्ति यह है कि इससे वह विरोध भी समाप्त हो जायेगा जो इस सदन में दिखाई देता है और हमारे दाक्षिणात्य मित्र भी भाषा को आसानी से सीख सकेंगे।

फिर मैं अपने द्वितीय संशोधन सं. 330 को लेता हूं।

जहां तक प्रादेशिक भाषाओं का संबंध है, यह लिखा है कि:

"subject to the provisions of 301D and 301E, a State may by law adopt any of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all official purposes of that State."

[301घ और 301ङ के अधीन, कोई राज्य विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी को या हिन्दी को राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में स्वीकार कर सकता है।]

मेरे संशोधन में यह है कि–

"subject to the provisions of 301D and 301E, a State shall by law adopt the language spoken, according to the last census figures available for the purpose by the majority of the population as the language to be used for all official purposes of that State."

[301घ और 301ङ के उपबन्धों के अधीन, राज्य विधि द्वारा उस भाषा को उस राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है जो भाषा, उस प्रयोजन के लिये उपलब्ध अन्तिम जनगणना अंकों के अनुसार, अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो।]

हमारे कुछ माननीय सदस्यों को यह बात विचित्र दिखाई दे सकती है पर पंजाब एक विचित्र ही प्रान्त है। पंजाब में यह प्रश्न अन्तर्प्रान्तीय या अन्तर्प्रदेशीय नहीं है, प्रत्युत साम्प्रदायिक प्रश्न है। यह विभाजनपूर्व के समय की देन है। यदि हम 1931 और 1941 की जनगणना रिपोर्टों को देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उन प्रतिवेदनों के जनगणना आयुक्तों से यह स्पष्ट होगा कि बहुत सम्मानित और आदरणीय लोगों ने एक भाषा या दूसरी भाषा को चुनने के आवेश में अशुद्ध उत्तर दिये थे। जो लोग उर्दू को अपनी भाषा बनाना चाहते थे, पर पंजाबी बोलते थे, उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी मातृभाषा उर्दू है। इसी प्रकार उसके प्रत्युत्तर में दूसरी ओर का उत्तर यह था कि उनकी भाषा हिन्दी थी, जब कि वे पंजाबी ही बोलते थे और वही जानते थे। इन परिस्थितियों में, जो अंक एकत्र किये गये थे वे गलत थे और जनगणना आयुक्त को वह प्रयत्न छोड़ देना पड़ा और उसे छोड़ देने की सिफारिश की।

यही कारण था कि 1941 में ये अंक बिल्कुल एकत्र नहीं किये गये। मेरा निवेदन यह है कि गलत उत्तर देने तथा अपनी मातृभाषा को स्वीकार न करने की यह साम्प्रदायिकता विगत की बपौती है और वह विभाजन के पश्चात् भी शेष

[सरदार हुकम सिंह]

है। यदि यह राज्यों पर छोड़ दिया जायेगा—मैं विशेषत: पंजाब की बात कर रहा हूं—कि वे ऐसी भाषा चुनें जो राज्य विधान-मण्डल चाहे, तो भय यह है कि हमारी जनता के अधिकांश लोग, जो पंजाबी को अपनी भाषा मानने से इनकार करते हैं, ऐसी भाषा को राज्य की राजभाषा स्वीकार कर सकते हैं जो मुख्य भाषा नहीं है। मैं यहां यह भी कह सकता हूं कि यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया जाता है तो हिन्दी को पंजाबी से कोई भय नहीं है।

यदि वह राष्ट्रभाषा हो जायेगी तो नि:संदेह प्रत्येक जाति वालों को चाहे वह हिन्दू हो या सिख, चाहे वह बहुसंख्यक जाति का हो या अल्पसंख्यक जाति का हो, उसे पढ़ना होगा और लिखना होगा और उच्चतर अध्ययन में इसे सीखना होगा, क्योंकि उसके बिना उसे इस देश में कहीं कोई नहीं पूछेगा। अत: राज्यों में भी हिन्दी का भविष्य सुरक्षित और प्रत्याभूत होगा, किन्तु मुझे भय यह है कि यदि यह काम राज्य के विधान-मण्डल पर ही छोड़ दिया जाये तो पंजाबी की अपनी स्थिति उसे प्राप्त नहीं होगी। साम्प्रदायिकता की कहीं ठीक प्रकार परिभाषा नहीं की गई है, किन्तु एक सुविधाजनक परिभाषा यह हो सकती है कि लोकतन्त्रीय देश में या कम से कम भारत में बहुसंख्यक जो कुछ कहें या करें वही शुद्ध राष्ट्रीयता है और अल्पसंख्यक सम्प्रदाय जो कुछ कहे वह साम्प्रदायिकता है। हम इसी आधार पर चल रहे हैं। अल्पसंख्यकों के मन में यह आशंका थी कि पंजाबी बिल्कुल मिट जायेगी अत: उन्होंने बहुसंख्यक जाति के समक्ष अपनी मांग रखी कि उसे अपनाया जाये, किन्तु मुझे भय है कि जैसे हिन्दी के समर्थकों ने अपनी भाषा का अहित किया है, इसी प्रकार सिखों ने पंजाबी का समर्थन करके उसका अहित किया है क्योंकि उनकी मांग को साम्प्रदायिक मांग कह कर उसको बुरा बता दिया गया है।

किन्तु उनके लिये कोई और उपाय था ही नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय ने उसे अपनी मातृभाषा मानने से इनकार कर दिया, अत: उसका समर्थन करना अल्पसंख्यकों का ही कर्तव्य बन गया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उत्तर मिला कि वह साम्प्रदायिक मांग है। नि:संदेह वह अद्‌भुत उत्तर है। पत्रों ने तीव्र प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सिख पृथक् राज्य चाहते हैं; वे पार्थक्यवादी हैं वे विभाजनवादी हैं। इस भय के कारण कि पंजाबी को हटाया जा रहा था, अल्पसंख्यक सम्प्रदाय चाहता था कि सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो और भाषावार प्रान्त बन जायें। उसे भी साम्प्रदायिक मांग बता दिया गया। देश के अन्य भागों में वह साम्प्रदायिक नहीं थी, किन्तु पंजाब कें अल्पसंख्यक जाति की मांग साम्प्रदायिक थी। मैं यहां यह भी बता दूं कि आयोग ने भी कह दिया कि पंजाब के विषय में विचार नहीं हो सकता। ये सीमाएं अब के समान ही रहेंगी। जब अल्पसंख्यक जाति चाहती थी कि पंजाबी भाषा को राज्य की सरकारी भाषा बना दिया जाये, तो उन्होंने यह कह दिया कि यह तो कोई भाषा ही नहीं है; यह तो हिन्दी भाषा की उपभाषा मात्र है। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय ने एक आयोग नियुक्त किया था और उसने स्पष्ट प्रतिवेदन दिया था कि वह देश की उन्नततम भाषाओं में से एक है।

अब एक और उपाय अपनाया गया है। "किसी पर कोई दबाव क्यों हो? प्रत्येक को स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह इच्छानुसार अपनी शिक्षा का माध्यम चुने। किसी

को बाध्यता नहीं होनी चाहिये कि वह अपने बालक को किसी ऐसी भाषा में शिक्षा दे जिसे वह नहीं जानता।" जब पंजाब में ऐसी स्थिति है। मैं यहां विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें साम्प्रदायिक बताया जाता है। मैं अब यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विभाजन के पश्चात् कोई अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक नहीं हो सकता। यह कहा जा सकता था कि जब तीसरी शक्ति यहां थी तब अल्पसंख्यक जातियां साम्प्रदायवादी थीं और समर्थन के लिये तीसरे पक्ष की ओर देखती थीं किन्तु अब अल्पसंख्यक जो कुछ चाहते हैं उसके लिये उन्हें बहुसंख्यकों का ही मुख ताकना पड़ता है। उसे कृपा के लिये, अधिकारों के लिये या रियायतों के लिये बहुसंख्यकों का मुख ताकना पड़ता है। अब साम्प्रदायिक बनने से किसी अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं है। अब अल्पसंख्यक जो कुछ कहते या करते हैं वह साम्प्रदायिकता नहीं है। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। वे शुद्ध लोकतन्त्र चाहते हैं, क्योंकि केवल लोकतन्त्र में ही वे उन्नति कर सकते हैं। यदि वे साम्प्रदायिकता पर अड़े रहेंगे तो यह उनके लिये ही हानिकर होगा तथा उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। किन्तु वे तो बहुसंख्यकों के लोकतन्त्र से नहीं डरते, प्रत्युत बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता से डरते हैं। और पंजाब में यही कठिनाई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और इस सदन से अनुरोध करता हूं कि आप ध्यान दें कि मैं यही चाहता हूं कि मुझे बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता से बचाया जाये और इसलिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री जयपाल सिंह (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि यदि मैं सदन से यह अनुरोध न करूं कि अनुसूची 7-क में कुछ आदिवासी भाषाओं को भी शमिल कर दिया जाये जिन्हें थोड़े से व्यक्ति नहीं, शब्दशः दसियों लाख व्यक्ति बोलते हैं, तो मैं अपना कर्तव्य समुचित रूप से पूरा नहीं कर रहा होऊंगा। मेरे संशोधन सं. 272 में लिखा है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नई अनुसूची 7-क में, निम्न नई मदें जोड़ दी जायें:-

'14. मुंदरी

15. गोंदी

16. ओराओं।'"

श्रीमान्, यदि आप विगत जनगणना में अनुसूचित आदिमजातियों की सूची को देखें तो आपको पता लगेगा कि वहां 176 का उल्लेख है। हां, 176 भाषायें नहीं हैं। वे उप-भाषायें हो सकती हैं और एक भाषा विभिन्न क्षेत्रों में जरा जरा भिन्न हो सकती हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने 176 में से तीन को ही क्यों लिया है। श्रीमान्, मैं नहीं चाहता कि अनुसूची में बहुत सी भाषाओं का भार हो, और इसलिये मैंने केवल तीन महत्वपूर्ण भाषाओं को चुना है। मेरे संशोधन में उल्लिखित पहली भाषा 'मुंदरी' के विषय में मैं कह सकता हूं कि मैंने संथाली का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मुंदरी उन भाषाओं का वंशनाम है जिन्हें कभी आस्ट्रिक भी कहा जाता है और कभी मोन-खमेर भी कहा जाता है। मैं देखता हूं कि गत जनगणना में यह उल्लेख है कि 40 लाख व्यक्ति मुंदरी भाषा बोलते थे। मैं देखता हूं कि इस सूची या अनुसूची में इस समय ऐसी भाषायें समाविष्ट हैं जिन्हें बोलने वाले मुंदरी भाषियों से कम हैं।

[श्री जयपाल सिंह]

इसी प्रकार ओरावों को रखने का मेरा यह कारण है कि ओरावों लोगों का हमारे देश में कोई छोटा वर्ग नहीं है। यहां लगभग ग्यारह लाख ओरावों हैं। हां, यदि भाषा अनुसूची में कन्नरी भाषा के अंतर्गत आ जाती है; अत: वास्तव में, यदि कन्नरी में ओरावों आ जाती है, और यदि मेरे मित्र श्री बोनीफेस लकरा को, जो वह भाषा बोलते हैं, यह संतोष है कि वह उसमें समाविष्ट है, तो मैं मद 16-ओरावों को वापस ले लूंगा।

मैंने यह भी मांग की है कि गोंदो भी एक भाषा होने चाहिये क्योंकि उसके बोलने वाले 32 लाख हैं। इन तीन भाषाओं को स्वीकार करने के लिये सदन से प्रार्थना करने का मेरा मुख्य कारण यह है कि मैं अनुभव करता हूं कि उन्हें स्वीकार करने से प्राचीन इतिहास को खोज करने के कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा।

किसी न किसी प्रकार आज सदन में दो वर्ग हैं–शुद्ध हिन्दीवादी और दूसरे लोग जो उदारता से यह स्वीकार करते हैं कि भाषा का विकास समय पर छोड़ देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तो वही स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो सदन विनिश्चय कर दे। किन्तु कई लोगों में जो शुद्धताई की कट्टरता आ गई है उस पर मेरे हृदय में प्रबल विरोध उत्पन्न होता है। भाषा क्या है? भाषा वह है जो बोली जाती है। मेरे विचार में हमारा यह सोचना अवनतिसूचक है कि हम आज बोली जाने वाली भाषा को भावनावश शतप्रतिशत संस्कृत शब्दों से भरकर उन्नत बना सकते हैं। मैं संस्कृत की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं हिन्दी ही बोलता हूं जैसी कि मेरे प्रान्त बिहार में बोली जाती है, किन्तु वह ऐसी हिन्दी नहीं है जैसी कि मेरे मित्र यहां स्वीकार करना चाहते हैं। वही हिन्दी भाषा रखिये जो सब जगह बोली जाती है। उसे अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उन्नति करने दीजिये। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि यदि हिन्दी या हिन्दुस्तानी में अन्य शब्द आ जायेंगे तो वह गरीब हो जायेगी। भाषा का विकास और उन्नति तभी होती है जब उसमें अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने का साहस हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप उसे हिन्दुस्तानी कहिये या हिन्दी। आप जो निश्चय करेंगे मैं जल्दी सीख लूंगा आदिवासी इसे सीख लेंगे। वे दुभाषी या त्रिभाषी होते हैं। पश्चिम बंगाल में संथाल बंगाली भी बोलते हैं और अपनी मातृ-भाषा भी। आप जहां जायेंगे यही देखेंगे कि आदिवासी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त उस क्षेत्र की भाषा को अपना लेता है।

बिहार का एक भी सदस्य नहीं है जिसे आदिवासी भाषा सीखनी पड़ी हो। क्या मेरे मित्र पण्डित रविशंकर शुक्ल मुझे बता सकते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में 32 लाख गोंद लोग भी हैं पर क्या उन्होंने गोंदी भाषा सीखने का प्रयत्न किया है? क्या किसी बिहारी ने संथाली सीखने का प्रयत्न किया है यद्यपि आदिवासियों से अन्य भाषायें सीखने के लिये कहा जाता है? हमारे लिये यह गर्व की बात है कि हम अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं।

मेरे विचार में इसका बदला भी होना चाहिये। कुछ सहिष्णुता की भावना होनी चाहिये, और जो प्रान्त हिन्दी बोलते हैं उन्हें एक अन्य भाषा सीखनी चाहिये। हमें

ऐसी ही भावना प्रदर्शित करनी चाहिये। हमें यह नहीं कहना चाहिये कि शेष देश को हमारी भाषा सीखनी चाहिये क्योंकि हम अन्य कोई चीज नहीं सीखेंगे।

श्रीमान्, जैसाकि मैंने कहा, हमें अभी भारत के वृद्ध पुरातत्व की खोज करनी है। हमें प्राचीन भारत का हाल बहुत कम पता है और प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि उन भाषाओं को सीखा जाये जो इस देश में भारतीय-आर्यों के आने से पहले प्रचलित थीं। केवल तभी हम जान सकेंगे कि प्राचीन काल में भारत किस प्रकार का था। मैं जानता हूं मेरे मित्र श्री मुंशी का यह ख्याल है कि जब मैं 'आदिवासी' शब्द का प्रयोग करता हूं, मेरे मन में आदिवासी गणराज्यों का ख्याल होता है। वे शायद समझते हैं कि मैं इस संशोधन द्वारा तीन आदिवासी गणराज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। श्रीमान्, यह बात नहीं है। सन्थाली को लीजिये। यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो उसका प्रभाव पश्चिमी बंगाल, आसाम, निःसंदेह बिहार तथा उड़ीसा पर पड़ेगा। गोंदी का मामला लीजिये। गोंदी मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, किन्तु वह हैदराबाद तक विस्तृत है, थोड़ी सी मद्रास में और ज़रा सी बम्बई में भी है। इनमें से कोई भी अलग क्षेत्र नहीं है। वे दूरस्थ प्रान्तों तक फैले हुये हैं। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि इन भाषाओं को प्रोत्साहित और विकसित किया जाये वे स्वयं उन्नत बन सकें और अपनी उन्नति से वे देश की राष्ट्रभाषा को भी उन्नत बना सकें। मैं नहीं चाहता कि हम भाषाजनित साम्राज्यवाद के वशीभूत हो जायें। मैं जहां भी गया वहां की भाषा को सीखना मेरे लिये आनन्द की वस्तु थी।

जहां तक लिपि का संबंध है, मेरे बहुत प्रबल विचार हैं और उसके कारण हैं। मैं अनुभव करता हूं कि हम देवनागरी को स्वीकार करके एक गलत काम कर रहे हैं। मैं तीस वर्ष से डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी की विचारधारा को मानता हूं कि सब भारतीय भाषाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-प्रणाली का अर्थ यह है कि मैं तमिल का ऐसे ही उच्चारण कर सकता हूं जैसे कि कोई तमिल-भाषी करता है। मैं कनेरी भाषा को ऐसे बोल सकता हूं जैसे कोई कनेरी भाषी बोलता है। किसी भाषा को जाने बिना ही मैं उसे पढ़ सकता हूं और उसका उच्चारण कर सकता हूं जैसे उस भाषा वाला उसका उच्चारण करता है, पर मैं जानता हूं कि सदन उसे स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मेरे मित्रों में भय-भाव है तब तक मुझे भय है कि उनसे ऐसी लिपि स्वीकार करने का अनुरोध करना व्यर्थ है जो दूसरों को पढ़ाने के या स्वयं पढ़ने के प्रयोजन के लिये ही ठीक न हो।

इसका वाणिज्यिक पहलू भी है। यह सुविख्यात बात है कि मुद्रण कल के सब उत्पादकों को देवनागरी लिपि के कारण सरदर्द रहा है। जितने समय में आप अंग्रेजी में लगभग पन्द्रह बीस हजार प्रतियां छाप सकते हैं उतने समय में देवनागरी में आप इसका दसवां भाग भी नहीं छाप सकते। अब यह इस मामले का वाणिज्यिक पहलू है। मैं भावुकता की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार में देश के लिये ऐसी कोई बात करना बुद्धिमानी नहीं है जिससे इसकी प्रगति कम हो जाये। देवनागरी स्वीकार करके हम अपने मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, हम तब तक बहुत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि मेरे मित्र ऐसी कलें न बना सकें जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमाला के समान द्रुतगति से चलेंगी या उससे जरा ही कम गति से चलेंगी।

[श्री जयपाल सिंह]

श्रीमान्, मुझे बहुत अधिक कुछ नहीं कहना है। मुझे तो यही अनुरोध करना है कि इस देश के प्राचीनतम लोगों की भाषाओं को इस अनुसूची में मान्य स्थान मिलना चाहिये। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों ओर के सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस भाषा तथा लिपि संबंधी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। सदन जो कुछ स्वीकार कर लेगा, मैं और मेरे लोग शीघ्र उसे अपना लेंगे, और इसी भावना से मैं सदन से कहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करके सहिष्णुता प्रदर्शित करें।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन** (युक्तप्रान्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों के विषय में पुनः कुछ नहीं कहना चाहता, जो मेरे पूर्ववर्ती वक्ता कह चुके हैं। मैंने श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा प्रस्थापित संशोधनों पर कुछ संशोधन पेश किये हैं और मुझे जो कुछ कहना है, मैं अपनी प्रस्थापनाओं के उद्देश्य के यथासंभव निकट रहने का प्रयत्न करूंगा।

श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जो वक्तृता दी है वह उनकी प्रस्थापनाओं की भावना की प्रतिबिम्ब है। उनके अनुसार, अंग्रेजी भाषा के बल पर ही हमें स्वतन्त्रता मिली है, और इसलिये यह अपेक्षित है कि अंग्रेजी को प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये—उनके ही शब्दों में—बहुत-बहुत वर्षों तक रखा जाना चाहिये, वास्तव में पन्द्रह वर्षों से भी अधिक समय के लिये रखा जाना चाहिये, यद्यपि इस पन्द्रह वर्ष के काल में उनकी प्रस्थापनाओं के अंतर्गत, अंग्रेजी संघ की भाषा रहनी चाहिये। उनकी दूसरी दृढ़ धारणा यह है कि कोई भी प्रान्तीय भाषाएं, जिनमें हिन्दी भी शामिल है, इतनी उन्नत नहीं है कि उस भाषा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिसमें सब प्रकार का प्रशासन कार्य, विशेषतः विधि संबंधी उलझनों का भार वहन होना है। उनकी प्रस्थापनाओं की समस्त योजना इन दो दृढ़ धारणाओं पर अवलम्बित है और इन दोनों से प्रभावित है।

उनकी प्रस्थापनाओं में एक तीसरा नवीन भाव भी है, कि कालक्रम से भारत में अंग्रेजी भाषा का चाहे कुछ भी हो, पर हमने अंग्रेजी भाषा से जो अंक सीखे हैं और जिन्हें उनके मसौदे में 'भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप' नाम से पुकारा गया है, वे तो हर हालत में रहने ही चाहियें और उन्हें नागरी लिपि का अभिन्न अंग बनना होगा और जब भी तथा जहां भी देवनागरी लिपि का संघ के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करना हो, उन्हें देवनागरी-संस्कृत अंकों का स्थान ग्रहण करना होगा।

मैं पूर्ण नम्रता से इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन तीन बातों पर जरा ध्यान से विचार करें, यह स्मरण रखते हुये कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव केवल हम पर या विविध प्रान्तों के उन थोड़े से नर नारियों पर ही नहीं पड़ेगा जो अंग्रेजी प्रणाली से शिक्षाप्राप्त हैं, और जिनका अंग्रेजी भाषा से ही पोषण तथा विकास हुआ है, प्रत्युत हमारे विनिश्चयों का प्रभाव तथा असर उन करोड़ों नर नारियों के जीवन पर पड़ेगा जिनका अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क नहीं है, जिनके लिये अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क होना असम्भव है और जिन्हें उनकी विद्यमान स्थिति से उठाकर लोकतन्त्र तथा

प्रशासन का प्रशिक्षण देना है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये, श्रीमान् कि, आज हम यहां जो विनिश्चय करेंगे उसका प्रभाव केवल विद्यमान पीढ़ी पर ही नहीं पड़ेगा, अपितु उन संततियों पर भी पड़ेगा जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं।

प्रधान मंत्री ने अपने तरीके से हमें चेतावनी दी है कि हमें पीछे की ओर नहीं देखना चाहिये, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जो हमें पीछे की ओर ले जाये। मैं सदा उस विचार से सहमत हूं, और मैंने स्वयं कई वर्षों से यही कहा है कि हमने विगत में जो कुछ प्राप्त किया है उससे हम संतुष्ट नहीं रह सकते, और अतीत में जो व्यवस्था थी, हम अपने आप को पूर्णतः उसी के अनुसार नहीं बना सकते। मैंने लोगों के समक्ष ये आदर्श रखे हैं:

समय भेदेन धर्म भेदः,

अवस्था भेदेन धर्म भेदः।।

समय और अवस्था के अनुसार हमारा धर्म, हमारे कर्तव्य बदल जाते है; ये प्राचीन आदर्श हैं। हमें याद रखना है कि हमारी छोटी-छोटी व्यवस्थाओं का भी समय होता है और फिर उनका समय नहीं रहता। संसार आगे बढ़ता है। आज की व्यवस्थाओं के स्थान पर नई व्यवस्थायें बन जाती हैं, नये तरीके और नई विचारधाराएं आ जाती हैं। अतीत के पदचिह्नों पर सदा एक नवीनता आती है। हम प्रकृति के उस महान मूलभूत तथ्य से पीछा नहीं छुटा सकते, चाहे हम ऐसा करना चाहें भी।

साथ ही, श्रीमान्, हमें स्मरण रखना है, जैसे कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारी जड़ अतीत में हैं और हम उससे अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। एक प्रकार से हम एक दृढ़ किन्तु अदृश्य शृंखला द्वारा अतीत से बंधे हुए हैं, जो आकाशिक शृंखला है, जो सदा समय के साथ बढ़ती रहती है, किन्तु जो अटूट रहती है। अतः हम जो कुछ करने का प्रयत्न करें, उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम अपने भाग्य की ओर तो बढ़ें ही, पर हमारा अतीत से संबंध जोड़ने वाली वह लम्बी, दृढ़ शृंखला निर्बल न हो जाये, वरन् प्रत्येक कदम पर प्रबल ही हो। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि यह हमारा मूलभूत राजनैतिक दर्शन होना चाहिये कि हम अतीत में न रहें, पर विद्यमान में रहें जो हमारा अतीत से संबंध जोड़ता है।

मैं उन अच्छाइयों को पूरी तरह से लेने के पक्ष में हूं जो हमें पश्चिम से प्राप्त होती हैं। किन्तु मैं यहां उपस्थित सबसे कहता हूं कि वे याद रखें कि पश्चिम में चमकने वाली सब वस्तु स्वर्ण नहीं है, पश्चिमीय वस्तु अवश्यमेव अच्छी नहीं है, हमारे देश में ही ऐसी उच्च भावनाएं और परम्पराएं स्थापित हुई हैं जिनका प्रभाव, समय बीतने पर, मानवजाति के भाग्य पर अधिकाधिक पड़ेगा।

इन्हीं सिद्धान्तों को सामने रखकर, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उस मसौदे का परीक्षण करें जो हमारे मित्र श्री गोपालस्वामी आयंगर ने स्वीकृति के हेतु पेश किया है। मैं इसे पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि आप इसके प्रत्येक महत्वपूर्ण खण्ड से अवगत हैं। उस मसौदे के अनुसार अंग्रेजी भाषा का अस्तित्व

[माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

कम से कम पन्द्रह वर्ष रहेगा, केवल उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वरन् संघ संबंधी समस्त मामलों में उसका साम्राज्य रहेगा। मैंने सोचा था कि यद्यपि आने वाले कुछ समय के लिये अंग्रेजी को सरकारी प्रयोजनों के लिये रखना अपेक्षित होगा, पर वह समय इतना लम्बा नहीं होगा। मैंने सोचा था कि इससे बहुत अल्प समय में हम लोगों के पास उस भाषा में कार्य कर सकेंगे जिसे वे समझते हैं। मैं यह नहीं भूलता कि हमारे मित्रों के लिये जो दक्षिण से आये हैं हिन्दी, जिसे राजभाषा बनाने की प्रस्थापना है, सीखना बहुत आसान नहीं होगा। साथ ही मेरा निवेदन है कि दक्षिण के लोग हिन्दी से सर्वथा अपरिचित नहीं हैं। राष्ट्रपिता के निदेश के अंतर्गत, जिनका नाम हमारे हृदय की भावतंत्री को सदा ध्वनित करता रहेगा, हिन्दी का कार्य दक्षिण भारत में 1918 में आरम्भ हुआ था, और इस कालावधि में लाखों नर नारियों ने हिन्दी सीख ली है और जैसाकि मेरे मित्र श्री मोतुरी सत्यनारायण, जो यहां बैठे हैं, आपको अधिक अच्छी तरह बता सकते हैं, प्रतिवर्ष लगभग पचपन साठ सहस्र परीक्षार्थी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठते हैं जिसका नाम हाल ही में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा रख दिया गया है।

***एक माननीय सदस्य:** वे पढ़ लिख सकते हैं किन्तु वे अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** यह हो सकता है। मेरा तो यही कहना है कि इससे पता लगता है कि हिन्दी भाषा दक्षिण भारत में नई चीज नहीं होगी। मैं इस ख्याल में था कि मद्रास के नवयुवकों को हिन्दी सिखाने में पन्द्रह वर्ष का लम्बा समय अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु पन्त जी ने कहा कि यह कहना हमारे दाक्षिणात्य भाइयों का काम है कि उन्हें कितना समय चाहिये और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में उनको बाध्य करना हमारा काम नहीं है। हम अपनी सेवाएं अर्पण करेंगे, हम मंत्रणा दे सकते हैं किन्तु हम यह उन पर छोड़ देते हैं कि वे कितना समय चाहते हैं और कितने समय में वे अपने लोगों को संघ के प्रयोजनार्थ हिन्दी प्रयोग करने के योग्य बना लेंगे।

हम इसी भावना से पन्द्रह वर्ष के समय के लिये सहमत हो गये। हमने पांच से आरम्भ किया था, फिर हम दस पर आ गये और फिर हमने देखा कि हमारे दाक्षिणात्य भाई पन्द्रह वर्ष चाहते हैं और हम उस पर सहमत हो गये। किन्तु श्री आयंगर के मसौदे में, एक कठोर उपबन्ध है कि पांच वर्ष तक या अधिक समय तक अंग्रेजी के अतिरिक्त और किसी रूप में हिन्दी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, जब तक आयोग सिफारिश न कर दे और वह सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार न कर ली जाये। वह मुझे कुछ कठोर उपबन्ध प्रतीत होता है। यह कुछ कोमल बन सकता था। हिन्दी को उन सरकारी प्रयोजनों से बिल्कुल अलग क्यों रखा जाये जिनके लिये हिन्दी का प्रयोग हमारे दाक्षिणात्य मित्रों को असुविधा हुये बिना हो सकता है? विद्यमान खण्डों के अधीन संघ का कोई मंत्री किसी सरकारी कार्य वश किसी को कोई पत्र हिन्दी में लिख ही नहीं सकता जब तक कि उस पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद न हो। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में हिन्दी का प्रयोग होना कदापि सम्भव नहीं है। अत: इसका यह आशय हुआ कि पांच वर्ष या अधिक समय तक, जब तक कि आयोग सिफारिश न करे और राष्ट्रपति उसे स्वीकार

न करे तब तक कोई कार्य हिन्दी में नहीं हो सकता, सिवाय अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के। आप अंग्रेजी में एक पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं और उसका हिन्दी में भी अनुवाद कर सकते हैं। केवल यही कार्य पांच वर्ष या अधिक समय तक हो सकता है। यह कुछ कठोर है। किन्तु मैं इस पर भी सहमत हूं कि पांच वर्ष तक हिन्दी में कुछ नहीं होगा, केवल अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ हो सकता है।

किन्तु मैं आपसे कहता हूं कि इस बात पर विचार करो कि पांच वर्ष के पश्चात् क्या होगा? श्री आयंगर की प्रस्थापना के अधीन, पांच वर्ष के अंत में, भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिये आयोग नियुक्त किया जायेगा। इसका अवश्य यह प्रभाव होगा कि यह पांच वर्ष की कालावधि दो वर्ष या अधिक बढ़ जायेगी, क्योंकि आयोग, अपनी नियुक्ति के पश्चात् समवेत होगा और कदाचित् देश भर में घूमेगा तथा प्रतिवेदन देगा। उसके पश्चात् एक संसदीय समिति बैठेगी और आयोग की प्रस्थापनाओं का परीक्षण करेगी तथा फिर अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगी। मैं कोई समय निश्चित नहीं करता। मेरे संशोधन में यही लिखा है कि 'at' के स्थान पर 'before' शब्द रख दिया जाये, ताकि प्रतिवेदन पहले ही तैयार हो जाये तथा सरकार यह निदेश दे सके कि पांच वर्ष के अंत में कुछ परिवर्तन, जो हिन्दी के संबंध में अपेक्षित समझे जायें, प्रभावी हो सकें। मैंने यह छोटा सा संशोधन पेश किया है और मुझे आशा है कि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। इसका यही अर्थ है कि पांच वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही आयोग नियुक्त हो जायेगा। किन्तु मैंने अपने संशोधन में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सिफारिशें स्वीकृत होंगी वे केवल पांच वर्ष की समाप्ति पर ही प्रभावी होंगी। और मुझे इसी पर संतोष हो जायेगा कि पांच वर्ष के अन्दर केवल वही काम हिन्दी में हो जो अंग्रेजी का अनुवाद हो।

इसी प्रकार अन्य खण्डों में मैंने कुछ परिवर्तनों की प्रस्थापना की है। जैसाकि अध्यक्ष ने निदेश दिया है, इन संशोधनों के विषय में यह मान लिया गया है कि वे पेश कर दिये गये हैं। अतः मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं। मैं उनके सामान्य प्रयोजन का ही उल्लेख करूंगा। एक संसदीय समिति का सुझाव दिया गया है और यह कहा गया है कि वह आयोग की सिफारिशों पर प्रतिवेदन देगी। मैंने इस आशय का एक छोटा सा खण्ड जोड़ दिया है कि यह समिति अपनी सिफारिशें भी दे सकती हैं– "जो सिफारिशें वह उपयुक्त समझे।" यही थोड़े से शब्द मैंने समिति की नियुक्ति और आयोग की सिफारिशों पर उसके प्रतिवेदन संबंधी खण्ड विशेष में जोड़े हैं। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि इस संसदीय समिति को भी, यदि वह उचित समझे तो, कुछ सिफारिशें करने दीजिये और सरकार को समिति तथा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने दीजिये।

ये ही संशोधन मैंने 301-ख में प्रस्थापित किये हैं।

अब मैं प्रादेशिक भाषाओं संबंधी अध्याय 2 पर आता हूं। श्री आयंगर के मसौदे के 301-ग में लिखा है:–

> "..... a State may by law adopt any of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State."

[माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

(....राज्य विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।)

मैं उससे सहमत हूं। मुझे तो केवल परन्तुक पर आपत्ति है। उसमें लिखा है:

"Provided that until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the States for which it was being used at the commencement of the Constitution."

(परन्तु जब तक राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिये इस संविधान के आरम्भ पर वह प्रयोग की जाती थी।)

मेरी समझ में यह नहीं आता है कि राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना अपेक्षित क्यों होना चाहिये। हो सकता है कि संविधान के आरम्भ में वे अंशत: अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हों, किन्तु वे उसे बदलना चाहते हों। मैं जानता हूं कि आपने उपबन्ध किया है कि वे उसे विधि द्वारा बदल सकते हैं। किन्तु वे शायद अंग्रेजी का ही नहीं, अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हों। अत: मैं परन्तुक के स्थान पर यह वाक्य रखना चाहता हूं:

"Provided that until the Legislature of the State otherwise provides by law, the language or languages which were being used for official purposes within the State at the commencement of the Constitution shall continue to be so used."

(किन्तु जब तक राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर वह भाषा या वे भाषायें राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाती रहेंगी, जो संविधान के आरम्भ पर प्रयोग की जाती थी।)

मेरे अपने प्रान्त में हम इस समय राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे विचार में बिहार और मध्य प्रदेश में भी उसी का प्रयोग हो रहा है। हमारे लिये नई विधि पारित करके हिन्दी स्वीकार करना अपेक्षित क्यों हो। हम इस समय सरकार के निदेश से हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं और इसलिये मेरे सुझाये हुये शब्द अधिक उपयुक्त होंगे।

फिर अनुच्छेद 301-ङ में लिखा है कि जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात किसी अन्य भाषा का प्रयोग

चाहता है तो वह निदेश दे सकेगा कि उस भाषा को भी राजकीय अभिज्ञा दी जाये। मैं उससे सहमत हूं परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कांग्रेस कार्यसमिति के निदेश का अनुसरण किया जाये और जनसमुदाय का एक निश्चित अनुपात नियत कर दिया जाये जिसकी मांग पर किसी भाषा को अभिज्ञा दी जाये। मेरे विचार में कार्यसमिति ने 20 प्रतिशत रखा था और हम भी उसे ही मान सकते हैं; अन्यथा केन्द्रीय सरकार के लिये विनिश्चय करना बहुत कठिन हो जायेगा कि कहां स्वीकार करे और कहां अस्वीकार करे और उससे कुछ गड़बड़ तथा कुछ प्रांतों में कुछ कटुता भी हो सकती है। जब कोई अनुपात नियत हो जायेगा, तब केन्द्रीय सरकार के लिये मार्ग साफ हो जायेगा।

और फिर अध्याय 3–"उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा"–में जो प्रस्थापनायें रखी गई हैं, वे अवनतिशील हैं, और श्री आयंगर मुझे ऐसा कहने पर क्षमा करेंगे। आपने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आप चाहते हैं कि हिन्दी शनैः शनैः अंग्रेजी का स्थान ले ले। वह तभी हो सकता है जबकि आप हिन्दी को ऐसा अवसर दें कि वह कम से कम हिन्दी प्रान्तों में तो अंग्रेजी का स्थान ले ले। मैं जानता हूं कि हिन्दी के प्रयोग में अहिन्दी प्रान्तों को कठिनाइयां हैं, किन्तु हिन्दी प्रान्तों को कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाइयों की अतिशयोक्ति मत करिये। यह कहा गया है कि उपयुक्त वाग्धाराएं, उपयुक्त पदावलियां या उपयुक्त शब्दावली नहीं मिलती। खैर, यह बात उन पर छोड़ दीजिये जो हिन्दी में कार्य करते हैं। मेरे अपने प्रान्त में, विधेयकों तथा अधिनियमितियों के मूल मसौदे हिन्दी में होते हैं। स्पष्ट है कि हमारे कार्य से दक्षिण के हमारे भाइयों के लिये कोई कठिनाई नहीं होती। आप हमें अपना समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में करने के लिये क्यों बाध्य करते हैं, जब हम उसे हिन्दी में ही कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि जहां तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का संबंध है, उनका कार्य भी पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी में ही होना चाहिये। मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय पन्द्रह वर्षों तक अंग्रेजी में कार्य करे, किन्तु मेरा निवेदन है कि यह अपेक्षित नहीं है कि उस काल में सब उच्च न्यायालय भी अंग्रेजी में कार्य करें। ऐसे उच्च न्यायालय हैं—उनमें से कई राज्यों में नये बने हैं, जहां कार्य हिन्दी में होता है और परम्परा से होता रहा है। उदाहरण के लिये ग्वालियर या इन्दौर को ही लीजिये। मुझे पता है कि वहां अंग्रेजी का भी प्रयोग हुआ है, कुछ बाहर से आयात किये गये न्यायाधीशों ने अंग्रेजी में कार्य किया और उसकी अनुमति दे दी गई; और फिर भी बहुत सा कार्य साथ-साथ हिन्दी में होता रहा है। क्या आप उसे अब रोक देंगे? इसी प्रकार राजस्थान में एक उच्च न्यायालय है और कुछ अन्य राज्यों में भी हैं। क्या आप इन उच्च न्यायालयों को हिन्दी में कार्य करने से रोक देंगे? विद्यमान प्रस्थापना के अंतर्गत इन उच्च न्यायालयों में समस्त हिन्दी कार्य असम्भव हो जायेगा। मैं कहता हूं कि इसे बदलना चाहिये।

फिर एक और प्रकार के उच्च न्यायालय हैं: वे जो अपना कार्य अंग्रेजी में करते रहे हैं किन्तु जो हिन्दी को पन्द्रह वर्ष से बहुत कम समय में अपना सकते हैं। मेरे अपने प्रान्त के, या बिहार के या मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को ही लीजिये। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा उच्च न्यायालय पांच वर्षों के पश्चात्

[माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

पूर्णतः हिन्दी में कार्य करना आरम्भ कर सकता है। शनैःशनैः आगामी पांच वर्षों में समस्त प्रक्रिया निश्चित की जा सकती है तथा हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जा सकती है। शब्दावली से कोई कठिनाई नहीं होगी। वह तो पहले ही बन चुकी है। बहुत सी शब्दावली है ही, और आवश्यक शब्दों का निर्माण करना आखिर कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। हिन्दी कोई नई भाषा नहीं है। जब आयरलैण्ड ने अपना संविधान बनाया था तब उसने आयरिश भाषा को अपनाया था, जिसमें अधिक साहित्य नहीं था और जिसमें पर्याप्त शब्दावली भी नहीं थी और फिर भी आयर ने उसे अपनाया। हमारी भाषा हिन्दी तो अत्यन्त शक्तिशाली भाषा है।

श्री आयंगर ने कहा कि हिन्दी में शब्दावली का नितान्त अभाव है जिसकी आवश्यकता होगी। उस बात पर मैं क्या कहूं। वे स्वयं कहते हैं कि वे उस भाषा से परिचित नहीं हैं और फिर भी वे उसके विषय में निर्णय देते हैं। मेरा निवेदन है कि यह उचित नहीं है। मेरा तो यह निवेदन है कि हिन्दी, संस्कृत के आश्रय से, जिसके विषय में इस सदन में इतना कहा जा चुका है और जिसका मैं सर्वथा अनुमोदन करता हूं—हिन्दी संस्कृत की सहायता से, शब्दावली की समस्त कठिनाइयों को सुगमता से पार कर सकेगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व ही, हम उच्च न्यायालय का कार्य हिन्दी में चला सकते हैं। किन्तु मैं कहता हूं कि पांच वर्ष तो पर्याप्त समय है ही। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि पन्द्रह वर्षों तक हमारा कार्य अंग्रेजी में ही चले। फिर उस लम्बे समय तक अंग्रेजी में कार्य करते रहना हमारे लिये अनिवार्य क्यों बनाया जाये? हमें विकास करने के लिये पर्याप्त स्थान दीजिये और फिर पन्द्रह वर्ष पश्चात् समस्त महत्वपूर्ण कार्य, उदाहरण के लिये संघ का कार्य करना सरलतर हो जायेगा क्योंकि उस समय तक हिन्दी प्रान्त वह वातावरण उत्पन्न कर देंगे और वह शब्दावली बना देंगे जो समस्त देश के लिये सहायक होगी।

***मौलाना हसरत मोहानी** (युक्तप्रान्त : मुस्लिम): आपका हिन्दी प्रान्तों से क्या आशय है?

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडनः** मैं उन प्रान्तों का निर्देश कर रहा हूं जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है, उदाहरण के लिये, युक्त प्रान्त ने औपचारिक रूप में हिन्दी को अपनी भाषा मान लिया है: इस प्रकार बिहार ने भी किया है.....

***मौलाना हसरत मोहानीः** युक्त प्रान्त या तो उर्दू प्रान्त है या हिन्दुस्तानी प्रान्त है। वह हिन्दी भाषी प्रान्त नहीं हो सकता।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडनः** यह आपका विचार हो सकता है। मैं हिन्दी, हिन्दुस्तानी या उर्दू के उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो केवल यही कहता हूं कि हिन्दी को युक्त प्रान्त की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया है। और इसी भाषा में सब सरकारी अधिनियमितियां और आज्ञायें आजकल पारित होती हैं। निःसंदेह बहुत सा कार्य अंग्रेजी में भी हो रहा है, पर शनैःशनैः वह कार्य भी हिन्दी के माध्यम से ही होने लगेगा। ये ही छोटे छोटे रूप भेद हैं जिनका मैंने सुझाव दिया है।

अब मैं 301-क संबंधी अपने मुख्य संशोधन पर आता हूं जो अंकों के विषय में है। मैं जानता हूं, श्रीमान्, कि अंकों के विषय में जो विवाद हुआ है उससे कुछ कटुता उत्पन्न हो गई है। मैं उस कटुता को बढ़ाना कदापि नहीं चाहता। मैं यथासम्भव उसे दूर करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे मद्रास के मित्र हिन्दी अंकों को बदलना चाहते हैं।

***माननीय सदस्यगण:** बंगाल भी।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं गलत कह रहा हूं तो आप शुद्ध कर सकते हैं, किन्तु मैंने अपने बंगाली मित्रों से यह बात कभी नहीं सुनी।

***माननीय सदस्यगण:** बम्बई में भी। वास्तव में सब अहिन्दी भाषी लोग यही चाहते हैं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मेरा निवेदन यह है कि यह कहना बिल्कुल शुद्ध नहीं है कि सब अहिन्दी भाषी क्षेत्र यह परिवर्तन चाहते हैं। मैं श्री शंकर राव देव और डॉ. अम्बेडकर से, जो यहां बैठे हैं, पूछता हूं कि क्या महाराष्ट्र के लोग उसे स्वीकार करेंगे।

***श्री शंकर राव देव:** मैं कहता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं महाराष्ट्री भी वही बात कहेंगे।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** महाराष्ट्र के विषय में मैं अपनी जानकारी से निवेदन कर सकता हूं कि वहां लिपि वही है अत: यदि वहां जनमत लिया जाये तो महाराष्ट्र के लोग तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं करेंगे।

***माननीय सदस्यगण:** यदि जनमत गणना होगी तो हिन्दी नहीं रहेगी।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे एक-एक करके बाधा डालें और एक ही समय पर अनेक न बोलें। मुझे श्री शंकरराव देव और डॉ. अम्बेडकर का कथन सुन कर प्रसन्नता होगी।

***माननीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी:** इस पर जनमत क्यों न ले लिया जाये?

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): मैं महाराष्ट्री हूं और मैं कह सकता हूं कि यदि महाराष्ट्र में जनमत लिया जायेगा तो वे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं करेंगे।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** : (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): मैं भी महाराष्ट्री हूं और मैं कह सकता हूं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं करेंगे।

***अध्यक्ष:** यह अपेक्षित नहीं है कि किसी प्रस्थापना विशेष पर सदस्य व्यक्तिगत राय अभिव्यक्त करें।

***माननीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी:** माननीय सदस्य राय पूछ रहे हैं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैंने अपना विचार प्रगट कर दिया था। आप उससे सहमत हों या नहीं। मैंने डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी से अपनी राय देने के लिये नहीं कहा। मैंने तो यह कहा था और यह बात अब भी कहता हूं और यही कहता हूं कि यदि यह प्रस्थापना महाराष्ट्र के लोगों के पास जाये तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा भी उस प्रान्त से सम्पर्क है। और मेरे मित्र श्री मुंशी चाहे कुछ भी कहें, मैं तो यही कहता हूं कि जब यह उपबंध गुजरातियों के पास जायेगा तो वे भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बाधा।)

क्या इतने लोगों के लिये एक ही समय पर बोलना आवश्यक है? यदि एक व्यक्ति बाधा डाले तो मैं उसकी बात सुन सकता हूं किन्तु जब चार पांच व्यक्ति एक ही समय बोल पड़ें तब मैं किसी की भी बात नहीं सुन सकता।

मैंने श्री शंकर राव देव की बात सुनी है। वे कहते हैं कि यदि समस्त संविधान पर जनता की राय ली जाये तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

***श्री शंकरराव देव:** इसमें से बहुत कुछ को।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** यदि ऐसी बात है तो इसमें से बहुत कुछ रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। यदि संविधान के किसी भी भाग को जनता स्वीकार नहीं करेगी तो इसे यहां स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मैं समस्त देश में जनमतगणना को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगा। यदि प्रान्त हिन्दी को स्वीकार नहीं करें, तो मैं उन पर उसे कभी नहीं लादूंगा। फिर मैं तत्काल कहूंगा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिये। हिन्दी को किसी प्रान्त पर थोपा क्यों जाये? यह तो प्रान्तों को विनिश्चय करना है कि वे हिन्दी को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। वे अंग्रेजी को ही जारी रख सकते हैं या उनकी इच्छा हो तो वे ऐसे प्रान्तों को अपना सकते हैं। मैं उस पर पूर्णत: सहमत होऊंगा, यदि उनका यही विचार है। किन्तु लोगों का मत जानने का कोई उपाय खोजना चाहिये। कुछ विद्यार्थियों ने अभी जनता की इच्छा पूछी थी। हमने उसके विषय में पढ़ा है। जनता की राय का पता लगाने के लिये समस्त देश में दूसरा उपाय भी अपनाया जा सकता है। मद्रास में भी वैसा कर लिया जाये। चाहे यहां मेरे मित्र कुछ भी कहें मुझे तो आशा है कि मद्रास में जनता की बहुत बड़ी संख्या हिन्दी चाहेगी।

***कई माननीय सदस्य:** नहीं, नहीं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** किन्तु यदि जनता का मत लेना सम्भव नहीं है, तो मैं उन सबसे जो शक्ति-आरूढ़ हैं, कहूंगा कि वे अपने हृदय की छोटी सी आवाज़ को सुन और कोई छोटी सी आवाज को भी न सुनें जिसे वे समझते हैं कि जनता स्वीकार नहीं करेगी...

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैं युक्त प्रांत में जनमत लेने की मांग करता हूं कि वह हिन्दी प्रान्त रहेगा या हिन्दुस्तानी प्रान्त होगा। जहां एक भी व्यक्ति संस्कृतनिष्ट हिन्दी नहीं बोलता।

***अध्यक्ष:** क्या मैं यह बता दूं कि इस संविधान सभा पर यह भार है कि वह देश के लिये संविधान बनाये? इस सभा के संविधान में जनमत गणना का कोई उपबन्ध नहीं है अत: पूरी या आंशिक जनमत गणना का कोई प्रश्न नहीं है। अत: उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिये, क्योंकि वह व्यर्थ होगा।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं उन लोगों से जो शक्ति-आरूढ़ हैं अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें। मैं यह नहीं कहता कि इस मामले पर प्रत्यक्ष जनमत लिया जाये। जनमतगणना क्या है? उसका अर्थ है केवल लोगों की इच्छा। यदि यह लोगों पर छोड़ दिया जायेगा तो वे क्या कहेंगे?...

***अध्यक्ष:** जहां तक इस संविधान सभा का संबंध है यह लोगों की इच्छा का प्रतिबिम्ब है।

***माननीय श्री आर.आर. दिवाकर** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह इस सभा के सदस्यों पर आक्षेप है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** यदि प्रत्येक बार जब भी हम जनता की इच्छा का निर्देश करें, उस पर यह आपत्ति कर दी जाये कि यह इस सदन के सदस्यों पर आक्षेप है, तो कुछ भी कहना असम्भव हो जायेगा। कभी-कभी सदन की इच्छा लोगों की इच्छा से भिन्न हो सकती है। जहां तक अंकों का संबंध है मैं आपसे कहता हूं कि उस पर विचार करिये। शायद आपने पहले ही दृढ़ निश्चय कर लिया है। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनिये। इस अंकों के प्रश्न पर गरम मत होइये...

***माननीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी:** हमारे लिये यह चेतावनी है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है और आप अपने विरोधियों पर हंसना चाहते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। मैं इस प्रश्न पर गम्भीर हूं। मैं जानता हूं कि श्री आयंगर इस प्रश्न पर गम्भीर हैं। यह लोगों के भविष्य संबंधी मामला है।

हम कई वर्षों से राष्ट्रभाषा की बात करते रहे हैं। सदन के समक्ष यह कोई नया प्रश्न नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी की बात है कि यह राष्ट्रभाषा का विचार बंगाल में उत्पन्न हुआ है, युक्त प्रान्त या बिहार में नहीं। मैं आपको उद्धरण दे सकता हूं किन्तु मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। बंकिम चन्द्र चटर्जी का मूल लेख मेरे पास है। इस विषय पर मेरे पास केशव चन्द्र सेन का मूल कथन है। 1908 में 'बन्देमातरम्' में जो कुछ छपा था उसका मूल मेरे पास है, जिसके सम्पादक श्री अरविन्द्र घोष थे.....

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उसका हमें पर्याप्त पुरस्कार मिल चुका है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** यह विचार वहीं उत्पन्न हुआ था और फिर तिलक ने उसका समर्थन किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसे अपनाया था। मेरा कहना यह है कि यह आन्दोलन कई वर्षों से चल रहा है और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के विषय पर कुछ विचारों को लेकर लोगों ने कार्य किया है। यह तो लगभग स्वीकार ही कर लिया गया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और विविध प्रान्तों में इसी धारणा पर काम चल रहा है।

कुछ मिनट पूर्व मैंने बताया था कि मद्रास में क्या कार्य हुआ है। मैं यह भी कह सकता हूं कि बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में भी वह कार्य वर्षों से चल रहा है। आज वर्धा से हिन्दी में परीक्षाएं होती हैं और उनमें प्रति वर्ष लगभग 1,40,000 नवयुवक और महिलायें बैठती हैं—वे नवयुवक और महिलायें जो हिन्दी भाषी प्रान्तों की नहीं हैं वरन् जो अहिन्दी भाषी प्रदेशों की होती हैं। उससे सिद्ध होता है कि यह नया विचार नहीं है, उस विचार के आधार पर देश में कार्य होता रहा है।

क्या मैं पूछ सकता हूं, यह अंकों संबंधी विचार देश में कब से है? यदि हिन्दी भाषा को लोग वर्षों से लगभग स्वीकार किये हुए न होते तो कोई भी सदस्य उस भाषा की स्वीकृति के विषय में इस सभा के समक्ष कोई प्रस्थापना लाने का साहस नहीं कर सकता था उसी आधार पर संविधान के मसौदे के भाषा संबंधी खंड की रचना की गई है। किन्तु लोग इन अंकों के विषय में कितने समय से वाद-विवाद कर रहे हैं? केवल दो तीन सप्ताहों से?

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि यह प्रश्न हमारे समक्ष 15 वर्ष पूर्व दक्षिण की हिन्दी प्रचार सभा के संबंध में उठा था और हमने यह विनिश्चय किया था कि दक्षिण में हिन्दी प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय अंकों से होना चाहिये था।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं श्री सन्तानम् के कथन को ठीक मान लेता हूं। मुझे इसका कभी पता नहीं था। किन्तु कभी श्री सन्तानम् ने या मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा ने इस प्रश्न को देश के समक्ष नहीं रखा।

***श्री एम. सत्यनारायण** (मद्रास : जनरल): आप स्वयं पन्द्रह वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार सभा में थे।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन :** जब हिन्दी प्रचार सभा से मेरा सम्पर्क था उस समय तो हिन्दी अंक ही प्रयुक्त होते थे। मैं यह सूचना अपने माननीय मित्र श्री सत्यनारायण को दे सकता हूं, जिनका सम्पर्क उस सभा से मेरे बहुत बाद में आरम्भ हुआ था। जब उस सभा से मेरा कुछ संबंध था, जब वह सभा

इलाहाबाद के निदेश से कार्य कर रही थी तब सब कार्य हिन्दी अंकों द्वारा हो रहा था। बाद में ही शायद वे अंग्रेजी अंकों को लाये होंगे; और आज भी मैं उन्हें स्मरण करा सकता हूं कि कम से कम कुछ हिन्दी पुस्तकों में, जो उन्होंने प्रकाशित की हैं, नागरी अंक हैं। मैंने कम से कम एक तो अवश्य देखी है।

***श्री एम. सत्यनारायण:** 1927 में थी।

***माननीय श्री आर.आर. दिवाकर:** हिन्दी, पंजाबी, उर्दू की क्या स्थिति होगी जिनमें आजकल इन अंकों का प्रयोग हो रहा है?

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** जब भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया है तो उसके अंकों को भी स्वीकार करिये। मैं आपसे कहता हूं इस पर विचार करिये कि क्या हिन्दी पर अंग्रेजी अंक लादने का यह उपयुक्त समय है, जबकि इस विषय पर देश के किन्हीं विचारों पर निश्चित नहीं है? मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं किसी प्रान्त पर हिन्दी नहीं थोपूंगा, किन्तु संविधान के द्वारा आप इन अंकों को सरकारी प्रयोजनों के लिये उन सब पर लगभग थोप ही रहे हो जो अपना कार्य नागरी लिपि में करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि वहां आप रुक जाइये। प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि भाषाओं का विकास होता है, वे एक दिन में नहीं बनतीं। उन्होंने कई बार ऐसा कहा है।

***एक माननीय सदस्य:** वे ठीक हैं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** वे ठीक हैं। भाषाओं का विकास होता है। किन्तु अंकों का भी विकास होता है *(बाधा)*। अंकों का भी विकास होता है, उनका विकास हुआ है। *(बाधा)*। अंकों का विकास लिपि के साथ हुआ है। लिपि भी उस भाषा के समान ही विकसित होती है जिसमें उनका प्रयोग होता है। लिपि एक दिन में नहीं बनी है। उसके सब भागों का, स्वरों, व्यंजनों और अंकों का विकास हुआ है। यह एक ही कलात्मक पूर्णता है। आप उस पूर्णता के मुख पर कोई चिप्पी नहीं लगा सकते। आज आप कहते हैं "नागरी अंकों को निकाल डालिये।" आप यह भी कह सकते हैं, चाहे आप आज नहीं कह रहे हैं "स्वरों को निकाल दीजिये, अंग्रेजी स्वरों का प्रयोग होने दीजिये और केवल व्यंजनों को ही हिन्दी का रहने दीजिये।" मैं कहता हूं कि आप तमाशा बना देंगे।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): यह तो व्यंग है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मेरे मित्र कहते हैं कि यह व्यंग है। वे स्वरों को हटाना बेहूदा समझते हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम अंकों को हटाना भी बेहूदा समझते हैं। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। आप हमसे ऐसी वस्तु छीन रहे हैं जिससे आप धनी नहीं बनते किन्तु हम अवश्य निर्धन बन जाते हैं।

हमारे अंक प्राचीन बपौती हैं। कभी यह भी कहा गया है कि अंग्रेजी अंक हमारे ही अंक हैं और यह प्रश्न रखा गया है: हम उन्हें वापस क्यों न ले लें? जैसे कि हमारे अंक खो गये थे और हम उन्हें पुन: प्राप्त करने वाले हैं! ऐसी कोई बात नहीं है। नि:संदेह यह अंक-ज्ञान हमारे देश से अरब होता हुआ यूरोप

[माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

गया था। उस पर हम सबको गर्व हैं किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे यहां जिस वस्तु का विकास हुआ है उसे छोड़ दिया जाये और हम उन वस्तुओं को, जो पहले हमारे यहां से गई थीं, उनके परिवर्तित रूप में वापस ले लें। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनके रूप बदल दिये हैं और हमने अपने रूपों में अपनी आत्मीयता के अनुसार भेद कर लिया है। सर्वत्र परिस्थितियों और वातावरण में परिवर्तन होते हैं। हमारे देश में भी परिवर्तन हुये हैं। जैसाकि मैंने कहा है हमारे अंकों का भी विकास हुआ है। वैदिक काल में वे एक विशेष प्रकार से लिखे जाते थे। फिर परिवर्तन हुए और लगभग सोलह शताब्दियों से वे वर्तमान रूप में लिखे जा रहे हैं। क्या हम उस वस्तु को छोड़ दें जो इतने लम्बे समय से प्रयुक्त होती रही है? मैं कहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद कोई तर्क नहीं है और यह उचित नहीं है कि इस प्रकार हमारे लोगों से अकस्मात् अपने अंकों को छोड़ने के लिये कहा जाये।

***माननीय श्री आर.आर. दिवाकर:** हम आजकल दक्षिण में उनका प्रयोग कर रहे हैं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं श्री दिवाकर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे धैर्य रखें। उन्हें फिर बाद में मौका मिल सकता है।

देवनागरी लिपि के विषय में, जिसमें अंक भी शामिल हैं, अधिकृत रूप से कहा गया है कि संसार की सब प्रणालियों से हमारी प्रणाली सर्वोत्तम है। मैं आपको एक दो उद्धरण पढ़कर सुनाऊंगा, यद्यपि मेरे पास बहुत से हैं। सुनिये प्रोफेसर मोनियर विलियम्स (Monier Williams) कहते हैं:

"And now a few words in explanation of the Deva-Nagari or Hindu system. This, although deficient in two important symbols. 'represented in the Roman by z and f,....

(which deficiency as you know, has been made up by means of dots.).

".....is, on the whole, the most perfect and symmetrical of all known alphabets. The Hindus hold that it came directly from the Gods—whence its name (*i.e. Devanagari*) and truly its wonderful adaptation to the symmetry of the sacred Sanskrit seems almost to raise it above the level of human inventions."

[अब देवनागरी या हिन्दू प्रणाली के विषय में भी कुछ शब्द कहता हूं। यद्यपि इसमें दो महत्वपूर्ण संकेतों की कमी है, जो रोमन लिपि में 'Z' तथा 'F' द्वारा लिखे जाते हैं,.....

[आप जानते हैं कि इस अभाव में बिन्दु लगा कर पूरा कर लिया गया है]

.....फिर भी सब ज्ञात वर्णमालाओं में यह सर्वाधिक सम्पूर्ण तथा व्यवस्थावत है। हिन्दू कहते हैं कि यह लिपि ईश्वर से प्राप्त हुई है इसी कारण उसे 'देवनागरी' कहते हैं और सचमुच पवित्र संस्कृत में इसका आश्चर्यजनक प्रयोग ऐसा है कि इसे मानवीय आविष्कार के स्तर से ऊंचा उठा देता है।]

स्वर्गीय सर इसाक पिटमैन ने, जो ध्वनिकला का आविष्कारक अंग्रेज था, कहा है:

"If in the world we have any alphabets the most perfect, it is those Hindi ones."

[यदि संसार में कोई भी वर्णमाला सर्वाधिक पूर्ण है, तो यह हिन्दी की वर्णमाला ही है।]

मैं अन्य उद्धरणों को नहीं पढ़ूंगा।

कुछ मित्रों ने सुझाव दिया था कि रोमन लिपि को स्वीकार करना चाहिये। उन्हें इन उद्धरणों पर विचार करना चाहिये जो मैंने पढ़कर सुनाये हैं। मेरे विचार में यह सम्भव है कि जब हमारा देश शक्तिशाली बन जाये, तब यूरोपीय राष्ट्र स्वयं हमारी वर्णमाला की उत्तमता के निकटतर आने लगे। हमारी भाषा को रोमन रूप देने का प्रश्न उन्नीसवीं शताब्दी में भी उठा था। इंगलिस्तान के कुछ विद्वान चाहते थे कि यहां के लोगों को रोमन लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिये। इस पर लम्बा वाद-विवाद चला था और अंत में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि इस देश में रोमन लिपि के प्रयोग से लाभ नहीं होगा और नागरी लिपि सर्वोपयोगी है। अब हमारी भाषा का रोमन रूप बनाने की बात करने के दिन लद गये। मुझे आशा है कि उस प्रश्न पर बल नहीं दिया जायेगा।

तत्पश्चात्, श्रीमान्, संस्कृत को अपनाने के विषय में भी कुछ कहा गया था। संस्कृत प्रेमियों के समक्ष मैं नतमस्तक हूं। मैं भी उनमें से हूं। मुझे संस्कृत से प्रेम है। मेरे विचार में, इस देश में उत्पन्न प्रत्येक भारतीय को संस्कृत पढ़नी चाहिये। संस्कृत द्वारा ही हमारी प्राचीन बपौती बनी रहेगी। किन्तु आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है—यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्नता होगी, और मैं उसके पक्ष में मत दूंगा—किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई क्रियात्मक प्रस्थापना नहीं है कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाये।

***पं. लक्ष्मीकांत मैत्र:** पन्द्रह वर्ष पश्चात् यह बिल्कुल ठीक रहेगी, यद्यपि आज नहीं है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं नहीं समझता कि आज हमारे लिये अपने संविधान में यह कहना सम्भव होगा कि हिन्दी के स्थान पर संस्कृत होनी चाहिये। मेरे विचार में सबसे व्यावहारिक उपाय यही है कि राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी को स्वीकार कर लिया जाये।

***श्री महावीर त्यागी:** अंकों के विषय में आपका संशोधन क्या है, श्रीमान्?

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** अतएव मेरा निवेदन यह है कि इस सम्पूर्ण लिपि देवनागरी में, जो अतीत काल से चली आ रही है, हिन्दी को राजभाषा बनाना चाहिये। यह ठीक नहीं है कि अकस्मात्, जबकि जनता को इस विषय में ज्ञान नहीं है, जबकि यह विषय लम्बे समय तक उनके समक्ष नहीं रहा है, संविधान सभा यह विनिश्चय कर दे कि उस लिपि में से नागरी अंकों को निकाल दिया जाये और उनके स्थान पर तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अंक या अंग्रेजी अंक रख दिये जायें। दक्षिण भारत के कुछ सदस्यों के मन में अंग्रेजी अंकों के प्रयोग के विषय में कुछ आकर्षण है क्योंकि वे उन्हें अपनी भाषाओं में प्रयोग करते रहे है। मैं शांतिप्रिय व्यक्ति हूं। मैं यथासम्भव कोई झगड़ा नहीं चाहता।

मेरे मित्र डॉ. एस.पी. मुखर्जी ने मुझसे एक प्रकार की व्यक्तिगत अपील की थी। मैं इसके लिये उनका कृतज्ञ हूं। मैं भी चाहता हूं कि भाषा संकल्प एकमत से ही पारित होना चाहिये। उस उद्देश्य से, यद्यपि मेरी प्रबल इच्छा है कि देवनागरी अंकों के विषय में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, पर अपने दाक्षिणात्य मित्रों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये मैंने एक सूत्र पेश किया है। मुझे आशा है कि उसे स्वीकार करना आपके लिये सम्भव होगा। मैं कहता हूं: पन्द्रह वर्ष तक देवनागरी लिपि के लिये भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अंकों को मान्यता दे दी जाये और समय-समय पर राष्ट्रपति, अर्थात् सरकार को यह विनिश्चय करने दिया जाये कि एक प्रकार के अंकों का प्रयोग कहां होगा और दूसरे प्रकार के अंकों का प्रयोग कहां होगा। बहुत वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में किया जायेगा। कुछ मित्रों, विशेषत: श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने मुझे सुझाव दिया था कि अंक-संग्रह के लिये, हिसाब के लिये तथा बैंक-व्यवहार के लिये अंग्रेजी अंकों के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिये। मैंने देखा कि वे उसके विषय में बहुत दृढ़ थे। अत: एक उपखण्ड में मैंने यह भी रख दिया है कि जहां तक इन मामलों का संबंध है, इस पन्द्रह वर्षों की कालावधि में, केवल अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होना चाहिये, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को रखने का मुख्य प्रयोजन अंग्रेजी भाषा से ही सिद्ध हो जायेगा, क्योंकि उसमें तो अंग्रेजी अंकों का प्रयोग होगा ही। मैं नहीं समझता कि किसी की यह इच्छा है कि सामान्य हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन में हिन्दी अंकों का प्रयोग होना चाहिये। किन्तु वह भी मैंने सरकार पर छोड़ दिया है। यदि सरकार चाहती है कि किसी कार्य विशेष के लिये अंग्रेजी अंकों का प्रयोग हो, तो वे ऐसा कर सकते हैं। वे केवल तभी हिन्दी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं जब वे उन्हें अपेक्षित समझें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मध्यमार्ग को स्वीकार कर लीजिये और यह हठ मत कीजिये कि सदा सर्वदा के लिये देवनागरी अंकों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग होना चाहिये *(बाधा)*। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस प्रस्थापना को यहां स्वीकार मत कीजिये, क्योंकि यह उन लोगों के साथ कठोरता होगी जो अब तक हिन्दी का प्रयोग करते रहे हैं। उनके दिमाग इस प्रकार के परिवर्तन के लिये बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं *(बाधा)*। देवनागरी को राजकीय लिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के पश्चात् हमें सबको सम्मेलन करने होंगे

और यह विनिश्चय करना होगा कि नागरी वर्णों में क्या परिवर्तन किये जायें। हमारी प्रणाली सम्पूर्ण है, किन्तु कुछ अक्षरों के रूपों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कुछ नये अक्षर भी जोड़ने होंगे।

मेरा निवेदन है कि वर्तमान रूप में नागरी लिपि को स्वीकार करने के पश्चात्, हमारे सबके लिये यह सम्भव होगा और भारत सरकार के लिये यह विशेषत: अपेक्षित होगा कि सम्मेलन करके उनमें विचार किया जाये कि आधुनिक काल की आवश्यकताओं के लिये लिपि और अंकों में क्या परिवर्तन किये जायें। प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था कि मुद्रणालय के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अंक अधिक उपयुक्त हैं। उनके प्रति पूर्ण आदर भाव से मैं कहता हूं कि वे मुद्रणकार्य से परिचित नहीं हैं। जिन मुद्रण कर्मचारियों से मैं सम्पर्क में आया हूं उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि हिन्दी या अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग में उनके लिये तनिक भी अन्तर नहीं पड़ता। सर्वोत्तम मुद्रण कार्य मोनोटाइप या लीनोटाइप यंत्रों पर होता हैं वास्तव में मेरा निवेदन है कि हमारे अंक अधिक कलापूर्ण हैं और हमारे अक्षरों के रूपों के अनुरूप हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैंने जिस भावना से इस मध्यमार्ग को प्रस्तुत किया है उसी भावना से आप इसे स्वीकार कर लीजिये। मैं आपसे कहता हूं कि अधिक कटुता मत बढ़ने दीजिये। अन्यथा यह बात यहीं समाप्त नहीं हो सकती। क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर आन्दोलन नहीं होगा? यह बात उन लोगों के हृदयों में अवश्य खटकेगी जो इन अंकों का प्रयोग करते आये हैं और उनसे प्रेम करते हैं—चाहे वे हिन्दीभाषी हों या मराठीभाषी हों या गुजरातीभाषी हों। हम आपकी तमिल या तेलुगु लिपियों में तनिक भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, किन्तु आप हमारी नागरी लिपि में परिवर्तन कर रहे हैं।

***श्री एल. कृष्णस्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): यह तो केवल राजकीय प्रयोजनों के लिये ही है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मुझे पता है कि यह केवल भारत सरकार के राजकीय प्रयोजनों के लिये है। किन्तु एक बार भारत सरकार इस बात को आरम्भ करेगी, तो यह अवश्य नीचे भी आ जायेगी और फैल जायेगी क्योंकि सरकार सब कार्यवाहियों का केन्द्र है। इसी कारण हमें इस पर आपत्ति है। यदि आप कृपया मेरी बात सुनेंगे तो मैं पूर्ण विनम्रता से आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो मध्यमार्ग रखा है उसे स्वीकार करके मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लीजिये।

***माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद** (युक्त प्रान्त : मुस्लिम): जनाब सद्र, मैं इस वक्त थोड़ा सा वक्त हाउस का लूंगा। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि आपको बतला दूं जबान के बारे में मेरी राय क्या है और इस सिलसिले में मैंने कांग्रेस पार्टी को जो मशविरा दिया था और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो तरजअमल अख्तियार किया था उससे मेरा मकसद क्या था। यह सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा और आपके जरिये मुल्क के सामने लाऊंगा।

इस बारे में कई सवाल हमारे सामने आये थे। पहला सवाल यह था कि अगर हम अंग्रेजी जबान को उस जगह से हटाना चाहते हैं जो उसने हुकूमत और तालीम

[माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद]

में पैदा कर ली है तो उसे किस तरह हटाया जाये। उसे फौरन हटा देना चाहिये या कुछ मुद्दत के अन्दर आहिस्ता-आहिस्ता। आपको याद होगा कि दो वर्ष पहले मैंने यह राय जाहिर की थी कि हमें कम से कम पांच वर्ष तक इन्तजार करना चाहिये यानी पांच वर्ष तक यूनिवर्सिटी में और सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी जबान अपनी जगह कायम रहे। इसके बाद तब्दीली अमल में आये और उस मुद्दत के अन्दर हम अपनी मुल्की जबान को इस काबिल बनाने की कोशिश करें कि वह अंग्रेजी की जगह बाआसानी ले सके। मेरा यह ख्याल कि अंग्रेजी फौरन न हटाई जाये, आमतौर पर पसंद किया गया था। लेकिन जो मुद्दत मैंने ठहराई थी उससे बहुत कम दोस्तों ने इत्तफाक किया था। खासतौर पर दकन और बंगाल के दोस्तों का यह ख्याल था कि इससे बहुत ज्यादा जमाना हमें दरकार होगा। पांच वर्ष की मुद्दत एक ऐसी बड़ी तब्दीली के लिये काफी नहीं हो सकती। मैं तस्लीम करता हूं कि काम के तजरबे और सोच विचार के बाद मुझे भी उन दोस्तों की राय से इत्तफाक करना पड़ा। मैं अब महसूस करता हूं कि मेरा अन्दाजा दुरुस्त न था। पांच छह वर्ष के अन्दर हम किसी तरह भी यह रास्ता तय नहीं कर सकते। मुझे श्री अयंगर की तरमीम से पूरा इत्तेफाक है, कि इसके लिये कम से कम पन्द्रह वर्ष की मुद्दत रखनी चाहिये। आपको मालूम है कि मुझसे ज्यादा इस बात का कोई ख्वायशमन्द नहीं हो सकता कि हम अंग्रेजी भाषा की जगह अपनी मुल्की भाषा को राज करते हुए देखें। शायद यह कहना बेजा न होगा कि मैं पहला शख्स हूं जिसने एसेम्बली में इसकी कोशिश की कि सरकारी बेंच से अंग्रेजी की जगह हिन्दुस्तानी की आवाज बुलन्द हो। लेकिन मामले के तमाम पहलुओं पर गौर और फिक्र करने के बाद मुझे इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि इस मामले को हम महज अपनी ख्वायश और जज्बे के मातहत अन्जाम नहीं दे सकते। हमें सूरत हाल की मुश्किलों को मानना चाहिये और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिये। हमारे रास्ते में दो बड़ी रुकावटें खड़ी हो गई हैं। पहली रुकावट यह है कि हमारी कोई मुल्की भाषा भी ऐसी नहीं है जो फौरन अंग्रेजी की जगह ले सके उसे उभरने, संवरने और बनने के लिये कुछ समय चाहिये। जहां तक हुकूमत के दफ्तरी कामों का लगाव है और जहां तक ऊंचे दर्जे की तालीम का ताल्लुक है हमारी कोई ज़बान भी आज अचानक अंग्रेजी की जगह नहीं ले सकती। इस बात का मानना हमें बहुत दु:ख देता है। लेकिन अफसोस के साथ हमें मान लेना पड़ता है अगर इस डेढ़ सौ वर्ष के अन्दर जो अंग्रेजी हुकूमत का ज़माना गुज़र चुका है हमारी मुल्की ज़बान को हुकुमत और तालीम की ज़बान होने का मौका मिला होता तो यकीनन आज हमारी कौमी जबान का भी वही दर्जा होता कि जो दुनिया की इल्मी जबानों का है। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत और तालीम की जबान अंग्रेजी रही और आज हम मजबूर हो गये हैं कि इसी के जरिये अपनी कौमी जिन्दगी के तमाम काम अंजाम दें। दूसरी रुकावट मुल्क में किसी एक आम जबान का न होना है। हम अंग्रेजी जबान की जगह किसी मुल्क की जबान को अचानक लायें तो किस जबान को लायें जो सारे मुल्क में एक तरह पर लिखी और पढ़ी जाती हो। यह हकीकत है कि ऐसी कोई जबान नहीं है। बिला शुभा उत्तरी हिन्दुस्तान की जबान सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है लेकिन अव्वल तो हर जगह लिखी और पढ़ी नहीं जाती दूसरे दकन का हिस्सा उसके दायरे से बिल्कुल बाहर रहा है। वहां बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो उत्तरी हिन्द की

भाषा टूटी फूटी भी बोल सकें। यह बात मान लेनी पड़ती है कि जबान के एतबार से उत्तर और दक्षण दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्से हो गये हैं। सिर्फ अंग्रेजी जबान है जिसमें पढ़े लिखे उत्तरियों और दक्कनियों को आपस में मिला दिया है। अंग्रेजी को आज छोड़ दें तो फिर हमारे लिये जबान का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता।

अब अगर हम चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारी मुल्क की जबान तमाम मुल्क की कौमी और फिडरल जबान हो जाये तो इसके सिवा चारा नहीं कि कुछ मुद्दत तक सबर और इन्तेजार करें। और अंग्रेजी को कायम रखते हुए मुल्की जबान की तालीम को आम करने की कोशिश करें। इस काम में हमें सबसे ज्यादा अपने दक्कनी भाइयों की गुडविल और कोआपरेशन की जरूरत है। जब तक वह दिली तौर पर इस काम में हमारा साथ न देंगे हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आमादगी जाहिर की है कि उन्हें पन्द्रह वर्ष का मौका दिया जाये और हमें चाहिये कि खुशी के साथ इस मुद्दत को मंजूर कर लें। अगर एक ऐसा अहम मामला जैसा कि कौमी जबान का मामला है सिर्फ पन्द्रह वर्ष में तय हो जाता है तो हमें तस्लीम करना चाहिये कि यह सौदा बहुत सस्ते में चुका दिया गया है और कौम की जिन्दगी की एक बड़ी कठिन मंजिल आसानी के साथ तय हो गई। एक कौम और मुल्क की जिन्दगी में पन्द्रह वर्ष की मुद्दत कौन सी बड़ी मुद्दत है? यह पन्द्रह दिन से ज्यादा नहीं।

बाज़ दोस्तों ने इस पर यह एतराज किया है कि इस फैसले का असर सूबों पर ही पड़ेगा हालांकि बाज सूबों ने अंग्रेजों को बहुत हद तक उसकी जगह से हटा लिया है और बाज यूनिवर्सिटियों ने फैसला किया है कि यह यूनिवर्सिटी दर्जे की तालीम भी बहुत जल्द अपनी मुल्की जबान के जरिये देना शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में सी.पी. की दो यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया गया है। मुझे यह कहने में ताअमुल नहीं कि इस तरह जल्दबाजी के फैसले किसी तरह भी कौमी तालीम के मकसद को फायदा नहीं पहुंचा सकते। मुझे अन्देशा है कि इससे तालीम का स्टेण्डर्ड बहुत कुछ गिर जायगा। और तुलवा की तालीमी इस्तेदाद को नुकसान पहुंचेगा। सूबों की गवर्नमेंटों और यूनिवर्सिटियों को मालूम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले पर गौर कर रही है और एक यूनिवर्सिटी कमीशन बिठा दिया गया है जो और तालीमी मसलों के साथ इस अहम मसले पर भी गौर करेगा। जरूरी था कि वह कमीशन की सिफारिशों का इन्तजार करते और सोच समझ कर कदम उठाते। हम तालीम के मैदान में इस तरह अलग-अलग कदम उठा कर मुल्क की तालीमी जिन्दगी की कोई खिदमत नहीं करेंगे।

माननीय पं. रविशंकर शुक्लः (सी.पी. तथा बरार : जनरल): मैं आपको यह इत्तिला दे दूं कि सी.पी. की यूनिवर्सिटियों ने फैसला 3 वर्ष पहले किया था। यूनिवर्सिटी कमीशन तो इस वर्ष बिठाया गया है।

माननीय मौलाना अबुल कलाम आजादः ठीक है। उन्होंने 3 वर्ष पहले फैसला किया था लेकिन हमें गौर करना है कि यह फैसला मसलेहत के मुताबिक था या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि यह फैसला हमारी तालीम की मसलेहतों का साथ नहीं देता। और जरूरी है कि उस पर नजरसानी की जाये। यूनिवर्सिटी कमीशन

[माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद]

की सिफारिशें गवर्नमेंट को मिल गई हैं। बहुत जल्द गवर्नमेंट को मौका मिलेगा कि इस पर गौर करेगी। मैं समझता हूं कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि इस बारे में यूनिवर्सिटियों को अलग-अलग फैसले नहीं करने चाहियें। बल्कि एक फैसला करके तमाम मुल्क को उस पर अमल करना चाहिये।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है मैं नहीं समझता कि हमारे लिये पन्द्रह वर्ष तक इन्तजार करना जरूरी होगा। हम इससे पहले यह तबदीली अमल में ला सकते हैं बशर्ते कि ठीक तरीके पर उसकी तैयारी का काम शुरू कर दें। लेकिन कोई ऐसी तबदीली जो फौरन अमल में लाई जाये यकीनन गलत होगी ओर आला तालीम के सारे मैदान को उलट पलट कर देंगे।

इस सिलसिले में अदालतों का सवाल भी हमारे सामने आया है। मेरी कतई राय है कि पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी जबान को आला अदालतों में जारी रखना चाहिये। अगर हम जल्दबाजी करके अंग्रेजी को हटायेंगे तो तरह-तरह के कानूनी उलझाव पैदा हो जायेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों की अदालतों में कोई बाहमी रिश्ता जबान की यकसानी का बाकी नहीं रहेगा। यह तबदीली उसी वक्त होनी चाहिये जब अंग्रेजी की जगह एक कौमी जबान हर हिस्से में लिखी और पढ़ी जाने लगे और ऊंचे दर्जे के मतालिब बयान करने के लिये उसका एक ठीक सांचा ढल जाये। यकीनन इस काम के लिये पन्द्रह वर्ष की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं है।

जबान के सिलसिले में दूसरा सवाल यह सामने आया था कि जिस जबान को हम कौमी जबान करार दें वह कौन सी जबान हो। उसे किस नाम से पुकारना चाहिये।

जहां तक जबान का ताल्लुक है यह बात आमतौर पर मान ली गई है कि मुल्क की कौमी जबान वही जबान हो सकती है जो उत्तरी हिन्द की जबान है। लेकिन उत्तरी हिन्द की जबान के लिये अब तीन नाम पैदा हो गये हैं। उर्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तानी। और सारा झगड़ा इस बारे में है कि उसे किस नाम से ताबीर करना चाहिये। कुदरती तौर पर इन तीनों नामों के पीछे जबान के अलग-अलग रूप आकर खड़े हो गये हैं और झगड़ा नाम का नहीं है उस रूप का है जो नाम के साथ जुड़ गया है। मैं मुख्तसर लफ्जों में आपको बतला देता हूं कि उन तीनों नामों का असली इखतेलाफ क्या है। उत्तरी हिन्द की जबान अपने ढांचे और सांचे में एक ही है। लेकिन जब वह अदबी यानी लिटरेरी दर्जे में आती है तो उसके दो नाम हो जाते हैं। जिस स्टायल में फारसी जबान की झलक ज्यादा आ जाती है उसे उर्दू कहते हैं। जिसमें संस्कृत की झलक ज्यादा उभरती है उसे हिन्दी कहने लगे हैं। हिन्दुस्तानी के नाम में एक आम और वसीह मफहूम पैदा कर लिया है। यह अपने वसीह दामन में उत्तरी हिन्द की जबान के सारे रूप ले लेता है। इसमें हिन्दी भी आ जाती है उर्दू भी आ जाती है और इससे भी ज्यादा फैलाव की गुन्जाइश निकल आती है। यह गोया ठीक ठीक उस सूरत हाल को नुमायां कर देता है जो इस वक्त उत्तरी हिन्द की जबान की है। यह किसी अनसर को खारिज नहीं करता। सबको अपने अन्दर समेट लेता है।

आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले जब यह सवाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने आया था तो मेरी ही तजवीज से उसने हिन्दुस्तानी का नाम इख्तयार

किया था। मकसूद यह था कि हम जबान के बारे में तंग ख्याली से काम न लें, ज्यादा से ज्यादा वसीह मैदान पैदा कर दें। हिन्दुस्तानी का लफ्ज इख्तयार करके हमने हिन्दी और उर्दू के इख्तेलाफ को भी दूर कर दिया था। क्योंकि जब आसान उर्दू और आसान हिन्दी बोलने और लिखने की कोशिश की जाती है तो दोनों मिलकर एक जबान हो जाती है और उर्दू और हिन्दी का फर्क बाकी नहीं रहता। इस आसान और सहल बोलचाल के चौखटे में नये-नये लफ्जों और तरकीबों के जितने गुल बूटे बनाने चाहें बना सकते हैं। इसमें किसी तरह की रुकावट हमें पेश नहीं आयेगी। अलावा बरीं हिन्दुस्तानी का नाम इख्तयार करके हम जबान के उस फैलाव को बदस्तूर छोड़ देते हैं जो आज उत्तरी हिन्द की भाषा बोलने वालों ने पैदा कर दिया। ऊपर से कोई पाबन्दी और रुकावट नहीं लगाते। गौर कीजिये। आज इस जबान के बोलने वालों का क्या हाल है आज से 70, 80 वर्ष पहले शुमाली हिन्द के लिखने पढ़ने की जबान आमतौर पर उर्दू थी। फिर हिन्दी की तहरीर शुरू हुई और एक दूसरा लिटरेरी ढंग पैदा हो गया। अब उर्दू और हिन्दी दो अलग-अलग नाम हो गये हैं। लेकिन यू.पी., सी.पी., बिहार और पंजाब में आज भी आमतौर पर जो जबान बोली जाती है वह अपने रूप में एक ही है। जिन लोगों ने संस्कृत लिटरेचर से जौक पैदा किया है उनकी जबान पर संस्कृत के लफ्ज़ और संस्कृत रूट से निकले हुए लफ्ज़ ज्यादा आ जाते हैं। जिन लोगों ने फारसी की तालीम पाई है उनकी जबान से फारसी के लफ्ज़ ज्यादा निकल आते हैं। कांग्रेस का फैसला यह था कि यह दोनों किस्म के स्टायल हिन्दुस्तानी में दाखिल हैं और हर स्टायल का बोलने वाला हिन्दुस्तानी बोलता है। अगर हम चाहते हैं कि एक वसीह ताकतवर और इलमी जबान पैदा हो जाये तो हमें चाहिये किसी तरह की बनावटी रोक लोगों पर न लगायें। जो जबान बोलते हैं बोलने दें। कुछ अर्से के अन्दर खुद बखुद एक खास ढंग उभर आयेगा। जब लफ्ज़ ज्यादा चलता हुआ और जबान के कुदरती उसूलों के मुताबिक होगा बाकी रहेगा। जो ऐसा नहीं होगा छूट जायेगा। इल्मी ज़बानें इस तरह नहीं बना करती कि बनावटी कायदों और ठहराई हुई पाबन्दियों के जरिये कोई चीज बना दी जाये। ज़बान बनाई नहीं जाती खुद-ब-खुद बनने लगती है। ढाली नहीं जा सकती खुद-ब-खुद ढलने लगती है। आप लोगों की जबानों पर बनावटी पाबन्दियों के कुफल नहीं चढ़ा सकते अगर चढाइयेगा तो वह लगेंगे नहीं खुद-ब-खुद खुल कर गिर पड़ेंगे। ज़बानों का कानून आपकी पकड़ से बाहर है। आप हर चीज के लिये कानून बना सकते है लेकिन जबानों की कुदरती चाल के लिये कोई कानूनसाजी नहीं की जा सकती। वह खुद-ब-खुद एक रास्ता इख्तयार कर लेती हैं, और सिर्फ उसी रास्ते के जरिये मन्जिल मकसूद तक पहुंच सकती है।

बहरहाल हिन्दुस्तानी का नाम इख्तयार करके कांग्रेस ने जबान की कुदरती हालत का एतराफ किया था और उसे बनावटी पाबन्दियों से महफूज कर देना चाहा था। खुद गांधी जी का और कांग्रेस का इसी पर अमल रहा। उन्होंने सारे मुल्क का एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दौरा किया और हर जगह हिन्दुस्तानी में तकरीर की। वह दिल्ली या लखनऊ के रहने वाले न थे काठियावार में उनकी परवरिश हुई थी। उनकी हिन्दुस्तानी न तो अदबी उर्दू थी न अदबी हिन्दी। एक मिली जुली किस्म की जबान थी। बहुत से लफ्ज़ और तरकीबें जो बम्बई और गुजरात

[माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद]

के हिन्दुस्तानी बोलने वाले बोल जाते हैं उनकी जबान पर भी चढ़ गई थीं और वह बिला तामुल उन्हें काम में लाते थे। लेकिन फिर भी उनकी यह जबान हिन्दुस्तानी ही जबान थी और करोड़ों हिन्दुस्तानियों के दिलों तक उनका पैगाम इसी जबान के जरिये पहुंचा था। खुद कांग्रेस के प्लेटफार्म को देखिये कि गांधी जी के असर में आने के बाद उसका क्या हाल हुआ। पहले कांग्रेस की तमाम कार्यवाही अंग्रेजी में होती थी। गांधी जी के दौर में हिन्दुस्तानी आई और आज तक उसी जबान में तमाम तकरीरें होती हैं। लेकिन यह हिन्दुस्तानी दिल्ली और लखनऊ की टकसाली जबान नहीं होती, न बनारस के पण्डितों की हिन्दी होती है। एक निहायत वसीह किस्म की जबान हो गई है जिसमें हर तकरीर करने वाला अपनी अपनी तालीम और टेस्ट के मुताबिक जबान का एक ढंग इख्तयार कर लेता है और अपना मतलब हजारों आदमियों को समझा देता है। उर्दू बोलने वाले उर्दू बोलते हैं। हिन्दी बोलने वाले हिन्दी बोलते हैं। बम्बई का मुकर्रर बम्बई की हिन्दुस्तानी बोलेगा। बंगाल का मुकर्रर बंगाली लबों लहजा की हिन्दुस्तानी काम में लायेगा। हिन्दुस्तानी का आम और फैला हुआ नाम इन सबको अपने दायरे में ले लेता है और सबके लिये जगह रखता है। जरूरत है कि हम जबान की यह वुसअत कायम रखें और इसे फैलने और संवरने दें। इसे किसी एक तंग दायरा में महदूद न कर दें। हमें अंग्रेजी जैसी वसीह और इल्मी जबान की जगह एक कौमी जबान पैदा करनी है। वह इसी तरह पैदा हो सकती है कि जबान का दामन ज्यादा वसीह हो। तंग और सिमटा हुआ न हो। अगर आप इसे उर्दू कहेंगे तो यकीनन इसका दायरा वसीह नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हिन्दी करार देंगे तो यकीनन एक तंग दायरा में वह सिमट कर रह जायेगी। सिर्फ हिन्दुस्तानी ही का लफ्ज़ है जिसने एक वसीह मफहूम पैदा कर लिया है और जो जबान की हकीकी सूरत हाल को ठीक-ठीक वाजेह कर देता है।

यही वजह है कि जिनकी बिना पर मेरी वर्षों से यह राय रही कि कौमी जबान को हिन्दुस्तानी के नाम से तावीर करना चाहिये और यह याद दिलाना जरूरी नहीं कि अपनी जिन्दगी के आखिरी दिन तक गांधी जी की भी यही राय रही थी। इस गर्ज से उन्होंने हिन्दुस्तानी प्रचार सभा कायम की इसलिये वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हो गये। अब जब कान्स्टीट्यूशन के सिलसिले में यह सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने आया तो कुदरती तौर पर मैंने इसी राय पर जोर दिया। मुझे तवक्कों थी कि कम अज कम कांग्रेस के पुराने साथी अपनी जगह से न हिले होंगे, और गांधी जी के सिद्धान्तों पर जमे होंगे, मगर मैं आपसे अपना यह ख्याल छिपाना नहीं चाहता कि मुझे सख्त मायूसी हुई मैंने देखा कि चन्द गिने हुए कदमों के सिवा और सारे कदम अपनी जगह से हट गये हैं।

पार्टी में जैसाकि आपको मालूम है कि कई दिन तक बहसें होती रहीं मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बहस का ज्यादा जोर इस पर खर्च होने लगा था कि कब तक अंग्रेजी रखी जाये और कब से नई तबदीली अमल में आये। जबान के सिलसिले में चन्द नई जज़बीजें भी पेश की गईं। एक तजबीज़ यह थी कि कान्स्टीट्यूशन में हिन्दी ही का लफ्ज़ रखा जाये। लेकिन इसके साथ यह तशरीह बढ़ा दी जाये कि हिन्दी में जबान की वह सूरत भी दाखिल है जिसे उर्दू कहते

है। मतलब यह था कि जो फैलाव हिन्दुस्तानी के नाम में बतलाया जाता है वह हिन्दी में पैदा कर दिया जाये। बिल आखिर ड्राफ्टिंग कमेटी के सुपुर्द यह मामला किया गया और इससे दरख्वास्त की गई कि कान्स्टीट्यूशन के इस हिस्सा का एक नया मसौदा इख्तयार करके पेश करे, और इन तमाम तजवीजों को भी पेश नजर रखे जो बहस के दौरान में पेश की गई हैं। कमेटी में चन्द नये मेम्बर भी बढ़ाये गये। उन मेम्बरों में एक मेम्बर मैं भी था।

कमेटी के पहले इजलास में मैं शरीक हुआ। अगर मैंने महसूस किया कि अकसरियत एक खास राय पर पहले से जमी हुई है और वह किसी तरह इस पर राजी नहीं हो सकती कि हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी को इख्तयार किया जाये या हिन्दी की कोई ऐसी तशरीह की जाये कि जिससे उसके मफहूम में कुछ फैलाव पैदा हो सके। चूंकि इस हालत में मेरा कमेटी में रहना बेकार था, इसलिये मैंने इस्तीफा दे दिया और कमेटी से अलग हो गया।

मेरे मुस्तफी होने के बाद फिर नये सिरे से यह मामला कमेटी में उठाया गया और इसकी कोशिश की गई कि मामला में एक खास हद तक बसअत पैदा की जाये। इसी कोशिश का नतीजा वह तरमीम है जो आयंगर साहब ने पार्टी के इजलास में रखी थी और अब आपके सामने आई है।

इसी तरमीम ने मामला में कई तबदीलियां पैदा की हैं, जो काबिले गौर हैं:

(1) जहां तक जबान के नाम का ताल्लुक है हिन्दी ही का नाम रखा गया लेकिन फिर एक दफा बढ़ाकर हिन्दी की नोईयत वाजेह करने की कोशिश की है और इस बात पर जोर दिया गया है कि हिन्दुस्तानी भी इसके मफहूम में दाखिल है।

(2) इस बात पर भी जोर दिया है कि हिन्दुस्तानी कलचर एक कम्पोजिट कलचर है और हिन्दुस्तान की कौमी जबान ऐसी होनी चाहिये जो इस कम्पोजिट कलचर को नुमायां करती हो।

(3) उर्दू जबान के बारे में यह बात साफ कर दी गई है कि मुल्क की रिकेगनाइज्ड़ जबानों में से एक जबान वह भी है।

जहां तक उर्दू जबान का ताल्लुक है मामले ने अचानक एक ऐसी सूरत इख्तयार कर ली थी जो आगे चल कर लाखों करोड़ों वाशिन्दों के हकूक पर असर डाल सकती थी लेकिन इस तरमीम ने बहुत हद तक इसका इलाज कर दिया। उर्दू जबान अगर्चे तमाम शुमाली हिन्दुस्तान में फैल गई थी लेकिन इस पैदाइश और तरक्की का असली घर यू.पी. का सूबा था। दिल्ली के बाद लखनऊ उसका मरकजी मकाम बना और अठारवीं और उन्नीसवीं सदी में तमाम मुल्क को उसने एक बनी बनाई जबान दे दी। अगर कांग्रेस के पिछले फैसले के मुताबिक हिन्दुस्तानी को इसके दोनों खतों के साथ इख्तयार कर लिया जाता तो उर्दू का अलग सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि हिन्दुस्तानी के आम मफहूम में उर्दू भी आ जाती और फिर कुछ अरसे के बाद जबान का रूप मिल जुलकर एक ही हो जाता। मगर ऐसा नहीं किया गया और हिन्दुस्तानी की जगह हिन्दी को इख्तयार कर लिया

[माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद]

गया। ऐसी हालत में हकीकत और इन्साफ का तकाजा यह था कि कम से कम उर्दू को उसी जन्म भूमि यानी यू.पी. में सरकारी जगह दे दी जाती, मगर नहीं दी गई और हिन्दी सिर्फ एक खत के साथ सरकारी जबान तस्लीम कर ली गई। अब कुदरती तौर पर यह सवाल पैदा हो गया था कि उर्दू की कोई जगह इंडियन यूनियन में बाकी भी रहेगी या नहीं। यह सच है कि अगर एक जबान लाखों करोड़ों आदमी रात दिन बोल रहे हैं तो इसकी जिन्दगी हकूमत के मानने या न मानने पर मौकूफ नहीं हो सकती। जब तक लोग खुद अपनी मर्जी से उसे न छोड़े कोई भी इन्हें छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। ताहम मुल्क के जमहूरी कान्स्टीट्यूशन के लिये यह बात बहुत ही नामौजूं होती कि वह मुल्क की एक ऐसी जबान का एतराफ न करे जिसे लाखों करोड़ों हिन्दू मुसलमान बोल रहे हैं और जो उनकी मादरी जबान है। अब इस तरमीम ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि मुल्क की मानी हुई जबानों में एक जबान उर्दू भी है। उसके साथ भी हकूमत का वही तर्ज अमल रहेगा जो तमाम मानी हुई जबानों के साथ रहना चाहिये।

मैं आपको यह बतला दूं कि इस दफा में जबान की जो तशरीह की गई है पहले उसे कान्स्टीट्यूशन की दफात में नहीं रखा गया था, डायरेक्टिव में रखा गया था। लेकिन फिर उसे कान्स्टीट्यूशन की एक मुस्तकिल दफा बना दिया गया इस तब्दीली की वजह से मामला की मजबूती ज्यादा वाजेह हो गई।

जहां तक रसमुलखत यानी लिपि का सवाल है कांग्रेस का फैसला यही था कि दोनों लिपियां हमें इख्तयार कर लेनी चाहियें यानी देवनागरी भी और उर्दू भी। इसके खिलाफ यह एतराज किया जाता था कि अगर दोनों लिपियों को मान लेने का यह मतलब समझा गया है कि सरकारी दफ्तरों के तमाम कागजात यकसां तौर पर दोनों लिपियों में लिखे जायेंगे तो इस ढंग का निभाना बहुत मुश्किल हो जायेगा और दफ्तरों का काम, खर्च और मेहनत बहुत बढ़ जायेगी। मैंने इस एतराज़ का वज़न महसूस किया था और इसलिये इससे एत्तफ़ाक़ किया था कि सरकारी दफ्तर के कागजात के लिये सिर्फ देवनागरी ही को इख्तयार कर लिया जाये। लेकिन इस पर जोर दिया था कि हकूमत के तमाम एलान, रेजूल्यूशन, कम्यूनिके और इसी किस्म की तमाम चीजें दोनों लिपियों में निकलनी चाहियें और दफ्तरों और अदालतों में हर तरह की दरख्वास्तें दोनों रसमुलखतों में मंजूर होनी चाहियें। मैंने इस पर जोर दिया था कि यह बात कान्स्टीट्यूशन में आ जाये लेकिन इससे भी एत्तफाक नहीं किया गया अलबत्ता यह बात तस्लीम की गई है कि इण्डियन यूनियन की जितनी मानी हुई जबानें हैं इन सबमें लोगों को हक होगा कि दरख्वास्त दें और दरख्वास्त का जवाब हासिल करें।

मैं नहीं चाहता कि आपसे उस असर को जरा भी छुपाऊं, जो इस तमाम बहस के दौरान में मुझ पर हुआ है। मुझे यह देखकर बड़ी ही मायूसी हुई कि एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है। तंग ख्याली, आप समझे नेरोमाइन्डेडनेस दिमाग का छोटा और सिमटा हुआ होना और हर तरह के फैलाव और ऊंचाई से इन्कार करना। मैं आपसे कहूंगा कि हम ऐसा

तंग दिमाग ले कर दुनिया की बड़ी कौम नहीं बन सकते। हिन्दुस्तान की कदीम बड़ाई और तरक्की को इसी तंग ख्याली ने जो बाद को पैदा हुई तारीकी मे डाल दिया था। और यह बड़ी ही खतरनाक बात है कि हम फिर इसी तरफ झुक रहे हैं। हिन्दुस्तानी के खिलाफ जो कुछ कहा गया है इसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि हिन्दुस्तानी का नाम इख्तयार करने से उर्दू के लिये भी गुंजाइश निकल आयेगी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर निकल आयेगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। आखिर उर्दू हिन्दुस्तान ही की जबान है। हिन्दुस्तान ही की मिट्टी से बनी है। हिन्दुस्तान ही में फूली फली है और हिन्दुस्तान ही के करोड़ों हिन्दु मुसलमानों की मादरी जबान है। आज भी यही जबान है जिसके जरिये मुख्तलिफ सूबों के बाशिन्दे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इन्टर प्राविन्शियल ताल्लुकात का तन्हा हिन्दुस्तानी जरिया है। क्यों हम अपने देश की एक जबान के खिलाफ अपने दिमागों को यहां तक मुखालिफ होने दें? क्यों हमारी दिमागी तंग दिली हमें इतनी दूर तक बहा ले जाये?

मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे अगर मैं कहूं कि इसी दिमागी तंग ख्याली का एक दूसरा मन्ज़र मैंने आदाद यानी न्यूमरल की बहस में देखा कि मैं समझ सकता हूं कि एक शख्त की राय इसके खिलाफ हो कि देवनागरी अददों की जगह इन्टरनेशनल अदद इख्तयार किये जायें। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतने तेज जज़बे इसके खिलाफ क्यों पैदा हो जायें। और इतनी सख्त मुखालिफत इसकी क्यों की जाये। आखिर जो कुछ भी हो यह एक मामूली सी बात है। इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि हम एक दूसरे मुल्क की चीज क्यों ले जब कि खुद हमारी चीज मौजूद है। हालांकि यह ख्याल सिरे से बेअसल है। यह अदद जो आज तमाम यूरोप की कौमों में रायज हैं दरअसल हम हिन्दुस्तानियों ही का एक अतया है जो आज से सदियों पहले हमने दुनिया को दिया था। आज अगर हम इसे इख्तयार कर लेते हैं तो अपनी ही चीज को फिर वापसि लेना चाहते हैं। यह हिन्दुस्तानी अदाद पहले अरब में गये थे फिर अरब से यूरोप में गये। यही वजह है कि इनका नाम यूरोप में अर्बी अदाद मशहूर हो गया। हालांकि इनकी पैदाइश हिन्दुस्तान में हुई थी। आदाद का यह ढंग हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी इल्मी ईजाद है। जिस पर इसे बजा तौर पर फख्र करना चाहिये और आज तमाम दुनिया इसका एतराफ कर रही है। यह आदाद जिस तरह अरब में पहुंचे उसकी दास्तान तारीख के सफों तक महफूज कर ली है।

आठवीं सदी मसीह में जब दूसरा आबादी खलीफा अलमन्सूर बगदाद में हुक्मरान था तो हिन्दुस्तान के वैद तबीबों की एक जुमाअत बगदाद पहुंची थी और अलमन्सूर के दरबार में बारयाब हुई थी। इसी जुमाअत में एक तबीब अस्ट्रानोमी का माहर था। और ब्रहमगुप्त की किताब सिद्धान्त इसके साथ थी। अलमन्सूर को जब यह मालूम हुआ तो उसने एक अरब हकीम इब्राहीम अलगजारी को हुक्म दिया कि हिन्दुस्तानी आलम की मदद से सिद्धान्तका तरजमा अरबी में करे। इसी तरजमा के सिलसिले में बयान किया जाता है कि हिन्दुस्तान के आदाद के तरीके से अरब वाकिफ हुए और इसका अजीम उलशान फायदा देखकर उन्होंने फौरन इसे अरबी में इख्तयार कर लिया। लेटिन की तरह अरबी में भी आदाद शुमार करने के लिये खास शकलें न थीं। हर नम्बर और अदद को लफजों में अदा किया जाता था और अगर इख्तेयार की जरूरत होती थी तो मुख्तलिफ हर्फों से काम

[माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद]

लेते थे, जिनके खास खास अदद ठहरा लिये गये थे। अब हिन्दुस्तानी आदाद ने इनके आगे हिसाब की एक निहायत आसान सूरत पेश कर दी है और अरबी आदाद के नाम से वह मशहूर हो गये। फिर यूरोप पहुंच कर उन्होंने वह रूप पैदा कर लिया जो आज इन्टरनेशनल आदाद का हम देख रहे हैं।

मैंने इस पर जोर दिया कि यह आदाद खुद हिन्दुस्तान ही की चीज है बाहर की नहीं है लेकिन फर्ज कर लीजिये कि यह तमाम तर यूरोप ही की ईजाद होती लेकिन अगर हिसाब किताब में वह ज्यादा साफ ज्यादा वाजेह ज्यादा कारआमद है तो क्यों हम बिला ताम्मुल उन्हें इख्तयार न कर लें? क्यों महज़ इस वजह से कि वे किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं हमारे लिये इनका इस्तेमाल काबिल एतराज हो जाये? आप यकीनन इससे इन्कार नहीं कर सकते कि देवनागरी आदाद की जो शकल है इससे ज्यादा साफ और वाजेह शकल इन आदाद की बन गई है। यह ज्यादा आसानी से पहचान लिये जा सकते है और अपनी मजमुई शकल में ज्यादा नुमायां साफ और खुशनुमा मालूम होते हैं। हर शख्स तस्लीम करेगा कि हिसाब में दूसरी शकलों से ज्यादा कारआमद यह शक्लें हैं।

श्री जसपतराय कपूर: कब से यह बात तजर्बे में आई?

माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद: जब से यह आदाद मशहूर हुए हैं उस वक्त से इनकी यह खसूसियत भी मशहूर हो गई है। मैं आपके दूसरे मशरकी मुल्कों का हाल बतलाऊंगा। तकरीबन तमाम मशरकी मुल्कों में यह आदाद हिसाब किताब में इख्तयार कर लिये गये हैं। जो लोग यूरपीन जबानें नहीं जानते उन्होंने भी यह आदाद सीख लिये हैं और लिखने पढ़ने में इनसे काम लेते हैं।

बहरहाल जहां तक आदाद के सवाल का ताल्लुक है मुझे मिस्टर आयंगर की तरमीम से पूरा इत्तफाक है। मैं खुश हूं कि यह जरूरी इसलाह अमल में लाई जा रही है।

जहां तक जबान के मसले का ताल्लुक है मैंने आप पर वाजेह कर दिया कि मेरी राय क्या थी और मेरी राय अब भी क्या है। मुझे अफसोस है कि जबान का मसला उस तरीके पर तय नहीं किया गया जिस तरह तय करना था। मैंने कोशिश की। मेरे बाज रुफिका ने भी कोशिश की लेकिन बिल आखिर हमने महसूस किया कि मौजूदा आबहवा में इससे ज्यादा लचक नहीं पैदा की जा सकती, जिस कदर मिस्टर आयंगर की तरमीम में पैदा हो गई है।

आज आप यह फैसला करेंगे कि इण्डियन यूनियन की सरकारी जबान हिन्दी होगी। यह फैसला कीजिये हिन्दी के नाम में कुछ धरा नहीं है। असली सवाल जबान की नोईयत का है। हम हिन्दुस्तानी कह कर उसे उसकी हकीकी सूरत पर कायम रखना चाहते थे। आपकी अकसरियत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया लेकिन अब भी यह मुल्क के इख्तयार में है कि हिन्दी की नोईयत को बिगड़ने न दें और उसे एक बनावटी जबान बनाने की जगह एक वाकई बोल चाल की आसान और आम फहम जबान रहने दें। हमें उम्मीद करनी चाहिये कि मौजूदा तंग खयाली की आबो हवा जो पिछली बदकिस्मत सूरत हाल का बक़िया है अब ज्यादा अरसे

तक कायम नहीं रहेगी और बहुत जल्द ऐसी आबो व हवा पैदा हो जायेगी जिसमें लोग हर तरह के वक्ती जज़बों से आज़ाद होकर जबान के मसले को उसकी सही और सच्ची सूरत में देखेंगे।

जनाब सद्र, मैंने हाउस का काफ़ी वक्त लिया। अब मैं और ज्यादा बोझ दोस्तों की तवज्जह पर नहीं डालूंगा। मैं अपनी तक़रीर खत्म करता हूं।

***डॉ. रघुवीर** (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, अब तक भाषा के प्रश्न पर उन लोगों ने विचार किया है जिन पर मुख्यत: राजनैतिक विचारों का प्रभाव था। ऐसी समस्याओं पर गर्मी उत्पन्न हो गयी है जिन पर पूर्ण ठंडक से विचार किया जाना चाहिये था और इन पर मतभेद या समझौते से कोई अन्तर नहीं पड़ता या नहीं पड़ना चाहिये। मेरे पूर्ववक्ता माननीय मौलाना साहिब ने हमें महत्वपूर्ण नामों का ध्यान दिलाया है, वे हैं हिन्दी और हिन्दुस्तानी। साधारणत: इन नामों का अत्यधिक महत्व शायद न हो। किन्तु कम से कम डेढ़ शताब्दी के इतिहास में इन दोनों शब्दों, हिन्दी और हिन्दुस्तानी का बहुत भिन्न अर्थ हो गया है। दुर्भाग्य से देश के विरोधी दलों ने इनको लेकर उनका भिन्न-भिन्न अर्थ बना दिया है। उन्होंने हिन्दुस्तानी शब्द के अर्थ को बदलने का प्रयत्न किया है और अब हिन्दी और उर्दू के विषय में भी बहुत मतभेद प्रतीत होता है।

इस अन्तर का ठीक विवेचन एक यूरोपीय शब्द-वैज्ञानिक श्री ग्राउज (Grouse) ने किया था, और देखिये उन्होंने बहुत काल पहले उर्दू के विषय में ये शब्द कहे थे और इन पर कोई मतभेद नहीं है, "उर्दू" एक तुर्की शब्द है और इस शब्द से हम एक और रूप में परिचित हैं, अंग्रेजी शब्द "horde" (होर्द) है जैसे "military hordes" उर्दू शब्द का अर्थ स्पष्ट है। मैं इधर उधर की बातें न बना कर स्पष्ट कहता हूं कि उर्दू के प्रवर्तकों पर एक उत्तरदायित्व है और मुझे आशा है कि वे इसे अपने सिर से नहीं टालेंगे। यह उत्तरदायित्व यह है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में विभाजन आरम्भ किया था।

आरम्भ में हिन्दी उर्दू का अन्तर बड़ा नहीं था। यदि समय होता तो मैं आपको 19वीं शताब्दी से उद्धरण तथा प्राधिकारयुक्त निर्देश देता। 19वीं शताब्दी में उर्दू के लेखकों ने यह नियम बना लिया था अथवा अपना धर्म समझ लिया था कि भारतीय स्रोत से कोई भी साहित्यक शब्द न लिया जाये। उन्होंने भाषा का व्याकरण तथा रचना तो भारत से ली, पर साहित्यक प्रेरणा तथा अन्य बातें अरब और फारस से ली थीं। 19वीं शती में उन्होंने यह अनुभव किया कि फारसी के उड़ जाने से उन्हें जो हानि हुई थी, उसकी कमी को उर्दू का पोषण करके पूरा करना है। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय लेखकों के असंख्य उद्धरण हैं जिनमें यह संदेह से परे स्पष्ट किया गया है कि फारसी की समाप्ति मुस्लिम विजेताओं की हानि थी, सम्राटों की भाषा की हानि थी। अत: उस हानि को पूरा करना था। कहा जाता था कि लखनऊ के बाजारों को फारस के इस्पहान के बाजार बनाना था।

अत: 19वीं शताब्दी में यह परम्परा बन गई जिससे उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों तथा संस्कृति का कोष बन गई। उसी 19वीं शताब्दी में उसकी प्रतिक्रिया हुई और उसके फलस्वरूप हिन्दी साहित्य का विकास हुआ जिसका आधार और

[डॉ. रघुवीर]

ढांचा उसी भाषा पर आश्रित था जो उर्दू का आधार बनी थी, पर उसकी साहित्यक परम्परा देशीय थी। यह अन्तर बढ़ता ही गया और आज हम देखते हैं कि वे दो साहित्य भिन्न-भिन्न विकसित हो गये है यद्यपि उनका आधार एक ही था।

फिर एक तीसरा शब्द है 'हिन्दुस्तानी'। इस शब्द के विभिन्न लेखकों ने विभिन्न निर्वचन किये हैं। भाषाओं का अभ्यासी होने के नाते मैंने स्वयं निर्णय करने का प्रयत्न किया है कि क्या हम हिन्दुस्तानी का एक अर्थ में और केवल एक ही अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। मैंने देखा कि यह असम्भव है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक शब्द का, जो विविध अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है, सभा सुनिश्चित अर्थ बना दे। भारतीय सेना में हिन्दुस्तानी शब्द का विस्तृत प्रयोग होता था, इसका प्रयोग उर्दू शब्द से अधिक होता था। सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले मैंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र की थीं जिनका शीर्षक हिन्दुस्तानी था। मैं दिल्ली के बाज़ार में गया और जो पुस्तकें मिल सकीं मैंने चयन कीं और यहां मेरे पास एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक है जो जर्मनी में जर्मनों द्वारा प्रकाशित है। यह 'हिन्दुस्तानी बातचीत व्याकरण' है। आदि से अन्त तक यह उर्दू है, उर्दू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सहस्रों सहस्रों उद्धरण हैं जिनमें हिन्दुस्तानी का अर्थ उर्दू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अन्य स्थल हैं जो कम मिलते हैं किन्तु महत्वपूर्ण हैं जहां हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग ऐसा सामान्य हुआ है कि उसमें हिन्दी और उर्दू दोनों समाविष्ट हैं। किन्तु एक बात स्पष्ट है और बिल्कुल स्पष्ट है कि वह भाषा जिसे हम साहित्यिक हिन्दी कहते हैं हिन्दुस्तानी शब्द में समाविष्ट नहीं हो सकती।

मैं न हिन्दी की हिमायत कर रहा हूं और न उर्दू की, वरन् मैं तो आपके समक्ष केवल नामकरण की समस्या पेश कर रहा हूं। यदि हम इस मामले को किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण के पास ले जायें जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों, उनके समक्ष हिन्दुस्तानी शब्द तथा उसके संबंध में सब साक्ष्य पेश करें, तो न्यायाधिकरण केवल एक ही निर्णय पर पहुंच सकता है और कोई दूसरा निर्णय नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तानी उर्दू ही है। कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि साहित्यक तथा उच्च उर्दू अरबीनिष्ट तथा फारसीनिष्ट होती है। दूसरी ओर हिन्दुस्तानी में वह भाषा समाविष्ट हो सकती हैं जिसे सादी हिन्दी कहते हैं, ग्रामों की हिन्दी जिसे खड़ी बोली कहते हैं। मेरा निवेदन है कि साहित्यिक हिन्दी को हिन्दुस्तानी में शामिल नहीं किया जा सकता। हमारे समक्ष यह कठिनाई है किन्तु हम जो विनिश्चय करेंगे वह अलग मामला होगा। जब हिन्दुस्तानी शब्द का निर्वचन भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न कर सकते हैं तो एक स्पष्ट शब्द का प्रयोग करना सदा अच्छा रहता है। माननीय मौलाना साहिब के प्रति मेरे मन में महान् आदर है और मुझे साहित्य के विनम्र विद्यार्थी के रूप में निवेदन करना है कि यदि आप हिन्दी को संकीर्ण भाषा कहते हैं तो वह उपयुक्त शब्द नहीं है। वह सीमाकारक विशेषण आप, कम से कम, हिन्दी के लिये प्रयोग कर ही नहीं सकते। हिन्दी का आधार बहुत विस्तृत है, उर्दू से अधिक। उर्दू तो हद से हद उस लोक भाषा पर आधारित है जो श्रीयरसन के शब्दों में, दिल्ली और मेरठ के बीच में बोली जाती है। उन्होंने हिन्दुस्तानी लोकभाषा के लिये 52 लाख की संख्या बताई है। साहित्यिक हिन्दी का आधार बंगाल की सीमा से लेकर पंजाब की सीमा तक,

नेपाल की सीमा से लेकर गुजरात की सीमा तक की बोलियां हैं। जब आप विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि साहित्यिक हिन्दी में प्राचीन राजपूताना की भाषा, डिंगल, का साहित्य है, अवधी का तथा अन्य उपभाषाओं का, यथा ब्रज और भोजपुरी का साहित्य भी समाविष्ट है। यदि आप उर्दू के एम.ए. का साहित्य पढ़ेंगे तो आपको भारत की किसी उपभाषा का साहित्य नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उर्दू का भारत की उपभाषाओं से कोई संबंध नहीं है।

सर्वप्रथम हिन्दी का आधार बहुत विस्तृत है और राष्ट्रभाषा का आधार सचमुच बहुत विस्तृत होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि उर्दू में अरबी और फारसी शब्दों का बाहुल्य है। मेरी प्रथम पाठ्य भाषा उर्दू थी और दूसरी भाषा फारसी थी और मुझे अरबी भी पढ़ने का अवसर मिला था। भाषाओं का अभ्यासी होने के नाते मेरे लिये किसी भाषा विशेष से घृणा करना सम्भव नहीं है और इसलिये घृणा का प्रश्न ही नहीं उठता। आप किसी भाषा के सौंदर्य का प्रेम द्वारा ही आनन्द ले सकते हैं।

मेरे पास भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक उर्दू पत्रिका 'बिसाते आलम' नामक है। अरबी में यह अत्यन्त सुन्दर शीर्षक है और कोई इस शब्द के अर्थ पर आपत्ति नहीं कर सकता। यह एक साहित्यक शब्द है जिसमें बहुत अर्थ सन्निहित हैं। किन्तु क्या भारतीय जनता के लिये उसका कोई अर्थ है? यदि आप इस पुस्तक के अन्दर देखें तो प्रथम पंक्ति यही है:

"बेनुल अक़वामी सियासियात व कैफियात के हामिल मुसव्विर माहनामा बिसाते आलम का सालनामा।"

यह इस पत्रिका की शीर्ष रेखा है। यह फारस या अरब में पूर्णत: बोध्यगम्य हो सकता है, पर भारत के किसी भाग में वह बोध्यगम्य नहीं होगा। मैं मौलाना साहिब की सुन्दर वक्तृता को बहुत ध्यान से सुनता रहा हैं। मैंने कुछ शब्द लिख लिये हैं जिनके स्थान पर यदि भारतीय शब्दों को रख दिया जाता तो वे अधिक बोध्यगम्य हो जाते। उदाहरण के लिये उन्होंने 'रियाजी' शब्द का प्रयोग किया था। मेरे समीप बैठे हुए मित्र ने पूछा "उसका क्या अर्थ है?" मैंने उन्हें बताया "इसका अर्थ है 'गणितम'। चाहे तमिल हो, उड़िया हो, असमिया, बंगला या गुजराती हो, हमारी एक सामान्य शब्दावली है, एक सामान्य विचारधारा है और सामान्य जीवन-मूल्य है। विगत में प्रयत्न किया गया था कि उर्दू को सरल बनाया जाये और मुझे आशा है कि भविष्य में इसके लिये और भी प्रयत्न किया जायेगा, किन्तु हम उर्दू को सरल बना कर हिन्दुस्तानी कह दें तब भी हम उसमें उस पदावली का प्रयोग नहीं कर सकते जो अन्य भाषाओं में प्रयुक्त होगी। हिन्दी और उर्दू भाषाओं पर तथा उनके दावों पर विचार करते समय, कई अग्रिम नेताओं ने, जिनका नाम तथा सम्मान बहुत था, कहा था कि कोई बीच की भाषा होनी चाहिये जो दोनों भाषाओं को एक दूसरे के निकट ला सके। किन्तु आज हिन्दी और उर्दू के बीच का अन्तर मिटाने की समस्या नहीं है, वरन् ऐसी भाषा ढूंढ़ने की समस्या है जो भारत की सब भाषाओं, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल,

[डॉ. रघुवीर]

असमिया, उड़िया, पंजाबी के बीच का अन्तर मिटा दे। हमें ऐसी भाषा ढूंढ़नी है जो केवल हिन्दी और उर्दू की आवश्यकताओं को ही पूरा न करे, अपितु उत्तर और दक्षिण की समस्त भाषाओं की आवश्यकताओं को भी पूरी करे....

***एक माननीय सदस्य:** एक बज चुका है श्रीमान्। वक्ता महोदय भोजन के पश्चात् अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

***अध्यक्ष:** मुझे समय का पता है। क्या माननीय सदस्य बहुत समय लेंगे?

***डॉ. रघुवीर:** कम से कम आध घंटा।

***अध्यक्ष:** इतनी अनुमति मैं नहीं दे सकता। मैं मध्याह्नातर में आपको कुछ मिनट दे सकता हूं।

मुझे यह सुझाव दिया गया है कि सदन को 4 बजे की बजाय पांच बजे समवेत होना चाहिये। अत: हम 5 बजे बैठेंगे।

तत्पश्चात् सभा मध्याह्नातर के 5 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सभा सायंकाल पांच बजे, अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

***पं. बालकृष्ण शर्मा:** क्या मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव कर सकता हूं कि इस भाषा संबंधी प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त कर दिया जाये और यदि डॉ. रघुवीर कुछ शब्द और कह कर अपनी वक्तृता समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्ति-प्रस्ताव को सदन में पेश करने से पूर्व उन्हें ऐसा कर लेने दिया जाये।

***अध्यक्ष:** यदि डॉक्टर रघुवीर बोलना उपयोगी समझते हैं, तो खैर, वे दो मिनट ले सकते हैं।

***डॉ. रघुवीर:** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के अन्य सदस्यों के साथ अपना महान सन्तोष अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि अंकों के विषय पर दोनों विभिन्न दृष्टिकोणों में संतोषजनक समझौता हो गया है। अब वाद-विवाद मैत्री भाव से चल सकता है। इस मामले में मैं सदन को बधाई देना चाहता हूं। अब क्योंकि कोई विवाद नहीं है, अत: वाद-विवाद को समाप्त कर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** समाप्ति प्रस्ताव पेश हो चुका है। मैं मान लेता हूं कि सदन इसे स्वीकार करता है।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, आपने समाप्ति-प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं, जिसकी मैंने सूचना दी थी, क्योंकि

कल हमारे प्रधान मंत्री ने जो रुख अपनाया था उस पर मुझे अत्यन्त निराशा है तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज जो तोषण नीति अपनाई थी उस पर मुझे अत्यन्त खेद है। मैं इस मामले पर भाषण देने के अपने अधिकार का भी परित्याग करता हूं। मैं समस्त बात का ही विरोध करूंगा।

***अध्यक्ष:** मुझे केवल आपके वापस लेने से मतलब है उसके कारणों से नहीं।

अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे प्रश्न को सदन के समक्ष किस रूप में रखना चाहिये। लगभग 300 संशोधन हैं।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त** (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): श्रीमान्, श्री गोपालस्वामी आयंगर कुछ संशोधनों को स्वीकार करने वाले हैं। इन संशोधनों को फिर सदन के समक्ष रखा जाना चाहिये। अन्य सब संशोधनों के विषय में समझ लेना चाहिये कि वे वापस ले लिये गये हैं।

***श्री के.एम. मुन्शी** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सदन को लगभग आध घण्टे के लिये स्थगित कर दें? मुझे आपको यह बताने में बहुत खुशी है कि भाषा संबंधी इस अतीव कठिन प्रश्न पर हममें से अधिकांश सदस्य एकमत हो गये हैं। एक दो छोटी-छोटी बातें रह गई हैं जिनके विषय में संशोधन तैयार किया जा रहा है। उस पर कुछ मिनट लगेंगे। यदि सदन को आपत्ति नहीं है और यदि आप मुझे अनुमति दें तो, श्रीमान्, हम लगभग आध घंटे के लिये स्थगित हो सकते हैं।

***अध्यक्ष:** सदन के कुछ समय के लिये स्थगित होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम): कोई नया संशोधन पेश हो तो मुझे उसकी सूचना मिलनी चाहिये।

***अध्यक्ष:** इस समय कोई संशोधन पेश नहीं किया जायेगा। मेरे विचार मैं वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किन-किन संशोधनों को स्वीकार किया जाये। उसमें कुछ समय लग जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी** (युक्तप्रान्त : जनरल): तब संशोधन मसौदा-समिति पर ही छोड़ दिये जायें।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (युक्तप्रान्त : जनरल): मेरा विश्वास है दो तीन मिनट पहले ही समाप्ति-प्रस्ताव पेश हुआ था और आपने उसे स्वीकार कर लिया था। यदि सदन की अनुमति से समाप्ति-प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता तो मैं नहीं समझ पाता कि श्री मुन्शी या कोई भी नया संशोधन कैसे पेश कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** डॉ. कुंजरू ने औचित्य प्रश्न उठा दिया है।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त:** क्या मैं औचित्य प्रश्न के विषय में कुछ शब्द कह सकता हूं? कार्यावली में कई संशोधन हैं। मुख्य प्रस्ताव के प्रस्तावक

[माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त]

श्री गोपालस्वामी आयंगर उनमें से किसी को चुन सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। समाप्ति के पश्चात् उन्हें बोलने का अधिकार है। अतएव वे बोल सकते हैं तथा बोलते समय किसी संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं। समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि समस्त संशोधन, जो पेश हुए थे, अस्वीकृत या रद्द हो गये हैं। यदि वे यहां वहां कुछ शाब्दिक संशोधन करें तो सदन के मत द्वारा उन्हें अनुमति मिल सकती है?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं, श्रीमान्?

***अध्यक्षः** हां, श्री नज़ीरुद्दीन अहमद बोल सकते हैं। इस बीच में मैं आशा करता हूं कि श्री गोपालस्वामी आयंगर तथा श्री के.एम. मुन्शी उस चीज को तैयार कर लें। हम औचित्य प्रश्न पर विचार करते हैं, उतनी देर में वे उसे तैयार कर लें।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्.....

***माननीय पं. रविशंकर शुक्लः** मेरी प्रस्थापना यह है कि पण्डित बालकृष्ण शर्मा अपने समाप्ति-प्रस्ताव को वापस ले लें।

***अध्यक्षः** मुझे श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की बात सुनने दीजिये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, बहुत परिश्रम के पश्चात् हम लगभग एकमत हो गये हैं। किन्तु हमें एक महत्वपूर्ण सांविधानिक प्रश्न का स्मरण रखना है। हम देश के लिये, केवल देश के ही लिये नहीं, अन्य देशों के लिये भी सांविधानिक सिद्धान्तों का उदाहरण पेश कर रहे हैं। पण्डित हृदयनाथ कुंजरू ने एक औचित्य प्रश्न उठाया है कि समाप्ति-प्रस्ताव के स्वीकार होने के पश्चात्, कोई नये संशोधन प्रस्थापित नहीं किये जा सकते। श्री गुप्त ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अपितु केवल यही कहा कि समाप्ति प्रस्ताव के पश्चात् मुख्य प्रस्ताव के प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार होगा और वे कुछ संशोधनों को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। किन्तु पण्डित कुंजरू ने यह प्रश्न उठाया था कि समाप्ति प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात्, कोई नया संशोधन पेश नहीं किया जा सकता, जब तक कि समाप्ति प्रस्ताव वापस न ले लिया जाये। सदन द्वारा स्वीकृत समाप्ति प्रस्ताव को वापस लेने का कोई नियम या पूर्वोदाहरण या परम्परा नहीं है। ये कठिनाइयां हैं।

फिर, मेरा निवेदन है कि चाहे मुझे प्रसन्नता है कि मैत्रीभाव से समझौता तथा निपटारा हो गया है, फिर भी कुछ अमहत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, और उन्हें भी प्रस्थापित नये संशोधनों पर विचार करके अपनी सम्मति अभिव्यक्त कर सकें। अतएव जो भी संशोधन पेश किया जाये उसकी उचित सूचना सदस्यों को दी जानी चाहिये जिससे वे उस पर विचार कर सकें। यदि कोई संशोधन पेश किया जाना है तो उस पर निर्णय स्थगित करने से कोई हानि नहीं होगी। हम मामले पर कल विचार करके निर्णय कर सकते हैं।

***अध्यक्षः** मेरे विचार में शायद वे लोग, जिन्होंने इस समस्या का कोई समझौता सा कर लिया है, इस चीज को ठीक रूप में रखने में कुछ समय लगायेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि वे नये संशोधन ही पेश करें, वरन् वे शायद कार्यावली के संशोधनों में से कुछ को स्वीकार कर लें और कुछ को स्वीकार न करें। और यदि वे ऐसा करेंगे तो शायद जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है वह उठेगा ही नहीं, किन्तु मुझे पता नहीं है कि परिस्थितियां कैसी होंगी। इस समय तो मेरे विचार में उन्हें कुछ समय देना ही ठीक रहेगा जिससे कि वे समूचे प्रश्न पर उन सब संशोधनों के निर्देश से विचार कर सकें जो पेश हो चुके हैं, और यह देख सकें कि उन संशोधनों को कहां तक स्वीकार कर सकते हैं और कार्यावली पर जो संशोधन हैं उनको सहमत सूत्र में कहां तक जमाया जा सकता है। यदि सदन को आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूं कि....

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** सारी बात को आज समाप्त कर दिया जाये।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः** क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं?

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** इस बीच में, क्या आप औचित्य प्रश्न पर विचार कर रहे हैं?

***अध्यक्षः** मैंने औचित्य प्रश्न पर कुछ भी नहीं कहा है और मैंने सदन को स्थगित अभी नहीं किया है। मैं अभी तक विचार-विमर्श ही कर रहा हूं और मुझे श्री गोपालस्वामी आयंगर की बात सुनने का अधिकार है।

***माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगरः** मैं चार पांच वाक्यों में समझा देना चाहता हूं। उस दिन मैंने जो मसौदा पेश किया था उसमें जो भी परिवर्तन किये जाने चाहियें, उनके संबंध में, मेरा ख्याल है कि हम सदन के बाहर बातचीत करके उन परिवर्तनों के सारांश पर सहमत हो गये हैं। वे अधिक नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि केवल चार पांच परिवर्तन ही किये जाने हैं। उनमें से दो तो केवल शाब्दिक हैं। अन्य दो तीन मामले ऐसे हैं जिनमें कुछ सार अन्तर्ग्रस्त है। वास्तव में हमने इसका कच्चा मसौदा बना लिया है, और यदि आप हमें बीस तीस मिनट दे दें तो हम उस मसौदे को सदन के समक्ष ऐसे रूप में पेश कर सकेंगे जिसे वह स्वीकार कर सकें। मेरा यह सुझाव है कि हमें लगभग आध घंटे पश्चात् समवेत होना चाहिये।

***माननीय सदस्यगणः** हम 6 बजे समवेत हो सकते हैं।

***पं. गोविन्द मालवीय** (युक्तप्रान्त : जनरल): हम संविधान सभा हैं। हम अपने नियम स्वयं बनाते हैं और कोई ऐसी वस्तु जिससे आपके विचार में वह कार्य पूरा होगा जिसके लिये हम यहां हैं, और जिस पर समस्त सदन सहमत हो, निःसंदेह सम्भव होनी चाहिये और वह हो सकती है। मेरा निवेदन है कि हमें नियमों के केवल वैधानिक निर्वचनों पर ही नहीं अड़ना चाहिये और हमें सदन को आध घंटे के लिये स्थगित कर देना चाहिये जिसकी प्रार्थना की गई है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** इसी बीच में, वाद-विवाद जारी रहे।

***अध्यक्ष:** नहीं, नहीं। जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है उस पर मैं कोई विनिश्चय या निर्णय नहीं दे रहा हूं। मेरे विचार में हमें सदन को लगभग पौन घंटे के लिये स्थगित कर देना चाहिये। हम पुन: 6 बजे समवेत होंगे।

तत्पश्चात् सभा छह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सभा सायंकाल छह बजे, अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

***श्री के.एम. मुन्शी:** अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि समाप्ति प्रस्ताव पेश हो चुका है और स्वीकार किया जा चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए, श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि वाद-विवाद पुन: आरम्भ किया जाये जिससे कि मैं कुछ संशोधन सदन के समक्ष पेश कर सकूं। अतएव मेरा प्रस्ताव है, श्रीमान्, कि वाद-विवाद पुन: आरम्भ किया जाये।

***अध्यक्ष:** श्री मुन्शी ने सदन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है वह यह है कि जो समाप्ति-प्रस्ताव स्वीकार किया गया था उसका निरसन कर दिया जाये तथा वाद-विवाद पुन: आरम्भ कर दिया जाये। मैं मानता हूं कि नियमों के अधीन यदि सदस्यों का कुछ प्रतिशत भाग किसी संकल्प या विनिश्चय पर पुन: विचार करना चाहें तो उसका वाद-विवाद पुन: आरम्भ हो सकता है। मैं नहीं समझता कि उस आधार पर कोई कठिनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन वाद-विवाद को पुन: आरम्भ करना चाहता है।

***माननीय सदस्यगण:** हां।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, कुछ नये संशोधन अभी मुझे दिये गये हैं मुझे उनको पढ़ने के लिये भी पर्याप्त समय नहीं मिला है। मैं केवल यही चाहता हूं कि हमें अवसर दिया जाये जिससे कि नये संशोधनों का परीक्षण हो सके और उनका प्रभाव क्या होगा इस पर ध्यानपूर्वक विचार हो सके। हमें यह सोचना होगा कि अपने किन संशोधनों पर बल दें और किन्हें हम वापस लें। *(बाधा)* हमें ऐसा अवसर देने के लिये, मेरे विचार में हमें कुछ थोड़ा सा समय मिलना चाहिये। नियम 13 (0) है.....*(बाधा)*।

***श्री सी. सुब्रमणियम** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, प्रस्ताव यह है कि वाद-विवाद पुन: आरम्भ हो। अब हम किसी संशोधन पर विचार कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई चीज़ पेश करना चाहते हैं तो वे कह सकते हैं। माननीय सदस्य कुछ ऐसे संशोधनों के विषय में निवेदन करना चाहते हैं जो सदन के समक्ष नहीं हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मेरा निवेदन है कि मुझे अभी कुछ संशोधन दिये गये हैं। मुझे समय नहीं मिला है कि.....

***अध्यक्ष:** हम इस समय वाद-विवाद को पुन: आरम्भ करने के प्रश्न पर हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** उसके संबंध में, मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्षः** इस समय, हमें केवल उसी से संबंध है। जो वाद-विवाद पुनः आरम्भ करने के पक्ष में हैं, वे 'हां' कहेंगे।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री के.एम. मुन्शीः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 301क के खण्ड (1) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:-

'(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.'"

[(1) संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा)]

***श्री महावीर त्यागीः** (1) का क्या अर्थ है जबकि (2) है ही नहीं?

***श्री के.एम. मुन्शीः** एक वाक्य के दो भाग कर दिये गये हैं, और 'और' शब्द हटा दिया गया है। यह केवल शाब्दिक परिवर्तन है।

***पं. बालकृष्ण शर्माः** श्री त्यागी का कहना यह है कि केवल एक ही उप-खण्ड है और उसे 1 (1) क्यों रखा जाये।

***श्री के.एक. मुन्शीः** एक उपखण्ड 1(1) है, क्योंकि मूल अनुच्छेद में अन्य उपखंडिकायें (2) तथा (3) हैं। यह (2) नहीं, अपितु दूसरे (2) और (3) हैं।

***अध्यक्षः** मैं समस्त संशोधनों को देखना चाहता हूं।

***श्री के.एम. मुन्शीः** मैं दूसरा संशोधन पेश करता हूं, श्रीमान्।

"कि अनुच्छेद 301-क के खण्ड (3) के स्थान पर, निम्न रख दिया जाये:-

'(3) Notwithstanding anything contained in this article, Parliament may after the said period of fifteen years by law provide for the use of—

(a) the English language, or.....'"

[श्री के.एम. मुन्शी]

[(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल को कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा–

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा...]

***कुछ माननीय सदस्यगण:** यहां 'और' होना चाहिये।

***श्री के.एम. मुन्शी:** 'अथवा' शब्द उपयुक्त है; इसका अर्थ 'और' ही है। किन्तु मसौदा समिति उस पर ध्यान से विचार करेगी। हम पैंतालीस मिनट तक जो कुछ कर सके वह हमने किया। हम समझते हैं कि 'अथवा' शुद्ध है। यदि हम देखेंगे कि 'अथवा' अशुद्ध है तो हम उसे बदल देंगे।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): क्या मैं सुझाव दे सकता हूं, श्रीमान्, कि.....

***अध्यक्ष:** वे खड़े हैं। उन्हें समाप्त क्यों नहीं कर लेने देते?

***श्री के.एम. मुन्शी:**

"(b) The Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in such law."

[(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।]

मेरा अगला संशोधन है:–

"कि अनुच्छेद 301-च को अनुच्छेद 301-च का खण्ड (1) बना दिया जाये, और उसमें निम्न खण्ड जोड़ दिया जाये:–

'(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) of this article shall prevent a State from prescribing, with the consent of the President, the use of the Hindi language or any other language recognised for official purposes in the State for proceedings in the High Court of the State other than judgments, decrees and orders.'"

[(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल या राज्यप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश के अतिरिक्त अन्य कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर करेगा।]

इसके पश्चात् दूसरा खण्ड है:–

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-clause (b) of clause (1) of this article, when the Legislature of a State has prescribed the use of any language other than English for Bills, Acts, Ordinances and orders having the force of law and rules referred to in the said sub-clause, a translation of the same in English certified by the Governor of the State shall be published and the same shall be deemed to be the authoritative text in English under this article."

[(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुये भी जहां किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कण्डिका (उ) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राज-प्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिये उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।]

***माननीय सदस्यगण:** 'Or ruler' का क्या हुआ?

***श्री के.एम. मुन्शी:** ये शब्द कई अनुच्छेदों में गायब हैं और इसे ठीक कर दिया जायेगा। यदि आप चाहें तो मैं यहां 'Governor or Ruler of the State' ये शब्द रख दूंगा। यह माननीय श्री जी.एस. गुप्त के संशोधन सं. 164 से 167 से संबंधित है।

फिर अगला संशोधन है:

"अनुसूची में 'Kanarese' के स्थान पर 'Kannada' शब्द रख दिया जाये और 'Punjabi' के पश्चात् 'Sanskrit' शब्द रख दिया जाये।"

***श्री महावीर त्यागी:** क्या राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित होने वाले विधेयकों और अधिनियमों की भाषा के बारे में कोई संशोधन नहीं है?

***श्री के.एम. मुन्शी:** और कोई संशोधन नहीं है।

***श्री महावीर त्यागी:** तो फिर यह समझौते का सच्चा निर्वचन नहीं है।

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक मौखिक परिवर्तन का सुझाव दे सकता हूं?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** एक औचित्य प्रश्न है। सारा सवाल यह है कि हमें इन संशोधनों पर विचार करने के लिये कुछ तो समय मिलना ही चाहिये। यह तो किसी सदस्य के प्रति सामान्य न्याय ही है। हो सकता है कि सदस्यों की अत्यधिक बहुसंख्या में कोई समझौता हो गया हो किन्तु उससे मामला समाप्त नहीं होता। प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में समूचे प्रश्न पर विचार होता रहा है और हम इस पर सब दृष्टिकोणों से पूरा-पूरा विचार कर चुके हैं। ये संशोधन नये इसलिये दिखाई देते हैं क्योंकि हमें जो अनेक संशोधन प्राप्त हुये हैं उनमें कोई संशोधन बिल्कुल इसी भाषा में नहीं है। मुझे पता नहीं है कि यदि इनमें से किसी संशोधन में वास्तव में अन्य इतने संशोधनों का सार आ जाता है जो पेश हुये हैं और सदन के समक्ष रखे गये हैं। अतएव, प्रश्न केवल यही है कि क्या हमें इन संशोधनों पर पुन: विचार करने की औपचारिकता को पूरा करना होगा या हम संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे जैसे कि वे पेश किये जा रहे हैं क्योंकि वे अन्य संशोधनों के सार हैं जो कार्यावली में है और क्योंकि वे बहुत से सदस्यों की भावना के प्रतीक हैं, जिनमें आपस में समझौता हो गया है। यदि यह कोई नया प्रश्न होता जो बिल्कुल नया उठाया गया होता तो शायद सूचना मांगने का कोई औचित्य होगा। अतएव नियम 38 (ओ) के अधीन, जिसमें लिखा है:-

> "If notice of a proposed amendment has not been given two clear days before the day on which the Constitution or the Bill, as the case may be, is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the President in his discretion allows the amendment to be moved."
>
> [यदि प्रस्थापित संशोधन की सूचना उस दिन से दो दिन पूर्व न दी जाये जिस दिन संविधान या विधेयक पर विचार होना है, तो कोई सदस्य संशोधन के पेश होने पर आपत्ति कर सकता है, और ऐसी आपत्ति ठीक होगी, जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उस संशोधन को पेश करने की अनुमति न दे दे।]

मैं समझता हूं यही ऐसा उपयुक्त मामला है कि इन संशोधनों के पक्ष में अध्यक्ष के स्वविवेक का प्रयोग किया जाना चाहिये।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं इस प्रस्ताव का पूरे दिल से सदन की स्वीकृति के लिये समर्थन करता हूं, किन्तु क्या मैं शुद्धत: एक शाब्दिक परिवर्तन का सुझाव दे सकता हूं?

***अध्यक्ष:** अच्छा हो आप प्रस्तावक को ही वह सुझाव दे दें। मैं एक दो मिनट ठहर सकता हूं।

***श्री एच.वी. कामत:** धन्यवाद, श्रीमान्, मैं ऐसा ही करूंगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (युक्तप्रान्त : जनरल): क्या मैं इस संशोधन पर बोल सकता हूं?

***अध्यक्ष:** नि:संदेह।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त:** अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता क्योंकि आपने कहा है कि श्री मुन्शी ने जो संशोधन पेश किये हैं वे उन संशोधनों में आ जाते हैं जो पहले भेजे गये थे। मैं वे संख्यायें भी बता सकता हूं जिनमें ये संशोधन आ जाते हैं। यदि हम सारे वाद-विवाद को पुन: आरम्भ करें तो मेरा नम्र निवेदन है कि उन्हें इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद के रूप में बोलने का अधिकार नहीं हैं यदि उन्हें किसी शाब्दिक संशोधन का सुझाव देना है तो वह दूसरी बात है।

***एक माननीय सदस्य:** हममें से कुछ को तीसरा पत्र नहीं मिला है।

***अध्यक्ष:** मिल जायेगा। इस बीच श्री सक्सेना इस पर बोलना चाहते हैं। उन्हें बोलने दीजिये।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, यह प्रश्न....

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, हमें अभी तक चौथे संशोधन की प्रति नहीं मिली है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, यह राष्ट्रभाषा का प्रश्न दो दिनों से गरमागरम वाद-विवाद का विषय बना हुआ है, और इन संशोधनों का सुझाव श्री मुन्शी ने समझौते के रूप में दिया है और उन्होंने यह मान लिया है कि सदन के सदस्य इन संशोधनों पर सहमत हैं। श्रीमान्, मैं बहुत खेद के साथ इनका विरोध करने आया हूं और यह कहना चाहता हूं कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं और मैं तथाकथित समझौते के संशोधनों को स्वीकार नहीं करता। मैंने स्वयं अपना संशोधन सं. 70 पेश किया है, किन्तु समझौते के रूप में मैं श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के संशोधन का समर्थन कर सकता हूं। अब जो संशोधन पेश किये गये हैं उन्हें समझौता बताया जाता है किन्तु वे किसी प्रकार सुधार नहीं है और उनसे मेरी या टण्डन जी की कोई बात पूरी नहीं होती। वास्तव में हिन्दी के समर्थक इस मूल बात पर जोर दे रहे हैं कि अंग्रेजी अंक हमारी राष्ट्रभाषा का स्थायी अंग नहीं बनेंगे। किन्तु अब जो संशोधन पेश किया गया है उससे ये तथा कथित अन्तर्राष्ट्रीय अंक, जो अंग्रेजी अंक ही हैं, इस संविधान द्वारा हमारी भाषा का स्थायी अंग बन जायेंगे, और मैं इसे स्वीकार कर ही नहीं सकता। समझौते में केवल यही स्वीकार किया गया है कि पन्द्रह वर्ष पश्चात् संसद देवनागरी अंकों का ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों। उसका अर्थ यह है कि देवनागरी अंकों को कुछ प्रयोजनों के लिये रखा जा सकता है, किन्तु मुख्य अंक अंग्रेजी अंक ही होंगे, और इस संविधान को स्वीकार करके हम इस सदन को और हमारे देश की भावी संतति को बांध रहे हैं कि वे इस संविधान अधिनियम द्वारा अंग्रेजी अंकों को हमारी भाषा का स्थायी अंग

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

स्वीकार करें, और मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। मेरा ऐसा करने का कारण है। मैं श्री गोपालस्वामी के इस मसौदे को हिन्दी के समर्थकों के साथ धोखा और संविधान के साथ भी धोखा समझता हूं। सच मुच इस मसौदे से अंग्रेजी बहुत वर्षों के लिये स्थिर बन जायेगी, जैसा कि श्री अयंगर ने स्वयं स्वीकार किया है। राष्ट्रपिता ने राष्ट्र को इस खतरे से आगाह कर दिया था, जिसे उन्होंने 21 सितम्बर 1947 को ही देख लिया था, जब उन्होंने उस तारीख के हरिजन में सम्पादकीय लेख लिखा था।

अन्य संशोधन भी हैं जिन्हें टंडन जी ने समझौते के रूप में पेश किया था और मैंने भी समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया था। किन्तु क्योंकि वास्तविक समझौता सम्भव नहीं हो सका है अत: मैं अपने संशोधन पर बल दूंगा जो निम्नलिखित है:

"कि उपरोक्त संशोधन 65 में, प्रस्थापित नवीन भाग 14-क के स्थान पर, निम्न रख दिया जाये:

"PART XIV-A

CHAPTER I—LANGUAGE OF THE UNION

301A. (1) The State language of the Union shall be Hindi in Devsnagari script.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this article the English language may continue to be used for official purposes of the Union during the period of transition which shall not exceed 5 years, provided that the State language will be progressively utilized until it replaces English completely at the end of the transitional period of five years.

301B. (1) Within three months of the commencement of this Constitution, there shall be constituted a committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States chosen respectively by the members of the people and the members of the Council of the States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(2) It shall be the duty of the Committee to make recommendations to the President as to the ways and means which should be adopted as to

the progressive use of the Hindi language for all the official purposes of the Union and the replacement of the English language by the Hindi language at the end of the transitional period of five years.

(3) The Committee shall submit its report within a period of six months from the date of its appointment.

(4) Within a period of three months from the date of submission of its report by the committee, the President shall cause every recommendation made by the Committee together with an explanatory memorandum as to the action taken or to be taken thereon to be laid before each House of Parliament.

(5) (a) When any member of the House of the People or the Council of States cannot adequately express himself in the language in use for the time being in the House of the People or in the Council of States, the House of the People or the Chairman of the Council of States may permit him to address the House in his mother tongue.

(b) The Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People may, whenever he thinks fit, make arrangments for making available in the Council of States or the House of the People as the case may be summary in Hindi and in the language in use in the House for the time being of the speech delivered by a member in any other language and such summary shall be included in the record of the proceedings of the House in which the speech has been delivered.

CHAPTER II—REGIONAL LANGUAGES

301C. (1) A State may by law adopt Hindi or the language or languages in use in the State as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

(2) (a) When any member of a State Legislature cannot adequately express himself in the language in use for the time being in either House of the State Legislature, the Chairman of the Legislative Council or the Speaker of the Legislative Assembly may permit him to address the House in his mother tongue.

(b) The Chairman of the Legislative Council or the Speaker of the Legislative Assembly may, whenever he thinks fit, make arrangements for making available, in the Legislative Council or the Legislative Assembly as the case may be, a summary in Hindi or in the language in use in either House for the time being of the speech delivered by a member in any other language, and such summary shall be included in the record of the proceedings of the House in which the speech has been delivered.

301D. (1) (a) The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between a State and the Union;

(b) if the language authorised for use in the Union is also the official language of any State, the official language of the Union shall be the official language for communication between that State and another State:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language shall be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

(2) The authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by a Governor or a Ruler, as the case may be,

(iii) of all orders, rules, regulations and byelaws issued under this Constitution or under any law made by the Legislature of a State,

shall be in the official language of the State:

Provided that if the State official language is not Hindi, they shall be accompanied by an authoritative text in Hindi:

Provided also that during the transition period of five years from the commencement of the Constitution, if the State official language is not English, they shall also be accompanied by an authoritative text in English.

301E. Where on a demand being made in that behalf the President is satisfied that a substantial proportion of the population of a State, but not less than 20 per cent desires the use of any language spoken by them to be recognised by that State, he may direct that such language shall be recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

CHAPTER III—DIRECTIVE PRINCIPLE

301G. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

301H. It shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi and to develop the language so as to serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating the forms, style and expressions used in the other languages of India and drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit.

301 I. It shall be the duty of the Union to promote the use of the Devanagari script throughout the territory of India.

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

301 J. It shall also be the duty of the Union to promote the study of Sanskrit throughout the territory of India as it is the source of most of the other languages in India.'"

[भाग 14-क

अध्याय 1 संघ की भाषा

301-क. (1) संघ की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुये भी, संक्रमण काल में जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रह सकता है, परन्तु राज्य भाषा का प्रयोग प्रगतिपूर्वक होगा जब तक कि वह पांच वर्ष के संक्रमण काल के अन्त में पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान ले ले।

301-ख. (1) संविधान के आरम्भ से तीन मास के भीतर, 30 सदस्यों की एक समिति बनाई जायेगी, जिनमें से 20 लोक सभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्य परिषद् के सदस्य जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(2) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि संघ के सब राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग तथा पांच वर्षों के संक्रमण काल के पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने के लिये क्या उपाय तथा साधन अपनाये जायें।

(3) समिति अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 मास के भीतर ही अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी।

(4) समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश करने के पश्चात् तीन मासों में ही राष्ट्रपति समिति की प्रत्येक सिफारिश को, व्याख्यात्मक स्मरण पत्र के साथ कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(5) (क) जब लोक सभा या राज्य परिषद् का कोई सदस्य उस समय उस सदन में प्रयोग होने वाली भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तब लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य परिषद् का सभापति उसे अपनी मातृ भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकता है।

(ख) राज्य परिषद् का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष, जब भी वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति राज्य परिषद् में या लोक सभा में ऐसी वक्तृता का जो किसी सदस्य ने अन्य भाषा में दी हो हिन्दी में अथवा उस समय सदन में प्रयोग होने वाली अन्य भाषा में संक्षेप उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है। और वह संक्षेप उस सदन को कार्यवाही के अभिलेख में समाविष्ट होगा, जिसमें वह वक्तृता दी गई है।

अध्याय 2

प्रादेशिक भाषाएं

301-ग. (1) कोई राज्य विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ हिन्दी को या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अनेक को अंगीकार कर सकेगा।

(2) (क) जब राज्य के विधान मण्डल का कोई सदस्य उस समय उस सदन में प्रयोग होने वाली भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तब विधान परिषद् का सभापति या विधान सभा का अध्यक्ष उसे अपनी मातृ भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकता है।

(ख) विधान परिषद् का सभापति या विधान सभा का अध्यक्ष, जब भी वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति विधान परिषद् या विधान सभा में ऐसी वक्तृता का, जो किसी सदस्य ने अन्य भाषा में दी हो, हिन्दी में अथवा उस सदन में प्रयोग होने वाली अन्य भाषा में संक्षेप उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है, और वह संक्षेप उस सदन की कार्यवाही के अभिलेख में समाविष्ट होगा, जिसमें वह वक्तृता दी गई है।

301-घ. (1) (क) संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्सम प्राधिकृत भाषा, किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी।

(ख) यदि संघ में प्रयोगार्थ प्राधिकृत भाषा किसी राज्य की राजभाषा भी है, तो संघ की राजभाषा ही उस राज्य और अन्य किसी राज्य के बीच संचार की राजभाषा होगी:

किन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

(2) (क) विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन में पुर:स्थापित किये जायें, उन सबके प्राधिकृत पाठ।

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

(ख) अधिनियम जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राज्यपाल या शासक द्वारा प्रख्यापित किये जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ।

(ग) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि, जो इस संविधान के अधीन, अथवा राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें, उन सबके प्राधिकृत पाठ उस राज्य की राजभाषा में होंगे:

किन्तु यदि उस राज्य की राजभाषा हिन्दी नहीं है तो, उनके साथ हिन्दी में उनका प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया जायेगा।:

किन्तु यह भी कि इस संविधान के आरम्भ से पांच वर्ष के संक्रमण काल में, यदि उस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है तो उनके साथ अंग्रेजी में भी उनका प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया जायेगा।

301-ङ तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात, जो बीस प्रतिशत से कम नहीं हो, चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसाकि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

अध्याय 3

निदेशक तत्व

301-छ. किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

301-ज. हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुये तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिये मुख्यत: संस्कृत से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

301-झ. भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में देवनागरी लिपि के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, संघ का कर्तव्य होगा।

301-ञ. भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देना संघ का कर्तव्य होगा, क्योंकि वह भारत की अन्य भाषाओं में अधिकांश का स्रोत है।]

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** इसकी अपेक्षा नहीं है।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त:** श्रीमान्, वाद-विवाद समाप्त हो।

***श्री मोहम्मद इस्माइल** (मद्रास : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं इन संशोधनों पर बोलना चाहता हूं।

***श्री जगत नारायण लाल** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं इन संशोधनों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं जो अभी पेश किये गये हैं और जिनकी रचना में मेरा हाथ था।

***अध्यक्ष:** क्या यह आवश्यक है? यदि हम अब वाद-विवाद आरम्भ कर देंगे तो पता नहीं वह कब तक चलता रहेगा। यदि कोई सदस्य इन संशोधनों के विरुद्ध है तो मैं उसे अवसर दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो सदस्य संशोधनों के पक्ष में हैं वे सदन का समय लें। मैंने श्री सक्सेना को अवसर दे दिया क्योंकि मुझे पता चला था कि वे इन संशोधनों के विरुद्ध थे यदि आप उनका विरोध करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे दूंगा।

***श्री जगत नारायण लाल:** मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता।

***अध्यक्ष:** तो कृपया इसे रहने दीजिये।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्.....

***अध्यक्ष:** आप विरोध करना चाहते हैं?

***श्री महावीर त्यागी:** मैं इस संशोधन पर संशोधन पेश करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** खण्डों की संख्याओं के विषय में?

***श्री महावीर त्यागी:** हां, श्रीमान् मैं चाहता हूं कि....

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में उसकी चिन्ता मसौदा समिति कर लेगी।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, अधिक वाद-विवाद नहीं होगा तथा मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मौलिक खण्ड में दो वाक्यों के बीच में 'और' शब्द था, और अब यह प्रस्थापना है कि 'देवनागरी लिपि' के पश्चात् 'और' को हटा कर 'पूर्ण विराम' रख दिया जाये, और कण्डिका के दो भाग कर दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि प्रथम वाक्य को (क) और दूसरे को (ख) कर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** मेरे समक्ष उसका जो मसौदा है उसमें दो भिन्न कंडिकाएं हैं।

***श्री मोहम्मद इस्माइलः** अध्यक्ष, अब वाद-विवाद पुनः आरम्भ कर दिया गया है तथा समाप्ति-प्रस्ताव को मिटा दिया गया है, अतः मेरे विचार में मैं उन संशोधनों का निर्देश कर सकता हूं जो मैंने भेजे थे और अब सदन के समक्ष हैं।

***एक माननीय सदस्यः** अन्य संशोधन?

***श्री मोहम्मद इस्माइलः** नहीं, वे ही संशोधन जिनकी मैंने सूचना दी थी; अब समाप्ति-प्रस्ताव मिटा दिया गया है और वाद-विवाद पुनः आरम्भ हो गया है, अतः मेरे विचार में मुझे संशोधनों पर बोलने का अधिकार है।

***अध्यक्षः** मूलतः वे ठीक हैं।

***श्री मोहम्मद इस्माइलः** श्रीमान्, मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि मैं उन संशोधनों का विरोध करना चाहता हूं जो अभी श्री के.एम. मुन्शी ने सदन के समक्ष पेश किये हैं। मैंने जो संशोधन भेजे हैं उनका आशय यह है कि सदन संघ भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी को, जो देवनागरी तथा उर्दू लिपियों में लिखी जाये, तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार कर ले। मेरे एक संशोधन में यह भी प्रस्थापना है कि अंग्रेजी भाषा, जो संघ के प्रयोजन के लिये 15 वर्ष तक रहेगी, उसे उस 15 वर्ष के पश्चात् भी जारी रहने दिया जाये जब तक संसद, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत से, अन्यथा निर्णय न कर दे। मेरे संशोधन का यही आशय है।

***अध्यक्षः** संख्या?

***श्री मोहम्मद इस्माइलः** श्रीमान्, कल माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी वक्तृता में कई बातें कहीं जिनमें तीन मुख्य बातें ये थीं। सर्वप्रथम उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का उद्धरण दिया। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिये और बहुत ज्यादा पीछे की ओर देखना भी नहीं चाहिये, नहीं तो हम अपनी प्रगति में पीछे रह जायेंगे। तीसरी बात वे चाहते थे कि हम इस बात को समझें कि संसार छोटा होता जा रहा है और इसलिये हमें यह समझना चाहिये कि संसार का भार हमारे ऊपर प्रति घंटा बढ़ता जा रहा है। यदि हम इन सब सिद्धान्तों का ध्यान रखें तो मेरे विचार में हमारे विचाराधीन विषय का बहुत सरल समाधान हो जायेगा।

सब सहमत हैं कि संघ की राजभाषा कोई भारतीय भाषा ही होनी चाहिये और वह भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसे संघ के बहुत लोग बोलते हों।

यह भी मान लिया गया है कि वह भाषा ऐसी होनी चाहिये जिससे कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधुनिक प्रवृत्तियों और आधुनिक स्थितियों को वह आत्मसात कर सकें। इन बातों के विषय में, मैं नहीं समझता कि कोई मतभेद है। किन्तु

वाद-विवाद का विषय केवल यही है कि इन सब शर्तों को पूरी करने वाली भाषा कौन सी है। इस मामले में मैं महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत कर सकता हूं। महात्मा गांधी ने 10 अगस्त 1947 के एक लेख में कहा था:

> "मेरा प्रतिदिन हिन्दुओं और मुसलमानों से सम्पर्क होता है। हिन्दुओं की संख्या अधिक है। उनमें से अधिकांश ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें बहुत कम संस्कृत शब्द होते हैं और फारसी तथा अरबी के शब्द भी अधिक नहीं होते। वे अथवा अधिकांश देवनागरी लिपि नहीं जानते। वे मुझे अंग्रेजी में लिखते हैं और जब मैं उन्हें अंग्रेजी में लिखने पर डांटता हूं तो वे उर्दू लिपि में लिखते हैं। यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और लिपि केवल देवनागरी हो तो उन हिन्दुओं की क्या दशा होगी?"

यह प्रश्न गांधी जी ने पूछा था, बहुत वर्षों पहले नहीं, अभी अगस्त 1947 में ही। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल दिल्ली और निकटवर्ती भागों का ही निर्देश दिया है। किन्तु बाद में उसी लेख में वे कहते हैं–मैं उनके ही शब्दों का ठीक उद्धरण दे रहा हूं:

> "भारत के करोड़ों ग्रामीणों को पुस्तकों से कोई मतलब नहीं है। वे हिन्दुस्तानी बोलते हैं जिसे मुस्लिम उर्दू लिपि में लिखते हैं तथा हिन्दु उर्दू लिपि या नागरी लिपि में लिखते हैं। अतएव मेरे और आप जैसे लोगों का कर्तव्य है कि दोनों लिपियों को सीखें।"

श्रीमान्, महात्मा गांधी के ये ही विचार हैं। यहां वे स्पष्ट कहते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी संख्या हिन्दुस्तानी भाषा ही बोलती है और उनके अनुसार, उर्दू तथा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करती है। अतएव मैं और मेरे कुछ मित्र इस सदन से अनुरोध करते हैं कि आप संघ की राजभाषा की लिपि के रूप में उर्दू तथा देवनागरी दोनों को स्वीकार कर लें।

आप सब जानते हैं कि यह भाषा हिन्दुस्तानी, विदेशी भाषा नहीं है। यह देशी भाषा है। यह इसी देश में उत्पन्न हुई और उन्नत बनीं। इस भाषा के विषय में एक और लाभ है कि यह भाषा आधुनिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुई थी और इसका आधुनिक परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा उनके अनुरूप विकास हुआ है। अत: मैं कहता हूं कि आधुनिक विचारों, भावनाओं तथा आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति के लिये वह सर्वोत्तम भाषा है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। यह हिन्दुस्तानी ही ऐसी भाषा है जिसे इस देश के अधिक से अधिक लोग बोलते हैं।

भूत की ओर जाने के प्रश्न पर मुझे कहना है कि यदि हम पीछे लौटना चाहते हैं तो हमें उसके विषय में तर्कसंगत होना चाहिये। हम भूत की ओर क्यों लौटना चाहते हैं? क्योंकि हमारे कुछ मित्र एक प्राचीन भाषा को राजभाषा बनाना चाहते हैं—केवल एक भारतीय भाषा ही नहीं वरन् देश की प्राचीन भाषा को ही संघ की राजभाषा बनाना चाहते है। यदि इस बात को स्वीकार किया जाये तो मैं साहसपूर्वक कह सकता हूं कि तमिल, या व्यापक रूप में, द्रविड़ भाषायें ही इस देश में बोली जाने वाली भाषाओं में प्राचीनतम हैं। कोई ऐतिहासिक या

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

पुरातत्ववेता मेरी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि इस देश में प्राचीनतम द्रविड़ भाषा ही है। तमिल भाषा में उच्च कोटि का साहित्य है। यह अत्यन्त प्राचीन भाषा है। मैं कह सकता हूं कि यह मेरी मातृभाषा है। मुझे उससे प्रेम है और उस भाषा पर मुझे गर्व है। किन्तु, मैं और अन्य तमिल लोग भी इतने समझदार हैं कि वे इस बात पर जोर नहीं देते कि यह देश की प्राचीनतम भाषा देश की राजभाषा बननी चाहिये, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे बोलने वाले इतने अधिक नहीं हैं जितने दूसरी भाषा के बोलने वाले हैं, यदि हम प्राचीन की बात करें तो, जैसाकि मैंने कहा है, यही भाषा देश की राजभाषा बननी चाहिये, किन्तु उस भाषा के वक्ता यह दावा नहीं करते।

हां, हमारा अपने अतीत से संबंध है। हम उस बात को भूल नहीं सकते, जैसा कि टण्डन जी ने समझाया है। किन्तु मेरा कहना है कि यदि हमें अतीत की शृंखला से बंधा रहना है तो वह शृंखला कठोर नहीं होनी चाहिये, लचकदार होनी चाहिये। हमें मूल ही बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, हमें शाखायें बनने का प्रयत्न करना चाहिये जिस पर नवपल्लव, फल और फूल लगें। अएतव हमें आधुनिक स्थितियों पर भी विचार करना चाहिये।

***श्री रामनाथ गोयनका** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं पहले ही समाप्त प्रस्ताव कर चुका हूं, और मैं माननीय सदस्य के भाषण के विषय में भी समाप्ति प्रस्ताव कर सकता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्य को समाप्त करने का अवसर दूंगा।

***श्री मोहम्मद इस्माइल:** श्रीमान्, मैं स्वीकार करता हूं कि यदि समाप्ति प्रस्ताव पेश किया जाये और स्वीकृत हो जाये तो यहां कुछ भी नहीं कह सकता। किन्तु क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है और वाद-विवाद जारी है, अत: मेरे विचार में मुझे बोलने का अधिकार है।

***श्री रामनाथ गोयनका:** वे तर्क को दोहरा रहे हैं।

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्य अपनी वक्तृता को समाप्त कर सकते हैं।

***श्री मोहम्मद इस्माइल:** श्रीमान्, अंकों के विषय में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को चाहता हूं क्योंकि देश की कई भाषाओं ने उन अंकों को अपना लिया है। यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या अंकों का प्रश्न देश के समक्ष इतने काल से है जितने काल से राजभाषा का प्रश्न है। मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या लोग नहीं जानते कि यह अंकों का प्रश्न राजभाषा के प्रश्न से सर्वथा भिन्न है। अब अंग्रेजी संघ की राजभाषा है। वह जनता तक नहीं पहुंची। किन्तु अंकों का प्रश्न दूसरा है। जनसाधारण तथाकथित अंग्रेजी अंकों का, जो वास्तव में भारतीय अंक हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। मैंने ठेले वालों, मजदूरों, को इन अंकों का प्रयोग करते देखा है। अब लाखों लोग इन अंकों का प्रयोग करते हैं। अतएव मेरे मित्र चाहते हैं कि इन अंकों को संघ की राजभाषा का स्थायी अंग बना दिया जाये, और वे जनता की भावनाओं को ही व्यक्त कर रहे हैं। वे केवल उसी बात का समर्थन कर रहे हैं जो देश में पहले ही विद्यमान है।

यदि हम अंकों के रूप में परिवर्तन करते हैं तो इससे शक्ति की बरबादी तथा अपव्यय के अतिरिक्त बहुत सी गड़बड़ पैदा हो जायेगी। जैसा बहुधा बताया जा चुका है वे आखिर हमारे ही अंक हैं। अतएव मैं सदन से अब भी अनुरोध करता हूं कि इन अंकों को राजभाषा का स्थायी अंग बना देना चाहिये और कितने ही वर्षों पश्चात् उन्हें नहीं बदलना चाहिये।

संक्षेप में मेरी प्रस्थापना है कि उर्दू और देवनागरी लिपियों में लिखित हिन्दुस्तानी को संघ की राजभाषा स्वीकार करना चाहिये, और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को उस राजभाषा का स्थायी अंग बना देना चाहिये।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, प्रश्न पर अब मत लिये जायें।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अवसर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** समाप्ति प्रस्ताव पेश किया जा चुका है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि मुझे संशोधन सं. 4 में कुछ खास बातें बतानी हैं।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं.....

***अध्यक्ष:** समाप्ति प्रस्ताव पेश हो चुका है और मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरे विचार में आपने पहले वचन दिया था कि आप बोलेंगे नहीं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, समाप्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्णत: अध्यक्ष के हाथ में है। मैं संशोधन सं. 4 के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** आप संशोधन का विरोध करना चाहते हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** हां, श्रीमान्। समाप्ति-प्रस्ताव की स्वीकृति इस बात पर निर्भर है कि राष्ट्रपति को संतोष हो जाये कि काफी बहस हो चुकी है।

***माननीय सदस्यगण:** समाप्ति, समाप्ति।

***अध्यक्ष:** मुझे समाप्ति-प्रस्ताव पर मत लेने हैं। मेरे विचार में सदन अधिक वाद-विवाद करना नहीं चाहता।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** क्या आपका यह निर्णय है कि समाप्ति प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मुझे इस पर सदन का मत लेना है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** नहीं, श्रीमान्, यह आवश्यक नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर मत लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।

***अध्यक्ष:** मैं यह नहीं कहता कि मैं बाध्य हूं, किन्तु मेरा विचार उस पर सदन का मत लेने का है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं कुछ शब्द कहना चाहता था। इस संशोधन में गम्भीर त्रुटियां हैं।

***माननीय सदस्यगण:** नहीं, नहीं (शान्ति, शान्ति)।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि प्रश्न पर मत लिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** श्री आयंगर, क्या आप समूचे वाद-विवाद के उत्तर स्वरूप कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, इस समय सब प्रसन्नता की मुद्रा में हैं और मैं लम्बी सी वक्तृता देकर इस हर्ष मुद्रा को भंग नहीं करना चाहता। मुझे बड़े संशोधन का प्रस्तावक होने के नाते औपचारिक रूप में उन संशोधनों को स्वीकार करना है जो मेरे माननीय मित्र श्री मुन्शी ने उस संशोधन पर पेश किये हैं। मैं उन्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं।

मुझे एक बात और कहनी है जिसके विषय में मैंने कुछ मित्रों को वचन दिया था जिन्होंने कल कुछ संशोधन पेश किये थे, विशेषत: वह संशोधन जिसका समर्थन श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव ने बहुत युक्तियुक्त भाषण द्वारा किया था। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि हिन्दी भाषा की अस्थिर अवस्था के कारण, विशेषत: राजनैतिक, सांविधानिक, वैज्ञानिक, आदि शब्दों की कमी के कारण, यह वांछनीय है कि एक परिषद् या आयोग संविधान के प्रारम्भ होते ही स्थापित होना चाहिये और वह देश के विभिन्न भागों में इस भाषा की समीक्षा करे और शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को निश्चित रूप दे। मेरे विचार में, श्रीमान्, देश की वर्तमान दशा में यह बहुत अच्छा सुझाव है। उन्होंने उस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया था, किन्तु मैं नहीं समझता कि इस बात को पूरी करने के लिये इस मसौदे में कुछ बढ़ाना जरूरी है। उस भाग में एक अनुच्छेद है जिसमें राज्य को यह निदेश दिया गया है कि वह हिन्दी भाषा के विकास के लिये कदम उठाये, उसे उन्नत करने के लिये कदम उठाये, जिससे कि वह हिन्दुस्तानी तथा देश की अन्य भाषाओं की शैलियों, पदावलियों आदि को आत्मसात् कर सके और अपनी शब्दावली की उन्नति के लिये मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: संसार की अन्य सब भाषाओं से शब्द ले सके। यह एक व्यापक निदेश है जो हमने इस भाग 16-क में रखा

है और मुझे विश्वास है इस संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात् चाहे कोई भी सरकार हो वह इस उद्देश्य विशेष को पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी और श्री कृष्णमूर्ति के सुझाव पर, मुझे संदेह नहीं है, अवश्य अमल किया जायेगा।

***अध्यक्ष:** मुझे अब संशोधनों पर मत लेना है। हमारे पास बहुत ज्यादा संशोधन हैं। मैं संशोधन की संख्या बोलता जाऊंगा और जो सदस्य वापस लेना चाहें वे कह दें और मैं मान लूंगा कि सदन उन्हें वापस लेने की अनुमति देता है।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त:** श्रीमान्, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं? यदि कोई सदस्य विशेषत: यह चाहता है कि उसके संशोधन पर मत लिया जाये तो वह कह देगा। अन्यथा यदि आप प्रत्येक संशोधन को लेंगे तो इसमें बहुत समय लग जायेगा। मैं समझता हूं कि हमने निश्चय कर लिया है कि केवल कुछ संशोधनों को स्वीकार किया जायेगा, अत: यदि आप कृपया उन्हीं माननीय सदस्यों से पूछें जो अपने संशोधनों पर मतदान चाहते हैं तो इससे बहुत समय बच जायेगा।

***अध्यक्ष:** क्या सदन की यही इच्छा है?

***माननीय सदस्यगण:** हां।

***अध्यक्ष:** तो मैं चाहता हूं कि सदस्य मुझे बता दें कि वे किन-किन संशोधनों पर मतदान करवाना चाहते हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन पर मतदान हो।

***अध्यक्ष:** उसकी संख्या क्या है?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** सं. 277।

***श्री जेड.एच. लारी** (युक्तप्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान्, क्या प्रक्रिया है?

***अध्यक्ष:** मुझे यह सुझाव दिया गया है कि इसकी बजाय कि मैं प्रत्येक संशोधन पर मत लूं और जिस सदस्य ने उसे पेश किया है उसे वापस ले, और सदन से वापस लेने की अनुमति मांगे, इन बातों की बजाय मुझे केवल उन संशोधनों पर मत ले लेना चाहिये जिस पर उसके प्रस्तावक मतदान करवाना चाहें।

***श्री जेड.एच. लारी:** इससे गड़बड़ होगी। उचित तरीक़ा यह है कि जो अपने संशोधन वापस लेना चाहें पहले वापस ले लें।

***महबूब अली बेग साहिब बहादुर** (मद्रास : मुस्लिम): जब कोई संशोधन पेश हो तब उसके प्रस्तावक खड़े होकर कहें कि वे उसे वापस लेते हैं और सदन उस वापस लेने को स्वीकार करे। हमारे नियमों में तो यही प्रक्रिया लिखी हुई है।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): प्रत्येक सदस्य को खड़ा होकर कहने की अपेक्षा नहीं है कि वह संशोधन को वापस लेता है। जिन संशोधनों पर प्रस्तावक जोर नहीं देना चाहते उन्हें समझा जाये कि वे वापस ले लिये गये हैं। नियमों के अनुसार ऐसी प्रक्रिया का कोई निषेध नहीं है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन:** मैं यही जानना चाहता हूं कि इस मामले में आपका विनिश्चय क्या है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** जिन सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं और उन पर मतदान नहीं करवाना चाहते उनके विषय में यह मान लिया जाये कि उन्होंने आपको प्राधिकार दे दिया है कि वे उन पर जोर देना नहीं चाहते।

***अध्यक्ष:** इस मामले में मुझे एक सुझाव देना है। मेरे पास उन सदस्यों की सूची है जिनके नाम से संशोधन हैं। मैं प्रत्येक सदस्य का नाम पुकारूंगा और यदि वह चाहे कि किसी विशेष संशोधन पर मतदान होना चाहिये तो मैं उस पर मत ले लूंगा। मेरे विचार में उससे समस्या सुलझ जायेगी। शेष के विषय में मैं समझ लूंगा कि सदस्य अपने संशोधनों को वापस लेते हैं और सदन उन्हें इसकी अनुमति देता है।

निम्न सदस्यों ने अपने नाम के संशोधनों को वापस लेने की अनुमति मांगी:

सेठ गोविन्ददास

माननीय पं. रविशंकर शुक्ल

श्री अलगू राय शास्त्री

श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र

श्री एच.वी. कामत

मौलाना हसरत मोहानी

श्री एल. कृष्णस्वामी भारती

श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी

श्री अरुण चन्द्र गुहा

श्री महबूब अली बेग

डॉ. पी. सुब्बरायन

श्री एन. नागप्पा

(संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।)

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन 65 में, प्रस्थापित नवीन भाग 16-क के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

‘PART XIV-A

CHAPTER I—LANGUAGE OF THE UNION

301A. (1) The State language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this article the English language may continue to be used for official purposes of the Union during the period of transition which shall not exceed 5 years, provided that the State language will be progressively utilized until it replaces English completely at the end of the transitional period of five years.

301 B. (1) Within three months of the commencement of this Constitution, there shall be constituted a committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the Council of States chosen respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(2) It shall be the duty of the committee to make recommendations to the President as to the ways and means which should be adopted as to the progressive use of the Hindi language for all the official purposes of the Union and the replacement of the English language by the Hindi language at the end of the transitional period of five years.

(3) The Committee shall submit its report within a period of six months from the date of its appointment.

(4) Within a period of three months from the date of submission of its report by the Committee, the President shall cause every recommendation made by the committee together with an explanatory memorandum as to the action taken or to be taken thereon to be laid before each House of Parliament.

[अध्यक्ष]

(5) (a) When any member of the House of the People or the Council of States cannot adequately express himself in the language in use for the time being in the House of the People or in the Council of States, the Speaker of the House of the People or the Chairman of the Council of States may permit him to address the House in his mother tongue.

(b) The Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the people may, whenever he thinks fit, make arrangements for making available in the Council of States or the House of the People as the case may be a summary in Hindi and in the language in use in the House for the time being of the speech delivered by a member in any other language and such summary shall be included in the record of the proceedings of the House in which the speech has been delivered.

CHAPTER II—REGIONAL LANGUAGES

301-C. (1) A State may by law adopt Hindi or the language or languages in use in the State as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

(2) (a) When any member of a State Legislature cannot adequately express himself in the language in use for the time being in either House of the State Legislature, the Chairman of the Legislative Council or the Speaker of the Legislative Assembly may permit him to address the House in his mother tongue.

(b) The Chairman of the Legislative Council or the Speaker of the Legislative Assembly may, whenever he thinks fit, make arrangements for making available, in the Legislative Council or the Legislative Assembly as the case may be, a summary in Hindi or in the language in use in either House for the time being of the speech delivered by a member in any other

language, and such summary shall be included in the record of the proceedings of the House in which the speech has been delivered.

301-D. (1) (a) The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between a State and the Union;

(b) If the language authorised for use in the Union is also the official language of any State, the official language of the Union shall be the official language for communication between that State and another State:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language shall be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

(2) The authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by a Governor or a Ruler, as the case may be,

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by the Legislature of a State,

shall be in the official language of the State:

Provided that if the State official language is not Hindi, they shall be accompanied by an authoritative text in Hindi:

[अध्यक्ष]

Provided also that during the transition period of five years from the commencement of the Constitution, if the State official language is not English, they shall also be accompanied by an authoritative text in English.

301-E. Where on a demand being made in that behalf the President is satisfied that a substantial proportion of the population of a State, but not less than 20 per cent. desires the use of any language spoken by them to be recognised by that State, he may direct that such language shall be recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

CHAPTER III—DIRECTIVE PRINCIPLE

301-G. Every person shall be entitled to submit a representative for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

301-H. It shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi and to develop the language so as to serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating the forms, style and expressions used in the other languages of India, and drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit.

301-I. It shall be the duty of the Union to promote the use of the Devanagari script throughout the territory of India.

301-J. It shall also be the duty of the Union to promote the study of Sanskrit throughout the territory of India as it is the source of most of the other languages in India.'"

[भाग 14-क

अध्याय 1

संघ की भाषा

301-क. (1) संघ की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुये भी संक्रमण काल में जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रह सकता है, परन्तु राज्य भाषा का प्रयोग प्रगतिपूर्वक होगा जब तक कि वह पांच वर्ष के संक्रमण काल के अन्त में पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान ले ले।

301-ख. (1) संविधान के आरम्भ से तीन मास के भीतर, 30 सदस्यों की एक समिति बनाई जायेगी, जिनमें से 20 लोक सभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्य परिषद् के सदस्य जो क्रमशः उन सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(2) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि संघ के सब राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग तथा पांच वर्षों के संक्रमण काल के पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने के लिये क्या उपाय तथा साधन अपनाये जायें।

(3) समिति अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 मास के भीतर ही अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी।

(4) समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश करने के पश्चात् तीन मासों में ही राष्ट्रपति समिति की प्रत्येक सिफारिश को, व्याख्यात्मक स्मरण पत्र के साथ कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(5) (क) जब लोक सभा या राज्य परिषद् का कोई सदस्य उस समय उस सदन में प्रयोग होने वाली भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तब लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य परिषद् का सभापति उसे अपनी मातृ भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकता है।

(ख) राज्य परिषद् का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष, जब भी वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति राज्य परिषद् में या लोक सभा में ऐसी वक्तृता का जो किसी सदस्य ने अन्य भाषा में दी हो हिन्दी में अथवा उस समय सदन में प्रयोग होने वाली भाषा में संक्षिप्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है। और वह संक्षेप उस सदन की कार्यवाही के अभिलेख में समाविष्ट होगा, जिसमें वह वक्तृता दी गई है।

अध्याय 2

प्रादेशिक भाषाएं

301-ग. (1) कोई राज्य विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ हिन्दी को या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अनेक को अंगीकार कर सकेगा।

[अध्यक्ष]

(2) (क) जब राज्य के विधान मण्डल का कोई सदस्य उस समय उस सदन में प्रयोग होने वाली भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तब विधान परिषद् का सभापति या विधान सभा का अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकता है।

(ख) विधान परिषद् का सभापति या विधान सभा का अध्यक्ष, जब भी वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति विधान परिषद् या विधान सभा में ऐसी वक्तृता का, जो किसी सदस्य ने अन्य भाषा में दी हो, हिन्दी में अथवा उस सदन में प्रयोग होने वाली अन्य भाषा में संक्षेप उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है, और वह संक्षेप उस सदन की कार्यवाही के अभिलेख में समाविष्ट होगा, जिसमें वह वक्तृता दी गई है।

301-घ. (1) (क) संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्सम प्राधिकृत भाषा, किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी।

(ख) यदि संघ में प्रयोगार्थ प्राधिकृत भाषा किसी राज्य की राजभाषा भी है, तो संघ की राजभाषा ही उस राज्य और अन्य किसी राज्य के बीच संचार की राजभाषा होगी:

किन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

(2) (क) विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन में पुर:स्थापित किये जायें, उन सबके प्राधिकृत पाठ।

(ख) अधिनियम जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राज्यपाल या शासक द्वारा प्रख्यापित किये जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ।

(ग) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि, जो इस संविधान के अधीन, अथवा राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें, उन सबके प्राधिकृत पाठ, उस राज्य की राजभाषा में होंगे:

किन्तु यदि उस राज्य की राजभाषा हिन्दी नहीं है तो, उनके साथ हिन्दी में उनका प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया जायेगा:

किन्तु यह भी कि इस संविधान के आरम्भ से पांच वर्ष के संक्रमण काल में, यदि उस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है तो उनके साथ अंग्रेजी में भी उनका प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया जायेगा।

301-ङ तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात, जो बीस प्रतिशत से कम नहीं

हो, चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

अध्याय 3

निदेशक तत्व

301-छ. किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक़ होगा।

301-ज. हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुये तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिये मुख्यत: संस्कृत के शब्द ग्रहण करते हुये उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

301-झ. भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में देवनागरी लिपि के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, संघ का कर्तव्य होगा।

301-ञ. भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देना संघ का कर्तव्य होगा, क्योंकि वह भारत की अन्य भाषाओं में अधिकांश का स्रोत है।]

संशोधन अस्वीकृत हो गये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-क के खण्ड (1) में, 'हिन्दी' शब्द के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' शब्द रख दिया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ *(हाथ उठा कर)*।

हां: 14

नहीं: शेष, अत्यधिक बहुमत।

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***श्री मोहम्मद ताहिर** (बिहार : मुस्लिम): मैं अपने संशोधन सं. 1 को वापस लेने के लिये अनुमति चाहता हूं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-क के खण्ड (1) में 'देवनागरी' शब्द के पश्चात् 'और उर्दू' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

सभा में मत विभाजन हुआ *(हाथ उठा कर)*।

हां: 12

नहीं: शेष, अत्यधिक बहुमत।

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** श्री युधिष्ठिर मिश्र अपने आसन पर नहीं हैं। श्री फूल सिंह अपने संशोधन को वापस लेते हैं। सर्वश्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले, शंकर राव देव और आर.वी. धूलेकर अपने संशोधनों को वापस लेते हैं।

अब श्री रामलिंगम् चेटियर का संशोधन है।

***श्री टी.ए. रामलिंगम् चेट्टियार** (मद्रास : जनरल): मेरे संशोधन सं. 105 पर मतदान हो।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन सं. 65 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-ख के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:-

'301B. The President shall, after the expiration of 15 years from the commencement of this Constitution, lay down the method by which the substitution of English by Hindi should be carried out.'"

[301-ख. राष्ट्रपति, संविधान के आरम्भ से वर्ष की समाप्ति पर, ऐसा उपाय निश्चित करेगा जिससे अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को रखने का कार्य हो सके।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***श्री टी.ए. रामलिंगम् चेट्टियारः** मत ले लिये जायें, श्रीमान्।

सभा में मत विभाजन हुआ *(हाथ उठाकर)*।

हां: 6

नहीं: शेष, अत्यधिक बहुमत।

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

(वैकल्पिक संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।)

***श्री सतीश चन्द्र सामन्त** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)

***श्री महबूब अली बेग:** मेरे संशोधन सं. 98 का क्या हुआ?

***अध्यक्ष:** मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकारा था और उस समय उन्होंने अपने संशोधन पर मतदान के लिये मुझे नहीं कहा। यदि वे अब उस पर मतदान चाहते हैं तो मैं मत ले लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301क के खण्ड (2) का परन्तुक हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुमति चाही:

श्री राम सहाय

श्री महावीर त्यागी

श्री एस.वी. कृष्णमूर्तिराव

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा

श्री युधिष्ठिर मिश्र

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।)

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैं अपने संशोधनों को वापस लेता हूं। किन्तु मुझे आशा है कि मसौदा समिति उन पर विचार करेगी। मेरे मसौदे उनके मसौदों से अच्छे हैं।

***अध्यक्ष:** आप उन्हें मसौदा समिति को दे दीजिये।

डॉ. पी.एस. देशमुख और श्री जसपतराय कपूर के संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***श्री जेड.एच. लारी:** मैं अपने संशोधन सं. 258 और 310 पर मतदान चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-घ के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्न जोड़ दिया जाये:

'Provided further that if any Indian language specified in the schedule was used as official language in any State on 15th August 1947—the day of India's Idependence—such language shall also be recognised as official language of the State for 15 years from the date of the commencement of the Constitution and thereafter if so directed by the President.'"

[किन्तु कोई यदि भारतीय भाषा, जो अनुसूची में उल्लिखित हो भारतीय स्वतन्त्रता दिवस, 15 अगस्त 1947 को किसी राज्य में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती हो तो वह भाषा भी इस संविधान के आरम्भ से पन्द्रह वर्ष तक, और यदि राष्ट्रपति निदेश दे तो बाद में भी, उस राज्य की राजभाषा के रूप में मान्य होगी।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** मैं श्री लारी के अगले संशोधन पर मत लेता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-ज के अंत में निम्न खण्ड जोड़ दिया जाये:-

'Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, primary education shall be imparted through the mother tongue of a child where thirty students in a school or eight students in a class make such a demand.'"

[इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृ भाषा में दी जायेगी, जहां किसी पाठशाला में 30 विद्यार्थी या किसी एक श्रेणी में 8 विद्यार्थी ऐसी मांग करें।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

श्री बसन्त कुमार दास और श्री बी. सिद्धवीरप्पा ने अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुमति चाही।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।)

***अध्यक्ष:** श्री जयपालसिंह। मेरे विचार में सदस्य महोदय सदन में नहीं हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, उनके संशोधन पर मत ले लिये जायें।

***अध्यक्ष:** श्री लकरा, आप क्या कहते हैं?

***श्री बोनीफेस लकरा** (बिहार : जनरल): मैं वापस लेता हूं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्ष:** श्री नज़ीरुद्दीन अहमद।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं अपने संशोधन सं. 277 और 282 के अतिरिक्त सबको वापस लेता हूं।

(संशोधन सं. 277 और 282 के अतिरिक्त श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के समस्त संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।)

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये भाग 14-क के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'PART XIV-A

CHAPTER I. LANGUAGE OF THE UNION

301-A. The English language shall continue to be used for all the purposes of the Union for which it was being used at the commencement of the Constitution for fifteen years in the first instance and then for such further period, if any, till an All India language is evolved which is of sufficient vigour, richness and flexibility to serve the multifarious purposes and functions of the Union and ascertained and adopted in the manner hereinafter laid down in this part.

301-B. As a first step to facilitate the evolution and ultimate adoption of a Union language referred to in the last preceding article, and to provide

[अध्यक्ष]

for and safeguard the continuance and growth of the regional languages referred to in article—of this Constitution, Parliament may, within ten years from the commencement of this Constitution, by law—

(a) under article 3 of this Constitution regroup and reconstitute, as far as practicable, all the States described in the First Schedule on linguistic bases according to the principal languages described in Schedule VII-A, and

(b) introduce a system of mass literacy among the citizens of India.

301-C. If within the period of ten years from the commencement of this Constitution, or as soon as practicable thereafter, the President is satisfied that the States have been reconstituted in the manner laid down in clause (a) of the last preceding article and a minimum of sixty per cent of the adult and adolescent citizens of India have received primary education as laid down in clause (b) thereof, he shall require the Parliament and the Legislatures of the States to express their views on the question of the selection of the Union language or languages and the respective regional languages.

301-D. The President shall consider the views of the Parliament and the Legislatures of the States and may as soon as practicable, appoint a Language Commission representing the various languages enumerated in Schedule VII-A and also other languages and experts to investigate and report on the suitability of any one or more language or languages to be adopted as the Union language and one or more language or languages for the various States, regard being had to political, literary, official, legal, commercial, medical, technical, scientific, military, international and other needs of India as a whole and of the States.

301-E. The President shall consider the report of the Commission and if he is satisfied that it is thorough and adequate, he shall direct the report to be placed before the Houses of Parliament and the Houses of the Legislatures of the States for expression of their opinions on the suitability or otherwise of any one or more of the Indian languages to be the official language of India as also the regional language or languages of the various States.

301-F. The President on a consideration of the opinions of the Legislatures and other documents and materials available, shall appoint a committee consisting of thirty members of the House of the People and ten members elected by the Council of States on the principle of proportional representation by means of the single transferable vote to report as to the suitability of any one or more language or languages of the Union and of the various States.

301-G. The President shall consider the report of the Committee and may by notification in the Official Gazette direct that one or more languages shall be official language of the Union with effect from such date as may be specially appointed in this behalf in the notification.

301-H. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law provide for the use of the English language after the date mentioned in the last preceding article for such purposes as may be specified in such law.

CHAPTER II—REGIONAL LANGUAGE

301-I. Subject to the provisions of the next succeeding article, a State may, after consideration of the report of the Language Commission referred to in article 301-D of this Constitution and of the report of the Committee referred to in article 301-F of this Constitution, by law adopt

[अध्यक्ष]

any one or more of the languages in use in the State as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:

Provided that until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used at the commencement of this Constitution.

301-J. Where on a demand being made in that behalf, the President is satisfied that a substantial proportion of the population of a State or any substantial part thereof desires the use of any language spoken by them to be recognised by that State, he may direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose or purposes as he may specify.

CHAPTER III—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT AND THE HIGH COURTS, ETC.

301-K. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State.

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor or Ruler, as the case may be,

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State shall be in the English language.

301-L. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides, the proceedings in all courts subordinate to the High Courts shall, subject to the directions of the Supreme Court, be in English or such other language or languages as may be prescribed by the High Court to which such court is subordinate.

301-M. Until the date mentioned in the notification referred to in article 301-G of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in article 301-K of this Constitution shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under article 301-D of this Constitution and the report of the Committee referred to in article 301-F of this Constitution.

301-N. It shall be the duty of the Union to promote the spread of the official language or languages of the Union and to develop the language or languages so as to serve as a medium or media of expression for all elements of the composite culture of India and to secure its or their enrichment by assimilating the forms, style and expressions used in the other languages of India, and drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary on Sanskrit and other languages."

"SCHEDULE VII-A

1. Assamese

2. Bengali

[अध्यक्ष]

3. Canarese
4. Gujarati
5. Hindi
6. Hindustani
7. Kashmiri
8. Malayalam
9. Marathi
10. Oriya
11. Punjabi
12. Rajasthani
13. Telugu
14. Urdu. '"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-क के खण्ड (1) में, 'देवनागरी लिपि में हिन्दी' इन शब्दों के स्थान पर 'बंगाली' शब्द रख दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने नाम के संशोधनों के वापस लेने के लिये सदन की अनुमति मांगी:

श्री हरगोविन्द पन्त

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका

श्री बी.एम. गुप्ते

आचार्य जुगलकिशोर

श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार

डॉ. रघुवीर

श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट

मास्टर नन्द लाल

श्री बी.पी. झुनझुनवाला

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।)

***अध्यक्ष:** श्री ब्रजेश्वर प्रसाद।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं संशोधन सं. 322 पर मतदान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि खण्ड (2) के अंतिम परन्तुक को हटा दिया जाये। वे शब्द निरर्थक हैं।

***अध्यक्षः** मैं तो समूचे संशोधन पर ही मत ले सकता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301क के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'301A. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script and the form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the Devanagari form of numerals.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this article, for a period of five years from the commencement of this Constitution, the English language and the international form of Indian numerals shall continue to be used for all the official purposes of the Union, for which they were being used at such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise for any of the official purposes of the Union the use of the Hindi language and the Devanagari form of numerals in addition to the English language and the international form of Indian numerals in addition to the Devanagari form of numerals.

(3) Notwithstanding anything contained in this article, the President may by order authorise the use of the English language and the international form of Indian numerals after the said period of five years for such purposes as may be specified in such order.'"

[अध्यक्ष]

[301-क (1) संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये देवनागरी अंकों का प्रयोग होगा।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुये भी, इस संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा और भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप ही संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होते रहेंगे, जिनके लिये वे संविधान के आरम्भ पर प्रयुक्त होते थे:

किन्तु उक्त कालावधि में ही राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि संघ के किसी राजकीय प्रयोजन के लिये अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा तथा देवनागरी अंकों का प्रयोग और देवनागरी अंकों के अतिरिक्त भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग भी हो सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि उन प्रयोजनों के लिये जो उक्त आदेश में उल्लिखित हों, पांच वर्ष की उपरोक्त कालावधि के पश्चात् भी, अंग्रेजी भाषा तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग हो सकेगा।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** सरदार हुकम सिंह।

***सरदार हुकम सिंह:** मैं संशोधन सं. 330 पर मतदान करवाना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-ग के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'301C. Subject to the provisions of articles 301D and 301E, a State shall by law adopt the language spoken, according to the last census figures available for the purpose, by majority of the population, as the language to be used for all official purposes of that State:

Provided that until the Legislature of the State otherwise provides by law the English Language shall continue to be used for those official purposes within that State for which it was being used at the commencement of this Constitution.'"

[301-ग. अनुच्छेद 301-घ और 301-ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोई राज्य, विधि द्वारा, उस भाषा को उस राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है, जो भाषा, उस प्रयोजन के लिये उपलब्ध अंतिम जनगणना अंकों के अनुसार, अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

(डॉ. मनमोहन दास का संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्ष:** श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन:** आप किस संशोधन के विषय में कह रहे हैं, श्रीमान्?

***अध्यक्ष:** संख्या 333।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन:** मैं इस पर मतदान करवाना चाहता हूं। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301 के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

Official language of the Union.

'301A. (1) (a) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) of this clause both Devanagari and international forms of Indian numerals shall be recognised for Devanagari script.

(c) The President may authorise the use of Devanagari form of numerals or the international form of numerals or both the forms for any one or more purposes of the Union.

(d) Notwithstanding anything contained in the foregoing Provisions of this clause, Parliament shall after the expiration of a period of 15 years from the commencement of this Constitution by

[अध्यक्ष]

law prescribe the use of Devanagari numerals or the international form of numerals or both for any one or more specified purposes of the Union.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this article for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used at such commencement:

Provided that the President may during the said period by order authorise for any of the official purposes of the Union other than accounting, auditing and banking the use of the Hindi language in addition to the English language.

(3) Notwithstanding anything contained in this article Parliament may by law provide for the use of the English language after the said period of fifteen years for such purposes as may be specified in such law.'"

[301-क (1) (क) संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखित हिन्दी होगी।

संघ की राजभाषा

(ख) इस खण्ड के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुये भी देवनागरी लिपि के लिये भारतीय अंकों के देवनागरी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों रूप मान्य होंगे।

(ग) राष्ट्रपति संघ के एक या अनेक प्रयोजनों के लिये देवनागरी अंकों या अन्तर्राष्ट्रीय अंकों या दोनों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा।

(घ) इस खण्ड के पूर्ववर्ती उपखण्डों में किसी बात के होते हुये भी इस संविधान के आरम्भ से पन्द्रह वर्षों की समाप्ति पर संसद विधि द्वारा, संघ के एक या अनेक उल्लिखित प्रयोजनों के लिये देवनागरी अंकों या अन्तर्राष्ट्रीय अंकों या दोनों के प्रयोग को निर्धारित कर सकती है।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के आरम्भ से 15 वर्षों की कालावधि में, अंग्रेजी भाषा संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिये वह संविधान के आरम्भ पर प्रयुक्त होती थी:

किन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि लेखा, लेखा-परीक्षण तथा बैंक व्यवसाय के अतिरिक्त संघ के किसी राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का भी प्रयोग होगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी संसद, विधि द्वारा उपबन्ध कर सकती है कि पन्द्रह वर्ष की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ऐसे प्रयोजनों के लिये जो उस विधि में उल्लिखित हों, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा।]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** फिर संशोधन सं. 345 है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन:** उस पर मतदान हो। मैं उसे वापस नहीं लेता:

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 302-ख में-

(1) खण्ड (1) में, 'at' शब्द के स्थान पर, दोनों जगह जहां वह शब्द है, 'before' शब्द रख दिया जाये;

(2) खण्ड (2) में उपखण्ड (घ) हटा दिया जाये;

(3) खण्ड (5) में 'thereon' शब्द के पश्चात् 'making such recommendations as they think fit' ये शब्द जोड़ दिये जायें; और

(4) खण्ड (6) में, 'report' शब्द के पश्चात्, जहां वह दूसरी बार आया है, 'which shall come into effect after the expiry of five years from the commencement of this Constitution' ये शब्द जोड़ दिये जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 346।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन:** उसे मैं वापस लेता हूं, श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** संशोधन सं. 348।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन:** उसे भी मैं वापस लेता हूं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।)

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 349।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** उस पर मतदान होना चाहिये।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ सूची के संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित ये अनुच्छेद 301-च के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'301F. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—'"

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** क्या मैं बीच में बाधा डाल सकता हूं: मुझे बहुत खेद है; मैं इसे वापस लेता हूं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्षः** श्री फ्रैंक एन्थनी।

***श्री फ्रैंक एन्थनी** (मध्य प्रदेश और बरार: जनरल): मैं सभा से अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति मांगता हूं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्षः** मेरे ख्याल में सब संशोधन आ चुके हैं। यदि किसी सदस्य का संशोधन रह गया है तो वे मुझे बता सकते हैं।

***श्री महावीर त्यागीः** श्री मुन्शी के संशोधन।

***अध्यक्षः** उस पर मैं आ रहा हूं: मैं अन्य संशोधनों के विषय में कह रहा हूं।

***श्री मोहम्मद ताहिरः** संशोधन सं. 175, श्रीमान्।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन सं. 65 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 301-ज में, 'used in the Union or in the State, as the case may be' इन शब्दों के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:-

'specified in Schedule VII A'"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

श्री मोहम्मद इस्माइल साहिबः मेरे संशोधन सं. 336, 341, 342 और 344।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): वे अन्य संशोधनों में आ जाते हैं।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में संशोधन 336 एक संशोधन में आ जाता है जो गिर गया है। अगला संशोधन 341 है।

***श्री मोहम्मद इस्माइल साहिब:** मैं इसे वापस लेता हूं, श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 342।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** वह भी आ जाता है, श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** वह भी हो गया। संशोधन सं. 344।

***श्री मोहम्मद इस्माइल साहिब:** मैं उसे भी वापस लेता हूं, श्रीमान्।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में इतने ही संशोधन हैं। यदि किसी सदस्य का संशोधन रह गया है तो वे बता दें, अन्यथा ऐसा समझा जायेगा कि वे सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये हैं।

अब मैं श्री मुन्शी के संशोधनों पर मत लेता हूं। किन्तु श्री त्यागी का एक संशोधन कण्डिकाओं की संख्या के विषय में है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस मामले पर तो हम बाद में विचार करेंगे।

***श्री महावीर त्यागी:** वह स्वीकृत हो गया, श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** इसका यह मतलब नहीं है कि उसे स्वीकार कर लिया गया है। वे उस पर विचार करेंगे।

***श्री के.एम. मुन्शी:** मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्ष:** क्या आप उस पर जोर दे रहे हैं?

***श्री महावीर त्यागी:** यदि आप उसे मसौदा समिति को भेज रहे हैं तो मैं उस पर जोर नहीं देता। मैं उसे मसौदा समिति की सद्बुद्धि पर छोड़ देता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 301-क के खण्ड (1) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'(1). The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.'"

[(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 301-क के खण्ड (3) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:

'(3) Notwithstanding anything contained in this article Parliament may after the said period of fifteen years by law provide for the use of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in such law.'"

[(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी संसद उक्त पन्द्रह साल को कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा–

(क) अंग्रेजी भाषा का; अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का।

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।]

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अन्य दोनों संशोधनों पर एक साथ मत ले लिये जायें।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 301-च को अनुच्छेद 301-च का खण्ड (1) बना दिया जाये, और उसमें निम्न खण्ड जोड़ दिया जाये:

'(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) of this article shall prevent a State from prescribing, with the consent of the President, the use of the Hindi language or any other language recognised for official purposes in the State for proceedings in the High Court of the State other than judgments, decrees and orders.'"

[(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुये भी किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने

वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश के अतिरिक्त अन्य की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।]

"कि प्रस्थापित अनुच्छेद 301-च के खण्ड (2) के पश्चात्, निम्न जोड़ दिया जाये:

'(3) Notwithstanding anything contained in sub-clause (b) of clause (1) of this article, when the Legislature of a State has prescribed the use of any language other than English for Bills, Acts Ordinances, and Orders having the force of law and rules referred to in the said sub-clause, a translation of the same in English certified by the Governor or Ruler of the State shall be published and the same shall be deemed to be the authoritative text in English under this article.'"

[(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुये भी जहां किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कंडिका (घ) में निर्दिष्ट किसी, आदेश नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिये उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।]

संशोधन स्वीकृत हो गये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची में 'Kanarese' के स्थान पर 'Kannada' शब्द रख दिया जाये और 'Punjabi' के पश्चात् 'Sanskrit' प्रविष्ट कर दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधन सं. 65 पर मत लूंगा जिस पर ये सब संशोधन पेश किये गये थे।

प्रश्न यह है:

"कि संशोधन सं. 65 (प्रस्थापित अनुच्छेद 301-क से 301-झ), श्री मुन्शी के स्वीकृत संशोधनों द्वारा संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने:

[अध्यक्ष]

'Part XIV-A

CHAPTER I—LANGUAGE OF THE UNION

Official language of the Union.

301A. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this article, for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union, for which it was being used at such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise for any of the official purposes of the Union the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals.

(3) Notwithstanding anything contained in this article, Parliament may after the said period of fifteen years by law provide for the use of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in such law.

Commission and Committee of Parliament on official language.

301B. (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in Schedule VIIA as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 301B of this Constitution;

(d) form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;

(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language of inter-State communication and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2) of this article, the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States chosen respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

[अध्यक्ष]

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under this article and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything contained in article 301A of this Constitution, the President may after consideration of the report referred to in clause (5) of this article issue directions in accordance with the whole or any part of the report.

CHAPTER II—REGIONAL LANGUAGES

Official language or languages of a State.

301C. Subject to the provisions of articles 301D and 301E, a State may by law adopt any of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:

Provided that until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used at the commencement of this Constitution.

Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.

301D. The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

301E. Where on a demand being made in that behalf the President is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desires the use of any language spoken by them to be recognised by that State, he may direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.

CHAPTER III—LANGUAGE OF SUPREME COURT AND HIGH COURTS, ETC.

301F. (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or a Governor or a Ruler, as the case may be,

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State, shall be in the English language.

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) of this article shall prevent a State from prescribing, with the consent of the President, the use of the

[अध्यक्ष]

Hindi language or any other language recognised for official purposes in the State for proceedings in the High Court of the State other than judgments, decrees and orders.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-clause (b) of clause (1) of this article, when the Legislature of a State has prescribed the use of any language other than English for Bills, Acts, Ordinances, and Orders having the force of law, and rules referred to in the said sub-clause, a translation of the same in English certified by the Governor or Ruler of the State shall be published and the same shall be deemed to be the authoritative text in English under this article.

Special procedure for enactment of certain laws relating to language.

301G. During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 301F of this Constitution shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under article 301B of this Constitution and the report of the Committee referred to in that article

CHAPTER IV—SPECIAL DIRECTIVES

Language to be used for representation for redress of grievances.

301 H. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Directive for development of Hindi.

301-I. It shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi and to develop the language so as to serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India, and drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

SCHEDULE VII-A

1. Assamese
2. Bengali
3. Kannada
4. Gujarati
5. Hindi
6. Kashmiri
7. Malayalam
8. Marathi
9. Oriya
10. Punjabi

10A. Sanskrit

11. Tamil
12. Telugu
13. Urdu'"

[भाग 14-क

राज भाषा

अध्याय 1—संघ की भाषा

संघ की राज्य भाषा

301-क. (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये

[अध्यक्ष]

अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी संसद उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा–

(क) अंग्रेजी भाषा का; अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

राजभाषा के लिये संसद् का आयोग और समिति।

301-ख. (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को–

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के;

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के;

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के;

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के;

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग पृच्छा किये हुये किसी अन्य विषय के,

बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।

(3) खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य परिषद् के सदस्य होंगे जो कि क्रमश: लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति

के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुये भी राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

अध्याय 2—प्रादेशिक भाषायें

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

301-ग. अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा:

परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा।

301-घ. संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी:

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।

301-ङ तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

अध्याय 3—उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों, आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

301-च. (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—

[अध्यक्ष]

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्य-वाहियां;

(ख) जो–

(1) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुर:स्थापित किये जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ;

(2) अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सबके प्राधिकृत पाठ; तथा

(3) आदेश नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के आधीन, अथवा संसद या राज्यों के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुये भी किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा:

परन्तु इस खण्ड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुये भी जहां किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कण्डिका (घ) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिये उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया।

301-छ. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना न तो पुर:स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुर:स्थापित अथवा किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की

सिफारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर, विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

अध्याय 4–विशेष निदेश

301–ज. किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा।

301–झ. हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुये तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिये मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुये उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश।

20–क.–

1. असमिया
2. बंगला
3. कन्नड़
4. गुजराती
5. हिन्दी
6. कश्मीरी
7. मलयालम
8. मराठी
9. उड़िया
10. पंजाबी

10–क संस्कृत

11. तामिल
12. तेलुगु
13. उर्दू]

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैं चाहता हूं कि मेरा विरोधी मत लिखा जाये और उसके साथ यह भी लिखा जाये कि.....

***अध्यक्ष:** ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि किसी व्यक्ति का मत लिखा जाये, विशेषत: उसके किसी कथन के साथ।

प्रश्न यह है:

"कि भाग 14–क संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

भाग 14–क संविधान में जोड़ दिया गया।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** क्या मैं सुझाव दे सकता हूं, श्रीमान, कि सदन को स्थगित करने से पूर्व आप अनुच्छेद 99 और 184 पर भी मत ले लीजिये, क्योंकि वे इस अध्याय से समाप्त हो जाते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** नहीं, नहीं। वे आज की कार्यावली में नहीं हैं।

***अध्यक्ष:** अब आज की कार्यवाही समाप्त होती है, किन्तु सदन को स्थगित करने से पूर्व मैं बधाई के रूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे विचार में हमने अपने संविधान में एक अध्याय स्वीकार किया है जिसका देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे इतिहास में अब तक कभी भी एक भाषा को शासन और प्रशासन की भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। हमारा धार्मिक साहित्य और प्रकाश संस्कृत में सन्निहित था। नि:संदेह उसका समस्त देश में अध्ययन किया जाता था, किन्तु वह भाषा भी कभी समूचे देश के प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त नहीं होती थी। आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और उस भाषा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार ही करना होगा।

मैं हिन्दी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता। मेरा यह भी दावा नहीं है कि किसी भाषा में मेरा कुछ अंशदान है किन्तु सामान्य व्यक्ति के समान मैं कह सकता हूं कि आज यह कहना सम्भव नहीं है कि भविष्य में हमारी उस भाषा का क्या रूप होगा जिसे हमने आज संघ के प्रशासन की भाषा स्वीकार की है। हिन्दी में विगत में कई-कई बार परिवर्तन हुये हैं और आज उसकी कई शैलियां हैं, पहले हमारा बहुत सा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। अब हिन्दी में खड़ी बोली का प्रचलन है। मेरे विचार में देश की अन्य भाषाओं के सम्पर्क से उसका और भी विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करेगी तो उससे इसकी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी।

हमने अब देश का राजनैतिक एकीकरण कर लिया है। अब हम एक दूसरा जोड़ लगा रहे हैं जिससे हम सब एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक हो जायेंगे। मुझे आशा है कि सब सदस्य संतोष की भावना लेकर घर जायेंगे और जो मतदान में हार भी गये हैं वे भी इस पर बुरा नहीं मानेंगे तथा उस कार्य में सहायता देंगे जो संविधान के कारण संघ को भाषा के विषय में अब करना पड़ेगा।

मैं दक्षिण भारत के विषय में एक शब्द कहना चाहता हूं। 1917 में जब महात्मा गांधी चम्पारन में थे और मुझे उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब उन्होंने दक्षिण में हिन्दी प्रचार का कार्य आरम्भ करने का विचार किया

और उनके कहने पर स्वामी सत्यदेव और गांधी जी के प्रिय पुत्र देवदास गांधी ने वहां जाकर यह कार्य आरम्भ किया। बाद में 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में इस प्रचार कार्य को सम्मेलन का मुख्य कार्य स्वीकार किया गया और वहां कार्य चलता रहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं गत 32 वर्षों में इस कार्य से सम्बद्ध रहा हूं–यद्यपि मैं यह घनिष्ट संबंध का दावा नहीं कर सकता। मैं दक्षिण में एक सिरे से दूसरे सिरे को गया और मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई कि दक्षिण के लोगों ने भाषा के संबंध में महात्मा गांधी के अनुरोध के अनुसार कैसा अच्छा कार्य किया है। मैं जानता हूं कि उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किन्तु उन्हें इस मामले में जो जोश था वह बहुत सराहनीय था। मैंने कई बार पारितोषिक वितरण भी किया है और सदस्यों को यह सुनकर मनोरंजन होगा कि मैंने एक ही समय पर दो पीढ़ियों को पारितोषिक दिये हैं शायद तीन को ही दिये हों—अर्थात् दादा, पिता और पुत्र हिन्दी पढ़कर, परीक्षा पास करके एक ही वर्ष पारितोषिकों तथा प्रमाणपत्रों के लिये आये थे। यह कार्य चलता रहा है और दक्षिण के लोगों ने इसे अपनाया है। आज मैं कह नहीं सकता कि वे इस हिन्दी कार्य के लिये कितने लाख व्यय कर रहे हैं, और मुझे याद नहीं है कि प्रति वर्ष कितने परीक्षार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस भाषा को दक्षिण के बहुत से लोगों ने अखिल भारतीय भाषा मान लिया है और इसमें उन्होंने जिस जोश का प्रदर्शन किया है उसके लिये उत्तर भारतीयों को उन्हें बधाई देनी चाहिये, मान्यता देनी चाहिये और धन्यवाद देना चाहिये।

यदि आज उन्होंने किसी विशेष बात पर हठ किया है तो हमें याद रखना चाहिये कि आखिर यदि हिन्दी को उन्हें स्वीकार करना है तो वे ही करेंगे, उनकी ओर से हम तो नहीं करेंगे; और आखिर यह क्या बात है जिस पर इतना वाद-विवाद हो गया है? मैं आश्चर्य कर रहा था कि हमें छोटे से मामले पर इतनी बहस करने की, इतना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? आखिर अंक हैं क्या? दस ही तो हैं। इन दस में, मुझे याद पड़ता है कि तीन तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिन्दी में एक से हैं,–२,३ और ० मेरे ख्याल में चार और हैं जो रूप में एक से हैं किन्तु उनमें अलग-अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिये हिन्दी का ४ अंग्रेजी के ८ (8) से बहुत मिलता-जुलता है, यद्यपि एक ४ के लिये आता है और दूसरा ८ के लिये। अंग्रेजी का ६ हिन्दी के ७ से बहुत मिलता है, यद्यपि उन दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। हिन्दी का ९ जिस रूप में वह अब लिखा जाता है मराठी से लिया गया है और अंग्रेजी के ९ (9) से बहुत मिलता है। अब केवल दो-तीन अंक बच गये जिनके दोनों प्रकार के अंकों में भिन्न-भिन्न रूप हैं और भिन्न-भिन्न अर्थ है। अत: यह मुद्रणालय की सुविधा या असुविधा का प्रश्न नहीं है जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। मेरे विचार में मुद्रणालय की दृष्टि से हिन्दी और अंग्रेजी अंकों में कोई अन्तर नहीं है।

किन्तु हमें अपने मित्रों की भावनाओं का आदर करना है जो उसे चाहते थे, और मैं अपने सब हिन्दी मित्रों से कहूंगा कि वे इसे उस भावना से स्वीकार करें, इसलिये स्वीकार करें कि हम उनसे हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि स्वीकार करवाना चाहते है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन ने अत्यधिक बहुमत से इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आखिर यह

[अध्यक्ष]

बहुत बड़ी रियायत नहीं है। हम उनसे हिन्दी स्वीकार करवाना चाहते थे और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, और हम उनसे देवनागरी लिपि को स्वीकार करवाना चाहते थे, वह भी उन्होंने स्वीकार कर ली। वे हमसे भिन्न प्रकार के अंक स्वीकार करवाना चाहते थे, उन्हें स्वीकार करने में कठिनाई क्यों होनी चाहिये? इस पर मैं छोटा सा दृष्टान्त देता हूं जो मनोरंजक होगा। हम चाहते हैं कि कुछ मित्र हमें निमंत्रण दें। वे निमंत्रण दे देते हैं। वे कहते हैं, "आप आकर हमारे घर में ठहर सकते हैं उसके लिये आपका स्वागत है। किन्तु जब आप हमारे घर आयें तो कृपया अंग्रेजी चलन के जूते पहनिये, भारतीय चप्पल मत पहनिये जैसी कि आप अपने घर में पहनते हैं।" उस निमंत्रण को केवल इसी आधार पर ठुकराना मेरे लिये बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि मैं चप्पल को नहीं छोड़ना चाहता। मैं अंग्रेजी जूते पहन लूंगा और निमंत्रण को स्वीकार कर लूंगा, और इसी सहिष्णुता की भावना से राष्ट्रीय समस्याएं हल हो सकती हैं।

हमारे संविधान में बहुत से विवाद उठ खड़े हुये हैं और बहुत से प्रश्न उठे हैं जिन पर गम्भीर मतभेद थे किन्तु हमने किसी न किसी प्रकार उनका निबटारा कर लिया। यह सबसे बड़ी खाई थी जिससे हम एक दूसरे से अलग हो सकते थे। हमें यह कल्पना करनी चाहिये कि यदि दक्षिण हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को स्वीकार नहीं करता तब क्या होता। स्विट्जरलैण्ड जैसे छोटे से, नन्हें से देश में तीन भाषाएं हैं जो संविधान में मान्य हैं और सब कुछ काम उन तीनों भाषाओं में होता है। क्या हम समझते हैं कि हम केन्द्रीय प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये उन भाषाओं को रखने की सोचते जो भारत में प्रचलित हैं तो क्या हम सब प्रान्तों को साथ रख सकते थे, सब में एकता करा सकते थे? प्रत्येक पृष्ठ को शायद पन्द्रह बीस भाषाओं में मुद्रित करना पड़ता।

और यह केवल व्यय का प्रश्न नहीं है। यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक दूसरे के निकटतर आते जायेंगे। आखिर अंग्रेजी से हम निकटतर आये हैं क्योंकि वह एक भाषा थी। अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है, इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्टतर होंगे, विशेषत: इसलिये कि हमारी परम्पराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता, या वे प्रान्त पृथक् हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासम्भव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी सन्तति इसके लिये हमारी सराहना करेगी।

सदन कल प्रात: के 9 बजे तक के लिये स्थगित होता है।

तत्पश्चात् सभा बृहस्पतिवार तारीख 15 सितम्बर, 1949 के 9 बजे तक के लिय स्थगित हो गई।